


असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)



AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

सं. 541]

नई विल्ली, बृहस्पतिबार, अगस्त 31, 1989/माद्र 9, 1911

No. 541]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 1989/BHADRA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की काती हैं जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रक्षा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

मा देश

मई विल्ली, 31 ग्रगस्त, 1989

कः .चा . 683(च).--पश्रक्षारों और गैर-पश्रकार समाचारपत्र कर्गचारियों की बाबन मजदूरी की दर नियत या पुनरीक्षित करने के लिए लेक्कीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए श्रम जोवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्गचारी (सेवा ी णतों) और प्रकीर्ण उपबन्ध द्याधिनियम, 1955 की धारा 9 और द्यारा 13ग के अवीत वो मजदूरी बोडों का मारत सरकार के . म मंत्रालय की अधिमूचना सं. का .चा . 340 और 341 को वोनों 17 जुलाई, 1985 की हैं, द्वारा 17 जुलाई, 1985 को गठन किया गया था, और पूर्वोक्त मजदूरी बोडों ने 30 मई, 1989 की ध्रमनी निफारिसें प्रस्तृत की थीं ;

और केन्द्रीय मरकार मकान किराया और नगर प्रतिकरात्मक मत्ता के संबाध के संबंध में उनकी रिपोर्ट के धन्न्याय IX के माग 1 खंड 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) और भाग 2, खंड V के पैरा 12(क) और 12(ख) में धन्निविष्ट उस्त मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों की परीक्षा करने का प्रस्तव करती है और जब तक कि इस निमित्त परीक्षा पूरो नहीं हो जाती है. समाचारपत्र स्थापन पत्नकारों और गैर पत्नकार समाचारपत्र कर्मचारियों को मकान किराए मत्ते का संवाय ऐसी दरों पर करने रहेंगे जो इस घोषेश के प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व लागू थीं ;

और केन्द्रीय सरकार इस प्रादेश की अनुसूची में उपाबद्ध रिपोर्ट के प्रथ्याय IX में अन्तर्विष्ट उक्त मजदूरी बोर्डों की धन्य सिफारिशों को इसमें शमके पश्चात् विनिर्विष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए स्वीकार करने को प्रस्तावता करती है, जो ऐसे उपान्तर हैं, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, निफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करने हैं ।

श्रव, ग्रनः, केन्द्रीय सरकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रविनियम, 1955 (1955का 45) की धारा 12 द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश करती है, कि:

2418 GI/89

ग्रह्याय IX में,---

- (क) खंड 3 (घर) में, 14(1कर) और (खर) के नीचें,---
- (i) समूह 3 में, "सुलेखकार" शब्द के पश्चात् "जिसके अन्तर्गन कातिय भी हैं", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,
- (ii) समूह 3 म में, "पूफ शोधक" शब्दों के पण्यात्, "जिसके धन्तर्गन विज्ञापन प्रूफ शोधक भी हैं" शब्द अंत;स्थापित किए जाएंगे,
- (ख) अनुभाग III (आ) में, "1. प्रशासनिक कर्मचारीबृन्य" णीर्धक के नीचे उप-शीर्षक (क) और (ख) के नीचे समूह 4 में, "विजापन प्रूफ-शोधक" शब्दों का जहां-जहां वे भाते हैं, लोप किया जाएगा,
- (ग) माग II में, समाचार एजेंसी से संबंधिन सारणी 1 में, गैर-पड़ाकार शीर्षक के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी क्रयांत्:--

समाचार एजेंसी गैर-पत्रकार

धर्ग समूह	वेतनमान	वर्ष
1 2	3	4
I (7 करोड़ स्पए या उससे भश्चिक)	 कोई चैतनमान महीं 	
`	2. 2850-150-3450-175-4-150-225-5050-250-6050 খ. (4) (4) (4) (4)	16
	3. 2500-125-3000-135-3540-145-4120-160-4760 \(\frac{1}{4}\) (4) (4) (4)	1 6
	4' 2050-95-2525-110-3075-125-3575-140-4135 ਓ. (5) (5) (4) (4)	18
	5. 1950-95-2425-105-2950-115-3410-125-3910 5. (5) (5) (4) (4)	18
	G. 1695-65-2020-75-2395-85-2735-95-3115 年. (5) (5) (4) (4)	18
	7. 1560-42-1770-45-1990-48-2235-50-2485 ₹. (5) (5) (5) (5)	20
II (4 करोड़ रुपए और उससे ग्रधिक किन्तु 7	1. कोई वेंतनमान नहीं	
सरीड़ रुपयों से कम)	2. 2750-125-3250-150-3850-175-4550-225-5450₹. (4) (4) (4) (4)	1 6
	3. 2400-115-2560-130-3380-145-3960-160-4600 v. (4) (4) (4) (4)	16
	4. 1975-95-2450-105-2975-115-3435-125-3935 ਓ. (5) (5) (4) (4)	18
	5. 1875-85-2300-95-2775-105-3195-115-3655 ፍ. (5) (5) (4) (4)	18
	6 1630-60-1930-65-2255-70-2535-75-2835 र. (5) (5) (4) (4)	18
	7. 1495-40-1695-42-1905-45-2130-48-2370 रू.	20
	(5) (5) (5)	

अध्यायय~ 🛛 🗶

भाग-1

श्रम जोबी पत्रकार नथा गैर-पत्नकार समाचारपस्न कर्मचारियों के निए वेतन बोर्ड की सिफारिसें।

(समाचार एजेंसियों के अतिरिक्त समाचार पत्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए)

खंड-१

भ्रारम्भिक

1. परिमापाएँ :

- (क) समाचार-पक्ष प्रतिष्ठान "श्रम जीवी पक्षकार" तथा गैरपलकार समा-चार पक्ष कर्मचारी मध्यों से आमय यहीं होगा जो उनके लिए श्रम जीवी पक्षकार तथा धन्य समाचार पक्ष कर्मचारी (सेवा गर्त) तथा विविध उपवंघ घ्रांशिनयम, 1955, जिसे इसके बाद घ्रांशिनयम कहा गया है, में दिया गया है। इस माग में सिकारियों के प्रयोजनार्थ, समाचार पक्ष प्रसिष्ठान में कोई स्थूज एजेंसी शामिल नहीं होगी।
- (ख) समाचार-पन्न प्रतिष्ठान के मामले में किसी विशेष वर्ष के संवर्ण में प्रयुक्त लेखा वर्ष का धामय 1 धप्रेल से शुरू होने वाले तथा धगली 31 मार्च को समाप्त होने वाले विशीय वर्ष से होगा। परन्तु यदि किसी समाचारपन्न प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष वितीय वर्ष से निम्न है तो इसका सात्पर्य प्रतिष्ठान का वह लेखा वर्ष होगा जिसका आधे से अधिक धाग उस विशेष वर्ष में घाता है। ऐसे सनाचार-पन्न प्रतिष्ठान के मामले में जिनका लेखा वर्ष 1 धक्तुवर से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह होगा जिसमें पहले छ: महीने छाते हैं।

उदाहरण

यदि किसी समाचारपत्न प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 जनवरी, 1988 से गुरू होता है, धार्ग घाने वाले पैराप्राफों में लेखा वर्ष 1988 का उन्लेख उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1988-89 के संवर्ग में इसफे प्रतिरिक्त लिया जाएगा यदि किसी सावारपत्न प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 प्रक्तूबर से गुरू होता है तो इन पैराप्राफों में लेखा वर्ष 1988 का उल्लेख उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1988-89 के संवर्ग में लिया जाएगा।

- (ग) "श्रेणी" से तात्पर्य पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट समूहों के श्रधीन उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्नचारी से है।
- घ.(1) किसी समाचार-पत्न प्रसिष्ठान के "कुल राजस्व" से सार्त्यं उस प्रतिष्ठान ढारा धपने समाचार-पत्न व्यवसाय के सभी खोसों से प्राप्त राजस्व है जिसमें उसके समाचार-पत्न ध्रयवा समाचार पत्नों का संचालन सथा विज्ञापन शामिल है सथा इसके ढारा समाचार-पत्न व्यवसाय में प्राणिन धनराशि से प्राप्त परिसंपत्तियां तथा निवेशों से होने काली धाय भी शामिल है।
- (2) परिचालन तथा विज्ञापन संबंधी माय वह मानी जाएगी जो उस सीमा तक वास्तव में मनुमत करीमान घटाने के बाद बचेगी जिस सीमा तक इस प्रकार मनुभत करीमान की राशि उचित हो। एक उचित कमीमान वह है जिसे किसी विशेष समाचारपत्न प्रतिष्ठाम के मामले में भाय कर भिंध-कारियों ने अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है जिन मामलों में भायकर मधिकारियों का ऐसा कोई अंतिम निर्णय उपलब्ध नहीं है, उसमें परिचालन कमीमान संबंधित भाय का 28 प्रतिणत तथा विज्ञापन कमीमान 15 प्रशिमान होगा।

खंड-2

समाचार-पत्न प्रतिष्ठानों का वर्शीकरण

- 2. श्रम श्रीषी पत्नकारों सथा गैर-पत्नकार समाचारपत्न कर्मचारियों के संबंध में वेतन की दर्श है निर्वारण है प्रयोजनार्थ, समाचार पत्न प्रतिष्ठानों को इसके बाद दिए गए इंग से वर्गीक्रम किया जाएगा।
- 3-(क) सन(कारपत्र प्रतिन्धानों का वर्गीकरण 3 लेखा वर्षी, 1984-85, 1985-86, 1986-87 के कुन राजस्त्र को औसत पर ग्राधारित होगा।
 - (ख) उपरोक्त 3 लेखा वर्षों में से दो वर्ष पूरा करने वाले समाचार-पन्न प्रतिष्ठान के मामले में, इन दो वर्षों के लिए कुल राजस्व के औसत के माधार पर इसके वर्गीकरण का निर्धारण किया जाएना।
 - (ग) जिस समाचार प्रतिष्ठान मे उच्त लेखा वर्षों का केवल एक धर्ष पूरा किया है उसके वर्नीकरण का निर्धारण उस वर्ष के लिए उसके कुल राजस्व के भाधार पर किया जाएगा।
- 4. एक नया समाचार पत्न प्रतिष्ठान, ग्रायीत् ऐसा समाचार पत्न प्रतिष्ठाम जिस पर पैरा 3 के कोई भी उपबंघ धार्न के रूप में लागू नहीं होते, को प्रथम लेखा वर्ष के पूरा होने के बाव उस वर्ष के लिए उसके कुल राजस्व के ग्राधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 5. उपर्युक्त पैरा 3(ख), 3(ग) तथा 4 में निहित प्रावधानों के होने पर भी एक ऐसे समावार-५व प्रतिष्ठान जिसे 2 लेखा वर्षों के झाझार पर वर्गीकृत किया गया है को उस श्रेणी जिसमें उसे होना चाहिए से एक श्रेणी निचे तथा जिसे एक लेखा वर्ष के झाधार पर वर्गीकृत किया गया है को यो श्रेणी नीचे रखा आएगा। इन दोनों में से भी मामले में यह श्रेणी IX से नीचे नहीं होगी।
- 6.(1)(क) किसी समाचार पत्न प्रतिष्ठान के विभिन्न विभागीं, गाखाओं सथा केन्द्रों की उसी समाचार-पत्न प्रतिष्ठान के माग के रूप में माना जाएगा।
- (ख) किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकास के सामान्य नियंत्रण के प्रधीन वो या प्रधिक समाचारपत्र प्रतिष्ठान जिसमें उनके विभाग, शाखाएं तथा केन्द्र (जिन्हें इसके बाव समाचारपत्र प्रतिष्ठान कहा गया है) बाहे वे निगमित है या नहीं को एक समाचार-पत्र प्रतिष्ठान माना जाएगा तथा उनके संयुक्त कुल राजस्व ही किसी श्रेणी में उनके स्थान का निर्धा-रण करेगा।

स्पष्टीकरण

एक मुद्रण प्रैस जिसका प्रमुख कार्य समाचारपत्न का मुद्रण है, को समाचार-पत्न प्रतिष्ठान माना जाएगा। यदिये उप-पैरा (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, तो इसे संघटक समाचारपत्न प्रतिष्ठान माना जाएगा।

- (2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) में निहित प्रावधानों के होने पर भी (इसके बाब निदिन्द) श्रेणी VI से IX में से किसी भी श्रेणी में भाने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान को भपने ही कुल राजस्व के आधार पर उपर्युक्त उप-पैरा (1) के मधीन कुल राजस्व को समेकित करने के फलस्वरूप दो श्रेणियों से मधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- (3) ग्रस्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बाते दो या प्रधिक संघ-टक समाचार-पन्न प्रतिष्ठानों पर सामान्य नियंत्रण निर्धारित करेंगी।
- (स)(।) जहां समाजार पक्ष प्रतिष्ठान एक ही व्यक्ति या साम्मूहक व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं।

- (2) जहां समाचार पत्र प्रतिष्ठाम फर्मों के स्वामिस्व में है, चाहें ऐसी फर्मों में काफी संख्या में सामूहिक भागीवार हैं,
- (3) जहां समाचार पत्र निगमित निकायों के स्वामित्व में है, जाहे एक निगमित निकाय किसी ग्रन्थ निगमित निकाय ग्रनुषंशी कंपनी है या दो किसी सामान्य नियंतक कंपनी की ग्रनुषंशी कंपनियां है या उनके काफी ग्रधिक इक्विटी शेयर उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सभूह के स्वामित्य में है, जाहे वह निगमित है या नहीं।
- (4) जहां एक प्रतिष्ठान किसी निगमित निकाय तथा दूसरा किसी फर्म के स्थामित्व में है चाहे फर्म के काफी सारे मागीवारों के पास निगमित निकाय के काफी संख्या में इक्विटी ग्रेथर हैं।
- (5) जहां एक प्रसिष्टान किसी निगमित निकाय के स्वामित्व में है तथा दूसरा एक ऐसी फर्म के स्वामित्व में है जिसमें इसके भागीबारों के रूप में निगमित निकाय हैं, चाहे ऐसे निगमित निकायों के काफी संख्या में इक्विटी मेयर प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समृष्ठ के स्वामित्व हैं जाहे वे निगमित हैं या नही; प्रथना
- (ख) जहां संबंधित समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के बीच कार्यकरण में सार्यजस्य है।

स्पष्टीकरण

किसी व्यक्ति का पित या पत्नी उसका/उसकी अंतरिम मिल्ल होगा/होशी जब सक कि यह न बताया जाए कि पित या पत्नी उसकी अपनी धनराशि कि आधार पर मालिक या भागीवार या शेयर होल्डर है।

- 7. जब तक प्रथ्यथा यह प्रमाणित न किया जाए कि दो या प्रधिक समा-बार-पत्न प्रनिष्ठानों द्वारा प्रकाशित समावार पत्न था समाबार पत्नों का समान प्रीर्थक हैं ल्या भारत में किसी स्थान से समान माथा में हैं या वैसा ही पर समान गीर्थक हैं लेकिन उसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में भिन्न-भाषाओं में हैं तो उनको सामूहिक नियंत्रण के घंधीन संघटक समाबार पत्न प्रतिष्ठान माना जाएगा तथा उनके संयुक्त कुल राजस्व से श्रेणी में उनके स्थान को निर्धारण होगा।
- 8. जब एक वर्गीकृत समाचार-पत्न प्रतिष्ठान एक ऐसे नये केन्द्र, जहां कोई और समाचार-पत्न प्रकाशित नहीं है, से प्रपने एक पुराने समाचार पत्न को गुरू करता है तो जहां तक नये केन्द्र का संबंध है इसे पहले दो लेखा वर्षों के लिए उस श्रेंणी जिसमें उसके कुल राजस्व के माधार पर रखा जा सकता है से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा तथा एक वर्गीकृत समाचार-पत्न प्रतिष्ठान एक ऐसे केन्द्र, से एक नया समाचार पत्न गुरू करता है जहां उसका कोई और समाचार-पत्न प्रकाशन नहीं है तो उसे भी इसी प्रकार नये केन्द्र में तीन लेखा वर्षों के लिए एक श्रेणी नीचे रखा जा सकता है। दोनों में से किसी भी मामले में, जहां तक नये केन्द्र का संबंध है, इसे श्रेणी 1X से नीचे नहीं रखा जाएगा।
- ं9. पैराग्राफ 3 से 8 के प्राथधानों के अनुसार निर्धारित वर्गीकरण तब तक जारी रहेगांजब तक कि समाचार-पत्न प्रतिष्ठान का पैराग्राफ 13 के प्राथधानों के अनुसार पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।
- 10 यदि समाचार-पन्न प्रतिष्ठान के स्वामित्व का स्थानांभरण एक व्यक्ति द्वारा य्यय व्यक्ति को किया जाता है तो पैराग्राफ 3 से 9 के प्रावधान ऐसे समाचार-पन्न प्रतिष्ठानों पर धम प्रकार लागू होंगे मानो पुराने मालिक के अधीय संबद्ध लेखा वर्षों के लिए समाचार-पन्न प्रतिष्ठानों का कुल राजस्व उन वर्षों के लिए नये मालिक का हो।

11. पैराग्राफ 6	तथा 7	के	प्रावधानों	फें प्रनु	ť	-	
प्रसिष्ठानों का निम्म र	नौ श्रीणियं	ों में	उनके कुल	गजस्य	के	श्राधार	पर
धर्गीकरण किया जाएगा	1						

श्रेणी	कुल राजस्य
у І	100 करोड़ रु. तथा प्रधिक 50 करोड़ रुपये तथा प्रधिक लेकिन 100 क ^{डी} ड़ रु.सेकम।
11	2.0 करोड़ रु. सथैज झाधिक लेकिन 5.0 करोड़ १. से कम।
Ш	10 करोड़ स्०तमा अधिक लेकिन 20 करोड़ ६०सेकमा
ΙV	5 करोड़ रु. तथा श्रधिक लेकिन 10 करोड़ रु. से कम ।
V	2 करोड़ रु.तथा अधिक लेकिन 5 करोड़ रु.से कम ।
VI	1 करोड़ रु. तथा ग्रधिक लेकिन 2 करोड़ रु. सेकम ।
VII	50 लाख रुपये सथा ग्राधिक लेकिन एक करोड़ ह.से कम।
VIII	25 लाख के. तथा घष्टिक लेकिन 50 साच रु.से कम।
IX	25 लाख रु. से कम।

12. किसी ऐसे समावार-पत्न प्रतिष्ठाम जो श्रेणी IX में नहीं भाज द्वारा प्राप्त विज्ञापन राजस्व उसके कुल राजस्व के विज्ञापन राजस्व, निकास कर, 45% से कम है तो उसे इसकी कुल राजस्व के भाषार पर उस श्रेणी से एक श्रेणी निवे रखा जाना चाहिए जिसमें उसे होना चाहिए। पुन: वर्गीकरण

13. सियोजक या कर्मचारियों दोनों में से कोई मी पिछले 3 लेखा वर्षों के औसत कुल राजस्व के प्राधार पर लेखा वर्ष 1989-90 के बाव किसी सी समय किसी समाचारपत्र के पुनः वर्गीकरण की मांग कर सकते हैं परन्तु इस प्रकार के वर्गीकरण की मांग 3 लगातार लेखा वर्षों की किसी भी भ्रविध में एक बार से अधिक बार महीं की जानी चाहिए।

खंड--]]]]

श्रम-जीवी -पत्रकारों का समूहीकरण

- (क) श्रम-जीवी पत्रकारों का समूही करण
- 14.1 पूर्णकालिक कर्मचारीः
- (क) समाचार पत्न प्रतिष्ठानों में श्रेणी Iए से VII नकः

बर्गे⊸1 सम्पादक

- वर्गे 1ए कार्यकारी सम्पादक, रेजिबेंट सम्पादक, एसोसिएट सम्पा-दक, संयुक्त सम्पादक, उप-सम्पादक।
- वर्ग 1 वी | सहायक सम्पादक, मुख्य लेखक, समाचार ब्यूरो का प्रमुख समाचर सम्पादक, विशेष संवादवाता।
- वर्ग 2 उप या सह।यक समाचर सम्पादक, प्रमुख रिपोर्टर, प्रमुख उप-सम्पादक, खेल-कृद मंबंधी सम्पादक, वाणिज्यिक सम्पादक फिल्म सम्पादक, पितका सम्पादक, व्यंग्य चित्रकार, सांक्ष्मिकीय या श्रनुसंधान प्रमाग का प्रमुख, प्रमुख समाचार पत्र फोटोग्राफर, प्रमुख पुस्तकाष्यक, प्रमुख मूची सहगयक, प्रमुख कैसीग्राफिस्ट, प्रमुख श्राटिस्ट, राज्य सरकार को

ब्रक्षिक्कत राज्य की राजधानियों में प्रधान संवादवाता, विभेष संवाददाता तथा भ्रम्य अनुभागीय या बैच प्रमुखों से इतर केन्द्र सरकार के भ्रधिकृत संवाददाता जिन्हें उक्च श्रेणी में नही रखा गया है।

वर्ग-थ्रः उप प्रमुख उप-सम्पादक या वरिष्ठं उप-सम्पादक, उप प्रमुख रिपोर्टर या वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवादवाता, वरिष्ठ कंलीग्राफिस्ट, वरिष्ठ ग्राटिस्ट, वरिष्ठ पुम्तका-ध्यक्ष सथा वरिष्ठ सूची सहायक।

वर्ग-3 उप-सम्पादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार फोटो-ग्राफर, ध्राटिस्ट, कैलीग्राफिस्ट, पुस्तकाध्यक्ष, सूची सहायक, प्रमुख प्रूफ रीडर।

वर्ग- 3ए - प्रफ रीहर

थर्ग-4 किमी श्रन्य वर्ग के श्रधीन उम्प्तिखित से इतर सभी श्रम जीवी पत्रकार, यदि उन्हें प्रतिष्ठानों द्वारा उच्च स्तर पर नियुक्त नहीं किया जाता।

(ख) श्रेणी VIII तथा IX के समाचार प्रतिष्ठानों में:

वर्ग-1 सम्पादक।

वर्ग-।बी सहायक सम्पादक, प्रमुख लेखक, समाचार सम्पादक, विशेष संवादवाता।

वर्ग-2 प्रमुख उप-सम्पादक, प्रमुख रिपोर्टर, खेल-कूद सबंधी सम्पादक, वाणिज्यिक सम्पादक, ध्यंग्य जिल्लकार, सांक्रियकीय प्रभाग का प्रमुख, धनुसंधान प्रभाग का प्रमुख, राज्य सरकार भ्रधिकृत राज्य की राजधानियों के प्रधान संवादवाता, विशेष संवाददाता से इनर केन्द्र सरकार के भ्रधिकृत संवादवाता।

वर्ग-3 उप-सम्पादक, रिपोर्टर संवादवाता, समाचार फोटोग्राफर, कैलीग्राफिस्ट, ग्राटिस्ट, पुस्तकाध्यक्ष, सूर्वा सहायक तथा प्रमुख प्रुफ रीडर।

वर्ग-अप् प्रुफरीकर।

वर्ग-4 किसी प्रत्य वर्ग के प्रजीत उल्लिखित से इतर सगी
श्रम-जीवी पत्रकार यदि उन्हें प्रतिष्ठानों द्वारा उच्च स्तर
पर नियुक्त नहीं किया जाता।
(श्रम-जीवी पत्रकारों की विभिन्न श्रीणियों की कार्यकरण
परिमाषाओं के लिए श्रमुसूची-1 देखें)

II. अंशकालिक कर्मेचारीः

- अंग्राकालिक संवादवाता से तात्पर्य उस सकादवाता से है जो कियी समाचार पत्न प्रतिष्ठान का अधकालिक कर्यवारी है तथा जिसका प्रमुख कार्य पत्नकारिता है।
- (ख) गैर-पत्रकार समाचार पन्न कर्मचारी का सप्हीकरण 1 प्रणासनिक कर्मचारी:
- (क) समाचार-पत्र प्रतिम्झानीं के श्रेणी Vए से VII के लिए:

वर्ग-1 महा प्रबन्धकः प्रबन्धकः तथा सचिवः।

वर्ग-2 विभागीय प्रवन्धक (जो परिचालन विकापन विभाग, कार्मिक भादि का प्रभारी है), प्रमुख लेखाकार (लेखा-कार), इलैक्ट्रांतिक इजीतियर, पी.आर.ओ. (श्रेणी 1. H, III, IV एवं V समाचार पत्र प्रतिब्धान ।)

वर्ग-2ए सम्पर्क प्रधिकारी, लेखा प्रधिकारी, प्रमुख प्राश्तरिक लेखा-परीक्षक, सहायक विज्ञापन प्रबन्धक, सहायक परिचाल प्रधन्धक तथा कार्मिक प्रधिकारी।

वर्ग-3 भनुभागीय भ्रष्यक्ष (जो 5 लिपिको के कार्य को देखता है), व्यवसाय केम्बेसर, बिकी प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वैयक्तिक सहायक (स्टैनो-सैकेंटरी), सहायक लेखापाल, विशापन प्रतिनिधि।

टिप्पणीः इस माग में दी गई सिफारियों गैर-पत्नकार समाचारपत्न कर्मचारियों से प्रत्य कर्मचारियों जैसाकि प्रधिनियम में परिभाषित है यद्यपि उपर्युक्त 4 वर्गों में सम्मिलित है, पर सागू नहीं होगा।

वर्ग-4 प्राणुलिपिक, सहायक, लेखा लिपिक, कार्ड पंचिय प्रापरेटर, ई.डी.पी प्रापनेटर, इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोमैसर, बाच
एंड वार्ड निरीक्षक, कैशियर, परिचालन निरीक्षक/
प्रतिनिधि, विज्ञापन अनुवादक, वरिष्ठ लिपिक (अर्थात्
जिसका कार्य विशेष कौशल का है) लेखा मशीनों/
संगणक मशीनों तथा टेलीपिटरों के आपरेटर, फील्ड आर्गेनाइंजर तथा परिचालन के लेखा-परीक्षा ब्यूरी करने वाले, विज्ञापन पूफ रोडर, नर्स (पुरुष तथा
महिला), धार्टिस्ट (वाणिज्यिक एवं प्रोसेस)

वर्ग-5 किनष्ठ लिपिक (ग्रवीन् सामान्य लिपिकीय कार्य करने वाले जिसमें विज्ञापनों की स्योकृति नथा प्रकाशनों की विकी शामिल है) टाइम-कीपर, टाइपिस्ट, टेलीकोन आपरेटर, एक्नेशेशफर, स्वागतकर्ता, फेंकिंग मधोन धाप-रेटर, केंटीस सुपरवाहजर, कनिष्ठ ब्राटिस्ट (वाणि-ण्यक एवं प्रोसेस), फायर मैन-सह सुरक्षा कर्मी।

वर्ग-6 बिल एकल करने वाला, सुरक्षा गार्ड, वक्तरो या कुछ धर्म लिपिकीय कार्य करने वाला, जोरोक्स धापरेटर, बावमैन तथा डिलीबरी चपरासी।

वर्ष- ? चपरासी एवं संवाहक, चपरासी, सफाईवाला, बियरर क्लीनर, कॉल-बॉय, कैंटीन-बॉय, वॉटर-बाय, माली, दर्जी, धर्वेली, दरबान, मसालची।

(सा) समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणी VIII एवं IX के लिए:

वर्ग-1 महा प्रबन्धक, प्रबन्धक तथा सचिव ।

वर्ग-2 विभागीय प्रसन्त्रक (जो परिकालन, विकापन विभाग, कार्मिक ग्रांदि का प्रभारी है) प्रमुख लेखाकार (लेखा-कार), इलैक्ट्रानिक इंजोनियर, पी. आर.ओ. (श्रेणी I, II, III IV एवं V समावार पत्र प्रतिष्टान।)

वर्ग - 3 धनुभागीय भ्रष्यक्ष (जो 5 लिपिकों के कार्य को देखता है), व्यवसाय कैस्वेसर, बिको प्रतिनिधि, मध्य लिपिक' प्रोग्रामर, कम्प्यूटर, प्रोग्रामर, वैयक्तिक सहायक) स्टैनो-सैकेटरी), सहायक ने बापाल, विशापन प्रतिनिधि।

टिष्पर्णाः इस नाग में दो गई सिकारियों गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्म-चारियों से ग्रन्य कर्मनारियों, जैसा कि अधिनियम में परिमाणित है यद्यपि उपर्युक्त 4 वर्गों में शामिल है लागु नहीं होगा।

वर्ग-4 भ्रामुलिपिक, सहायक लेखा लिपिक, कार्ड पंचिंग भ्राप-रेटर, ई डी भी श्रापरेटर, इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसैनर, वाच एवं बार्ड निरीक्षक, कैशियर, परिचालन निरीक्षक/ प्रतिनिधि, विज्ञापन भ्रानुवादक, वरिष्ठ लिपिक (भ्रयोत् जिसका कार्य विशेष कौशल का है) लेखा महीतों/संगणन महीतों तथा टेलीप्रिटरों के भ्रापरेटर, फील्ड धार्गेनाइजर तथा परिचालन के लेखा-परीक्षा क्यूरी करने वाले, विकापन पूफ रीडर, नर्स (पुरुष तथा महिला), भ्राटिस्ट (बाणिज्यिक एवं प्रोसेस)

वर्ग-5 किन्छ लिपिक (ग्रवांत् सामान्य लिपिकीय कार्यं करने वाले जिसमें विशापनों की स्वीकृति तथा प्रकाशनों की विक्री शामिल हैं) टाइम-कोपर' टाइपिस्ट, टेलोकोन धापरेटर, एवसोग्राफर, स्वागनकर्ता, फोंकग मशीन ध्रापरेटर, केटीन सुपरवाइअर, कनिष्ठ ध्राटिस्ट (वाणि-ण्यक एवं प्रोसेस), फायर मैन-सह सुरक्षा कर्मी।

वर्ग-6 बिल एकत्र करने वाला, सुरक्षा गार्ड, दफ्तरी या कुछ धर्घ लिपिकीय कार्य करने वाला, जीरीक्स धापरेटर, वाचमैन तथा डिलीवरी चपरासी।

वर्ग-7 चपरासी-एवं संवाह्य, चपरासी, सफाईवाला, बियरर, क्लीनर, काल-बाय, केंटीन-बाय, वॉटर-बाय, माली, दर्जी, प्रवंती, वरबान, मसालवी।

II. सभी समाचार प्रतिष्ठानों के लिए फैक्टरी स्टाफ

वर्ग-1 ए एंड वी सुपरवाहजर, कैमरा प्रापरेटर (प्रोसेंस एंड ऑफसेंट), कलर रीटजर, कलर सेपरेशन स्कैनर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डिस्प्ले विज्ञापन ग्रापरेटर, ऑफसेंट प्रिंटिंग फोरमैन, ऑफ नैट प्रिंटर, औफ मेंट रोटरी मैकेनिक, पो टी एस कन्द्रोलर, पीटो एस इंजीनियर, फोटो टाइप मैटिंग ग्रापरेटर-स्कैनर/स्कैनर ग्रापरेटर, मीनियर कैमरापैन, मृपरवाइजर (फाटो अम्पोर्जिंग) परिष्ठ वीडीटी ग्रापरेटर/वीडीटी ग्रापरेटर, टॉमनल ग्रापरेटर।

एयर कंडीलन प्लांट मफेनिक, अप्रीकर बाईडर, माटो वर्ग-1ए क्रीमरामैन, क्रोमाइड पेस्टर, कैमरामैन (भाफ सैट), कैमरामैन, प्रमुख प्रैस विज्ञापन सहायक, कलर इचर कलर पेस्टर, इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड आपरेटर की बीर्ड भ्रापरेटर, फिल्म धम्पोजिटर, फिल्म पेस्टर, फोरमन, जुनियर वी डी टी भापरेटर, कैटिक्स, लाइनो भापरेटर लाइन पेस्टर, माइको फिल्म तकनीसियन माइक्रो फिल्म यूनिट सहायक, मोनो मैंकेनिक, मोनो ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, नेगेटिव रीटचर नाइलों प्लेट मेकर, भाफमैट मशीनभैन, भाफसैट मैकेनिक, भाफसेट रिटचर, भाफमैट इंजीमियर, भाफसैट प्लेट मेकर, पेज मेकप्रय मैन (फोटो मैटिंग), पेस्टब्रप मैन/पैस्टमैन/पेस्टर/पेस्टब्रप बार्टिस्ट । फोटोग्राफर (प्रोसैस), प्लेटनकर (कलर) प्रेस विज्ञापन महासक, प्रिटर (फोर भैन कम्पोजिंग मुपरवाहजर), प्रोसैस वेनेपर, प्रिंटर, (भ्राफसैंट, फोटो कम्पोजिंग ए एंड की ग्रेंड, कम्पोर्जिग) पीटी एस मैकनिक, पीटीए सीनियर की बोर्ड मापरेटर, रीप्रोटर फोटोमाफर, रोटेरी मैं फेनिक, सीनियर इम्पोजीटर, सीनियर मैकेनिक, मोनियर पेस्टर, सीनियर प्रिटर, सीनियर रीटचर, सुपरवाइजर, सूपरवाइजर (साप्ताहिक कार्यं तथा भ्रन्य भ्रनुमाग को कम्पोज करने वाला) टी.टी.एस, ग्रापरेटर।

मुप-2 ए पी एल भापरेटर, सहायक कैमरा मापरेटर, सहायक कलर प्रिटर, सहायक प्लेट मेकर (कलर), सहायक ले-भाउट मैन, सहायक फोरमेन, सहायक प्रिटर, स्लाक-रूम महायक, स्लॉक रूम मैन बोमाइड डिवेलपर (पी टी एम डिवेलपर), कैमरा भापरेटर, कलर प्रिटर, कान्टेक्ट भापरेटर/कान्टेक्ट प्रिटिंग भापरेटर, कल्वेयर स्ट्रीकंट मणीनमैन, कोरेक्टर, उपफोरमैन (गिलोटीन), इन्मेंबर, एनलाजेर भापरेटर, काइलिंग

सहायक, फतागमैन, योनिंग मशोनमैन, प्राफटीन एचर, है डिंगमैन, इम्पोजर, इम्पोजिटर, ज्वांनर, जूनियर लाइनों मैकेनिक, जूनियर प्रिटर, लुइलो प्रापरेटर, मैक-अप मैन, आफ सैट प्लेट मेकर, पेजमैन/अिसस्टेट पेस्टल, मैटल, प्रिटर, प्रापरेटर कलर (उच्च कौंगल) फोटो ग्राफर मगीनमैन, फोटो नैटरिंग मशीन आपरेटर, प्रांमैंम अिसस्टेंट, प्रोसेंस प्रिटर, प्रूंफिंग मशीनमैन (आफसैट) पी टी एस की-बोर्ड आपरेटर, रीटचर, रीटचर, रीलस्टार मशीनमैन, रोटेरी मशीनमैन, सारंग, मीनियर मशीनमैन, स्टीरियो क्लोकमैन, स्टीरियो कास्टर, स्टीरिया कास्टिंग हैइमैन, स्टीरियो कास्टर, मीनियर मशीनमैन, स्टीरियो कास्टिंग हैइमैन, स्टीरियो फायरमैन, मोल्डिंग मैन, स्टीत्यो कास्टिंग हैइमैन, स्टीरियो फायरमैन, मोल्डिंग मैन, स्टीत्यो कास्टिंग हैइमैन, स्टीरियो प्रायरमैन, मोल्डिंग मैन, स्टीत्यो कास्टिंग मैकेनिक, 202 प्रोसेसर।

एयर कंडीशन प्लांट कलोनर, सहायक मुकद्दम, सहायक वर्ग-3 प्रिटिंग मशीनमैन (सभी श्रेणिया), कॉस्टर, बढ़ई, चॉर्ज हैंद्र (पलेटिया), चिपर या रूटर, कलर वर्क प्रुफिंग प्रैसमैन, कापी होरडर, कटर, साइकिल मिस्त्री, डार्क रूम महायक, ड्राइवर, ई. 1-रॉड ग्रापरेटर, इनैक्ट्रीशियन, फिटर, हैमरमैन, हैंड कम्पोजिटर, हैंड प्रैसमैन, जूनियर मगीनमैन, मगीनमैन (रोटेरी मशीनमैन को छोड़कर) मणीनमैन (प्रिंटिंग कं भ्रतिरिक्त) मंगलमैन, मेसन, मैटल कास्टर, मिस्त्री, मोनोकास्टर, मोल्डर, समाचार वफ्तरी, घॉफ-सैट इंकमैन, श्रापरेटर (ब्लैक एंड व्हाइट), पेंटर, ब्रार्ट विभाग में वेस्ट-ग्रप मैन, प्रोट मेकर (ब्लैक एंड व्हाइट) प्लम्बर, प्रेसेसिटाइल्ड 'लेड मेकर, यार.सी. या फिल्म प्रोसैसर प्रापरेटर, रोलर मेकर, रोटेरी मुकद्दम, रूलिंग मशीनमैन, सीनियर चार्जहेंड, साहन राइटर, स्टोर मुकट्टम, टर्नर, वायरमैन, बैस्डर, स्टो रियोमैन ।

वर्ग-4 महायक इनैक्ट्रिशियन, सहायक टर्नर, सहायक बेल्डर (गनी 5 वर्ष की सेवा सहित), लोहार, कुक, कटिंग मशीनमैन, डी-प्रैसमैन, वितरक, ट्रीडलमैन, लाइन इचर।

यर्ग-5 बॉलर मुक्तइस, बारमैन, बाइंडर, केल रूस क्लीनर, कलर-वर्क परीक्षक, कांउटर, दक्तरी, धोबी, फीडर, फ्लाई-बॉय, गैली प्रैसमैन हवलवार, हैंड-चपरासो इंटर ले कटर, जमाद्यार, नाइफ मापेंनर, लैंड मेल्टर, लिफ्टमैन, लाइनो-क्लीनर लॉक-प्रप मैन, माउंटर, मोनो-क्लीनर, नम्बरर पैकर पेपरमैन, फ्लेट ग्राइन्डर, प्रूफ पुलर, रील माइंडर, रोलरमैन, ग्राग्रं-कुणल बॉलर, स्टोर-पेपर काउंटर, स्टिचर, ब्लीलर, (रोटेरी क्लीनर) सभी ग्रन्य ग्रर्थ-कुमल सहायक, क्लीनर तथा हेल्पर चाहे उनका कोई भी नाम हो।

वर्ग-6 बॉलर, वाइंडिंग बॉय, मजदूर, रियललोडर तथा श्रनलोडर ट्रॉलीमैन, प्रुफ मैसेंजर।

15. उपर्युक्त श्रेणियां वे श्रेणियां है जो सामान्यतः समाचार प्रतिष्ठानों में पाई जाती हैं। कुछ समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने भ्रन्य श्रेणियां सृजित की हैं जो उन संबंधिन प्रतिष्ठानों के लिए विशिष्ट हैं तथा भ्रम्य प्रतिष्ठानों द्वारा सामान्यतः भनिवास नहीं मानी जाती। जहां कहीं किसी प्रतिष्ठान में किसी क्यक्तिगत श्रेणी को पहले ही उच्च वस में निर्धारित किया गया है तो उसे निष्मन वस में नहीं रखा जाना चाहिए।

16. किसी समाचार पत्न प्रतिष्ठान के लिए उपर्युक्त वर्तों में उल्लिक्त किसी एक या सभी श्रीणयों को लागू करना बाध्यकारी नहीं है। कुछ श्रीणयों के कार्य एक समान हो सकते हैं, उस मामले में कर्मचारियों को ऐसी उच्च श्रेणी का माना जायगा जिसके वह कार्य मामान्यतः निष्पावित कर रहा है। श्रव्य मामलों में, कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के श्राधार पर कर्मचारियों की श्रणी का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा इस श्रेणीकरण के लिए पदनाम या नैमिनिक या श्रनियमित कार्य को नहीं गिना जाना चाहिए।

खण्ड---1V

पारिश्रमिक

17.1 वेतन, चेतनमान तथा ग्रेड:

समाचार पत्न प्रतिष्ठानों की विभिन्न श्रेणियों में निभिन्न वर्धों के समाचार पत्न कर्मनारियों को इसके साथ संलग्न सारणी 1 में दर्शाए गए वेतनमानों के धनुसार प्रति माह मूल वेतन दिया जाना चाहिए।

- 17.2 प्रथ्येक ग्रंभ-कालिक संवादवाताको समान स्तर पर पूण कालिक संवादवाता के लिए लागू मूल वेतन + मंहगाई भत्ता के एक-तिहाई से कम नहीं दिया जाना चाहिए। इसके ग्रांतिरिक्त, उसे ग्रदायती कालम ग्राधार पर की जानी चाहिए। परन्तु कोई भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान किसी ग्रंभकालिक संवादवाता पर कोई रोक नहीं लगाएगा कि पूर्ण-कालिक नियुक्ति होने तक वह एक समाचार पत्र से ग्राधिक में काम नहीं करेगा। महेगाई भत्ता:
- 18. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नई श्रृंखला घपनाए जाने तक मौद्योगिक श्रमिकों की मौसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (प्राधार 1960⇒100) का प्रयोग कीमन बढ़ने के लिए कर्मचारियों की शतिपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाना जारी रहे।
- (2) उपर्युक्त मून्य वृद्धि के लिए श्रांतपूर्ति का भुगतान तिमाही सूचकांक ग्रीमत 722(1960=100) से ग्रीधक के लिए किया जाएगा जिमसे यहां मिफारिश किए गए वेतनमान संबंधित हैं।
- (3) उस निमाही जिसके लिए ग्रीसत सूचकांक का प्रयोग मंहगाई भन्ते की दरें निर्धारित करने के लिए किया जाना है, के ग्रांकड उपलब्ध होने पर अनिपूर्ति की स्वीकृति दे दी जाए। मंहगाई भन्ता के तत्काल बाद मूक होने वाली तिमाही के ग्रारम्भ से देय हो जाएगा। उस तिमाही जिमे तिमाही के लिए ग्रीसत सूचकांक ग्रांकड़ों का प्रयोग मंहगाई भन्ते की दर निर्धारित करने के लिए किया गया है।
- (4) 1230 रु. तक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के प्यूड़ंलाइजीणन दर 100 % होगी। 1251 रु. से 2000 रु. तक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए इसे 75 % कर दिया जाएगा, 2001 रु. से 3,500 के बीच प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 60 %, 3501 रु. से 5000 रु. तक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 45%, तथा 5,001 रु. तथा प्राप्तिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 45%, तथा 5,001 रु. तथा प्राप्तिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 35%:-1
- (5) प्रान्धन भारत मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सं. 752(1960=100) के संवर्ष में महंगाई भक्त की संगोधित वर्षे श्रणी 1-ए से V के लिए 1-4-1988 से जनवरी से मार्च, 1988 के लिए उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 752 (1960=100) की तुलना में ग्रौमन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के ग्राधार पर लागू होंगी त्या श्रेणी VI से IX के लिए 1-4-89 से जनवरी-मार्च, 1989 की निवाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 752 (1960=100) की नुवना में ग्रौमन उपभोक्ना मूल्य सूचकांक (1960=100) के ग्राधार पर लागू होंगी।

@ **₹**--V

भ्रन्य भनेः

- 19. (म) मकान किराया भत्ता :—इसके माथ संलग्न तालिका III में दर्शाया गया मकान किराया भत्ता भी इसमें उल्लिखित समाचार पत्न प्रतिब्दानों द्वारा मंत्रीव्रत क्षत्रों में तैनात कर्मचारियों की दिया जाएगा, पर्ग्नु:---
 - (1) जर्जा कियो कर्मवारी की समाचार पत्र प्रतिष्ठान द्वारा रिहायशी ग्रावास दिया गया है, उसे कोई मकान किराया भत्ता नहीं दियाजाएगा। ∰

- (3) जहां कोई समाचार पक्ष प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी की घोर से कर्मचारी के घपने खिलायणी घावाम लेने में किसी प्रकार की घनराणि की सहायता करता है तो इस घनराणि को इस उपबन्ध के ग्रन्तगंत देय मकान किराया भत्ते के साथ समायो-जित किया जायगा।
- (ख) नगर प्रतिपूरक भत्ता :—इसके साथ संसन्न सारणी IV में दर्शाया गया नगर प्रतिपूर्ति भन्ना इसमें उल्लिखित समाचार-पक्ष प्रतिष्ठानो द्वारा संबंधित संडलों में सैनान कर्मबारियों को विया जाएगा।
- (ग) राश्रि पारी भत्ताः—िकसी कर्मचारी को राति पारी भत्ते का भृगतान सारणी V में वर्षाई गई दरों पर किया जाएना।

च3~√I

20. फ़िटमैंट नियम :--(1) फ़िटमेंट नियम के प्रयोजनार्थ "कर्म चारी" से तात्पर्य पत्रकार या ग्रैर-पत्रकार समाचार पत्न कर्मचारी से हैं।

- (2) किसी कर्मचारी की "बर्तमान परिलिष्धयों" से तार्ष्य उसके मूल बेनन, उपभोक्ता मृत्य सूचकांक 752 (प्राधार 1960 = 100) पर परिवर्तनीय महुँगाई भना नया भारत सरकार, श्रम मंत्रालय बारा जारी दिनांक 30 मई, 1996 की अधिसूचना के अनुसरण में दी गई अंत रिम राइत दै।
- (3) (क) किसी कर्मवारी की "श्रिनिष्क परिलक्षियों" से तास्त्रयं सामूहिक समझौते करार, भणवा श्रिधिनिणंश के परिणाम स्वरूप मूल वेतन, महंगाई भल या श्रिनिरम राहुन में वृद्धि के रूप में समाचार पत्न श्रीतब्दान द्वारा प्रवत्त केतन से हैं जो नियम (2) में उत्तिविद्यत "वर्तमान परिस्रविद्यों" के श्रीतिरिक्त हो।
- (ख) किसी कर्मचारी ''ग्रिनिरिक्त भरों'' का तास्तर्य किसी सासिक ध्रदायनी से हैं चाहूं उसको कुछ भी नाम दिया हो, तथा जो न तो किसी चिणिट प्रवोजन से संबंधित हैं नथा न हो इसे किसी बेतन संबोधन या सहुंजाई चल्ते के लिए समायोजिन करने पर सहमति दी जाएगी।
- (4) ''संशोधित पेश्नमान'' का ारण्यं वह वेश्नमान है जो किसी कर्मचारी पर इन मिफारिशों के मनुसार लागू होता है।
- (5) (क) संगोधित जैतनमान सभी श्रेणियों के लिए 1 जनवरी, 1988 जिसे इसके पश्चात् संबद्ध निधि कहा जाएगा, से लागू होंगे।
- (ख) तथापि, 1-1-1988 में 31-12-88 की प्रशिक्ष के लिए श्रेणी VI से IX से संबंधित सभाचार पक्ष प्रतिष्ठानों के कर्मचारी वेतन की सहायाँ राशि पाने के हकदार महीं होंगे।
- 6 वर्तमान परिलिध्यमां वाले प्रत्येक कर्मचारी को संबद्ध तिथि से संशोधित वैतनमान में लाया जाएगा तथा उमे उस वेतनमान में उपर्युक्त स्थान पर, या तो वेतनमान के झारिक्षक नए स्यूनतम पर या झारिक्षक में उत्पर्यक्ष में उत्पर्यक्ष में अपर, जैसी भी स्थित हो, फिट किया जाएगा,।
- (7) यदि किसी कर्मनारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित वेतम-मान के न्यूनतम से श्रधिक हो किन्तु संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के लेबल पर न हों, उसे उससे नश्काल ग्रगला लेबल दिया जाएगा।
- (8) इसके अतिरिक्त प्रस्येक कर्मचारी को संबद्ध तिथि से तस्काल पहले धारित पद से प्रस्येक 3 साल की पूर्ण सेवा के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दो आएगी परम्तु:--
 - (1) संबंधित कर्मचारी द्वारा किसी भी भ्रन्य पव जिसके बेतनमान का स्पृत्तम उस वेतनसान जिसमें क्षमंचारी ने संबद्ध तिथि

से पुत्रं कार्य फिया हो, के शानश्म से क्षप परन्तु 25% से श्रक्षिक नहीं हैं, पर को गयो सेवा को भी हिमाब में लिया जाएगा।

उदाहरण-1

श्रम-जोबी पत्नकार जो 1-1-88 से पहले 900-2200 र. के बेनन-मान में श्रेणी 1 समाचार पत्न प्रतिष्टान में वर्ग 3 में कार्यरन थे, की वेतन-बृद्धियों की संख्या जिनका वह ह्वारार है, को निर्धारित करने के लिए श्रम-जोबी पत्नकार द्वारा इस जेननमान में की गई सेव. ही नहीं बल्लि 850-2060 र. के बैसनमान में वर्ग 3 श्रेणी II में की गई सेवा तथा 700-1425 र0 के बेसनमान में वर्ग 4 श्रेप्रो I में की गई सेवा को मो गणना की जाएंगे क्योंकि 850 र. तथा 700 र. 900 र. से कम है लेकिन यह कमी 900 र. के 25% वे श्रिधित नहीं है।

उवाहरण--2

गैर-पलक्षार (प्रणामनिक) कर्मनारी जो 1-1-88 से पहले 700-1300 द. के देननमान में वर्ग 4 श्रेगो 1 में मनावार नज प्रनिष्ठान में कार्यरत हैं, को वेनन-वृद्धियों की संख्या जिनका वह हकदार है का निर्धारण करने के लिए कर्मनारी द्वारा केंद्रल इसे बेननमान में को एई सेवा ही नहीं बल्लि 665-1305 द. के वेननमान में वर्ग 4 श्रेणो II में की गई सेवा तथा 610-1030 द. के वेननमान में वर्ग 5 श्रेणो 1 में की गई सेवा को भी गणना को जाएगी क्योंकि 700 द. से 665 द. तथा 610 द., कम हैं लेकिन यह कमी 700 द. के 25% से प्रधित महीं है।

उदाहरण--3

गैर-पन्नकार (फैक्टरो) कर्मचारियों जो वर्ग 4 श्रेणी 1 में 590-1110 र. के बैतनमान में कार्यरत हैं, सो बैतन-वृद्धियों को संख्या, जिनका वह हकदार है, का निर्धारण करने के लिए कर्मचारो द्वारा केवल इसो बेतनमान में की गई सेवा ही नहीं बल्कि 570-1090 र. के वैतनमान में वर्ग 4 श्रेणी II में की गई सेवा तथा 540-968 र. के वेतनमान में वर्ग 5 श्रेणी I में की गई सेवा को भी गणना की जाएगी वर्षों कि 590 र. से 570 र. तथा 540 र. कम है लेकिन यह कमो 590 र. के 25% से मधिक नहीं है।

- (ii) बैतन-वृद्धियों की कुल संख्या दो से प्रधिक नहीं होगी।
- (iii) किमी कर्मवारी को संसोधित वैतनमान के प्रधिकतम से ज्यावा नहीं मिलेगा।
- (iv) किसी भी हायत में किडमेंड या इन सिफारियों में दिए उपबन्धी के लागू होने के परिणामस्वकप वर्तमान उपनिध्यों के जोड़ को कम नहीं कियों आनी चाहिए यदि कुछ बकाया हो तो उसे वैयक्षिक बैनन माना जाए जो मानी वैक्तवृद्धि में समायोजित किया जाए।
- (9) इन मिफारियों से उन मातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनसे उपर्युक्त नियम (3)(क) में उल्लिखित "प्रतिरिक्त परिलक्षियां" स्थीकृत की गई थी।
- (ख) नियम (3)(ख) में उल्लिखित "श्रीतिनिक्त मलों" को वैयमितक में सम माना आएगा जिन्हें संमोधित वैतनमानों की भावा रेतनवृद्धि में समा-योजित किया आए।
- (10) सशोधित बैतन-मान सम्मं कर्मनियों के लिए मंदर नारीख़ से लाग होंगे। परन्तु यदि कोई कर्मनारी मरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ से तीन सप्ताहों के अन्वर इन मिफारियों लाग होने पर अपने विद्यामान बैतनमान तथा वर्तमान परिलक्षियों के

को पित्रारित करता चाहता है तो वर्श घरते विश्वमात तेतत्रभाव ताः "वर्तभात परिलब्धियों" को प्रतिधारित करते का दृक्कार होता।

- (11) जब किसी समाचार पत्र प्रतिष्ठात को उक्त पैरा 13 के प्रत्नांत पुनः वर्गीकृत किया जाता है तो कर्मचारी को उम श्रेणी के लिए उपपृत्त संगीधित वेतनमान में फिट किया जाता चाहिए। जब मूल वेतन उन श्रेणी के मंगीधित वेतनमान में किसी स्तर पर मेल न खाता हो तो कर्मचारी को उस समय श्रेणले उच्च स्टेज पर किट किया जाता चाहिए, जब वर्गीकरण उत्तर जा रहा हो तथा निचने स्तर पर नव फिट किया जाता चाहिए जब वर्गीकरण कम बैठता हो। बाद के मामले में, उच्चतर विद्यान मूल वेतन की प्रोटैक्ट किया जाता चाहिए या तिव्यान मून वेतन तथा जिय वेतन में उसे फिट किया गया है, उसके श्रेतर को वैयक्तिक वेतन माना जाए श्रयवा उसे मात्री वेतनवृद्धियों में ममायोजिन किया जाए।
- (12) जब किसी कर्मैचारी को इन नियमों के उपबन्धों के अनुमार मंबद्ध निधि का किसी बेननमान में फिट किया जाता है, तो वह उपयुक्त बेननमान में उस निधि से येननवृद्धियों की गणना करने का हरुदार है जिससे कर्मवारी बेनन वृद्धि लेना परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत अनती फिटमेंट के कारण नहीं ने सका।
- 21. किसी कर्मकारी को प्रयती शिश्रुता अवधि के दौरात उस पर, जिसके जिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है, पर लागू मूल वेतन तथा महंगाई भन्ने का 60% बृत्तिका के रूप में दिया जायेगा।
- 22. किनी त्रिणिन्ट समाचारणत्र प्रितिष्ठात पर लागू स्थायी ग्रावेणों के उाबस्थों के श्रवीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को एक वर्ष से भ्रनिधिक भ्रविध के लिए परिवीक्षार्थी के रूप में नियोजित किया जा मकता है जिसके दौरात उसे प्रतिष्ठात की उस श्रेणे तथा समूह, जिसका वह परिवीक्षार्थी है, पर लागू वेतनमान के न्यूनतम उस पद के साथ संबंध मतों सहित, से कम की श्रदायगी नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचारो किसी उच्चतर पद पर परिक्षार्थी के रूप में कार्य करता है भीर यदि वह उच्चतर पद के न्यूनतम से श्रविक वेतत ले रहा है, तो उमे रिवीक्षाउधि के दौरान निम्न पद के वेतन के ग्रितिस्थन उच्चतर न्यूनतम वेतनमान का 10% मिलेगा।

लाग होने की तिथि

- 23 (1) पैराग्राफ 20(5)(सा) के उपबन्धों के ग्राधीन रहते हुए संकोधित वेतनमान से संबंधित सिफारिशों संबद्ध तिथि श्रणीत् 1-1-88 मे लागू होंगी।
- (2) महंगाई भत्ते से संबंधित निफारिकों श्रेणी 1 क में V के लिए 1-4-88 से लाग श्रेणी VI में IX के लिए 1-4-89 से लागू होंगी।
- (3) ग्रेष मिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा धारा 12 के भन्तर्गत मिफारिशों को प्रभावी करने के आदेश की तिथि में नागू होंगी।

बकाया का भूगतान

24. पैराग्राफ 18(5) तथा 20(5) में किए गए प्रावधान के प्रनुमार पहले की सारीख में सागू किए जाने के परिणामस्थरूप बकाया का भुगतान, यिव कोई हो, वो से अधिक किस्तों में अधितियम की घारा 12 के भ्रान्तगैन केन्द्र सरकार के प्रादेश के प्रकाशन की निथि में 9 माह के भीतर किया जाना चाहिए।

ध्रमुसूची--I

वर्ग--- 1

"कार्यकारी सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार पत्न के सम्पादन कार्यों तथा प्रकाशन कार्यों में सहयोग करता है, चाहे वह रेजिडेंट सम्पादक, सहायक-सम्पादक ग्रादि के कार्य का निरीक्षण करता है या नहीं।

"रेजिडेंट सम्पादक" बहु व्यक्ति है जो उस श्रेणी के श्रतिरिक्त जहां से समाचार पत्र मूल रूप से प्रकाशित होता था, से दूसरे केन्द्र में समाचार पत्र के सम्पादक के कार्यों का निष्पादन करता है।.

"सह-मन्पादक" या "मंयुक्त सम्पादक" या "उप-सम्पादक" वह अवस्ति है जो सामान्यतः सम्पादक के कार्य निष्पादन में सम्पादक की सहायता करता है ।

वर्ग--- 1 यो

"सहायक सम्पादक" वह व्यक्ति है जो नियमित रूप मे टीका-टिप्पणियों तथा राय से संबंधित प्रपने कर्तव्यों को करने में सम्पादक को सहयों। करना है तथा सम्पादकीय निखना है तथा पुनरीक्षण, टिप्पणी या भानोजना से संबंधित ग्रम्य प्रति भी तैयार कर सकता है।

"सम्पादकीय लेखक" बहु व्यक्ति है जो नियमित क्य से सम्पादकीय लिखता है तथा पुनरीक्षण, टिप्पणी या ब्रालोबना से संबंधित ब्रन्य प्रति भी तैयार कर सकता है।

"समाचार सम्पादक" वह क्यक्ति है जो समाचार विभाग के कार्य का समन्वय तथा निरीक्षण करता है तथा समाचार पत्न के सभी सस्करणों के समाचार विषय के लिए उत्तरदायी है।

"समाचार ध्यूरो का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो समाचार व्यूरो के कार्य का निरीक्षण करता है तथा ब्यूरो के सदस्यों का कार्य निर्धारित करता है।

"तिशेष संवादवाना" वह व्यक्ति है जिसके कर्तव्यों में नियमित रूप से जो केन्द्र सरकार के मुख्यालय या विदेशी केन्द्र में अधिकृत मंबादवाता अथवा अन्यया के रूप में अपने कर्तव्यों में नियमित रूप में संसद् संबंधी, राजनीतिक तथा मामान्य महत्व के सभी समाधारों की रिपोर्ट देना तथा उनका प्रतिपादन करना शामिल है या जो एक से अधिक राज्य अथवा ऐसी किमी अन्य स्थान पर इसी प्रकार के कार्य नियमित रूप से निस्पादिन करता है।

बर्ग 2

"उप या महायक समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सम्पादक को सामान्यतः उसके कार्य करने में सहायता करता है सया या नगर संस्करण प्रकाशित करने का इन्चार्ज है।

"प्रमुख रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र में सभी रिपोर्टनों का इंचार्ज है, उनके कार्य का निरीक्षण करता है तथा विधायी, राज-नीतिक या सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्ट तथा व्याख्या भी नियमित रूप से देता है !

"प्रमुख उप-सम्पादक'' वह व्यक्ति है जो समाचार बैस्क पर पारी कार्यभार ग्रहण करता है, एक या ग्रधिक उप-सम्पादकों के कार्य का भावंटन तथा निरीक्षण करता है तथा समाचार पत्न या उसके किसी विशेष संस्करण या उसके मांग में समाचार स्थान के निर्धारण के तथा समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उसरदायी है। 2418 GI/89—2

'खेल-कूद संबंधी सम्पादक'' समाचार पत्न के खेल-कूद प्रनुभागका इन्वार्ज है, खेल-कूद संबंधी समाचार तथा सम्बद्ध क्रियाक्सापों पर कार्यवाशी करता है तथा एक या प्रधिक रिपोर्टरों सथा एक या प्रधिक उप-सम्पादकों के कार्य का निरीक्षण करता है तथा सामान्यतः समाचार के स्थान तथा खेल-कूद संबंधी समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उन्तरसंगी है।

''वाणिज्यिक सम्पादक'' वह व्यक्ति है जो वाणिज्य, वित्त, व्यक्साय मथा उद्योग से संबंधित समाचार तथा विचारों पर कार्यवाही करता है तथा उन पर टिप्पणी करता है तथा एक या अधिक रिपोर्टेरों के कार्य का आवंटन तथा निरीक्षण करता है।

"फिल्म सम्पादक" वह व्यक्ति है जो फिल्मों तथा मंच से संबंधित समाचार तथा विजारों पर कार्यवाही करना है तथा मंच एवं चलजिस के बारे में विशेष कालम या पृष्ठ का इंचार्ज है तथा एक या श्रधिक श्रमणीवी पत्रकारों के कार्यका निरीक्षण करना है।

"पित्रका सम्पादक" बहु व्यक्ति है जो समाचार के साहित्यिक या मनोरंजन निषयों से संबंधित समाचारों तथा विवारों पर कार्यवाही करता है तथा साहित्यिक या ऐसे घन्य सम्बद्ध निषयों के संबंध में निशेष कालमों या पृष्ठ का इंचार्ज है तथा दो या प्रधिक श्रम-जीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

"व्यंग्य चित्रकार" वह व्यक्ति है जो व्यंग्यों तथा उपहासिवां के माध्यम से समाचारों तथा घटनों पर टिप्पणी करता है।

"मांख्यिकी या अनुसंधान प्रभाग का प्रमुख"

सांख्यिकीय या धनुसंधान प्रमाग का इंचार्ज **है जो विसीय समााचर** पन्न में बाणिज्य, विस्त, व्यवसाय तथा उद्योग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करता है तथा एक या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

"प्रमुख समाचार फोटोग्राकर" वह व्यक्ति है जो एक या प्रधिक ममाचार फोटोग्राकरों के कार्य का फ्राबंटन तथा निरीक्षण करता है।

"प्रमुख पुस्तकाध्यका" या "प्रमुख मूची सहायक" या "प्रमुख कैली-ग्राफिस्ट" या "प्रमुख ग्राटिस्ट" वह व्यक्ति है जो कमशः एक या ग्रधिक पुस्तकाध्यकों, सूची सहायकों, कैलीग्राफिस्टों या भ्राटिस्टों के कार्य का निरीक्षण करता है ।

"प्रमुख संबाददाना" यह संवाददाता है जो राज्य सरकार के द्वारा प्रधिकृत है तया संबाददाता यह व्यक्ति है जो विशेष संवाददाता तथा अन्य अनुसागीय या बैच प्रमुखों के अप्तावा केन्द्र सरकार द्वारा प्रधिकृत है।

वर्ग 2 ए

"उप प्रमुख उप-सम्पादक" या "वरिष्ठ उप-सम्पादक" शह ध्यक्ति है जो प्रमुख उप-सम्पादक को उसके कर्सव्यां के निष्पादन में नियमित रूप से महायता करता है तथा उसकी धनुपस्थित में उप-सम्पादक के स्थान पर कार्य करता है।

"प्रमुख उप रिपोर्टर" या "वरिष्ठ रिपोर्टर" मह ष्यक्ति है जो प्रमुख विपोर्टर की सहायका करता है तथा उसकी धनूपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करना है।

"विरिट्ट संवाददाता" बह व्यक्ति है जो विशेष या प्रधान संवादवाता के व्यतिरिक्त है जिसके कर्त्तव्यों में प्रकाशन के के₂द के व्यतिरिक्त किसी केन्द्र में मुख्य समाचारों के संबंध में रिपोर्टिंग करना सम्मिलित है तथा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। "वरिष्ठ कैलीग्राफिस्ट" "वरिष्ठ ग्रांटस्ट" "वरिष्ठ पुस्तकाझ्यक्ष" नया "वरिष्ठ सूची सहायक" वे व्यक्ति है जो काना प्रमुख कैलीग्राफिस्ट प्रमुख श्रांडस्ट प्रमुख पुस्तकाध्यक्ष तथा प्रमुख सूची सहायक को सहयोग देना है तथा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो।

वर्ग 3

"उप-सम्पादक" बह व्यक्ति है जो सभी विषय-क्षेत्रों के समाचार मवीं को प्राप्त करने, खयन करने, छोटा करने, संक्षिप्त करने, निस्तृम करने अनुवार करने तथा सम्पादित करने का काम करना है तथा मुख्य शीर्ष देसा है और इनमें से कुछ या मशी कार्य कर सकता है।

"रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो किसी विशेष फेन्द्र में समाचार एकल सथा प्रस्तुत करता है।

"संवाददाता" यह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र के श्रांतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से सभाकार एकत्र करता है तथा इसे वायरलैस डाक या अन्य साधनों द्वारा भेजता है।

"समाचार फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो फोटोग्राफों के माध्यम से जनहित की समाचार घटनाओं को सम्मिलित करता है।

"माटिस्ट" वह व्यक्ति है जो चित्रों मिलियासीं, नक्शों ग्राफीं या भ्रन्य समान प्रकार के मलंकरणीं किसी प्रकार के उदाहरण या रचनात्मक अध्या के प्रकाणन तैयार करना है। यह इन कार्यों में से कुछ या सभी कर संधनाहै।

"कैलीग्राफिस्ट" एक ऐना भलाकार है जो पद्माकिरता संबंधी कार्य तथा कैलीग्राफ मामले भी निष्पादित करता है ।

"पुन्तकाध्यक्ष" या "सूजी सहायक" वह व्यक्ति है जो ऐसे समाचारों तथा विचारों में संबंधित रिकार्ड तैयार तथा अनुरक्षित करता है जो पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है या प्रचलित कहानियां उनके स्थान पर मरते हैं। इनमें से किसी भी कार्यको न करने वाले व्यक्तियों को इसमें सामिल नहीं किया जाएगा।

"प्रमुख पूफ रीडर" एक या अधिक रीडरों के कार्य का माजेटन सचा निरीक्षण करता है श्रीर पारी का इन्वार्ज है।

धर्गे उए

"प्रूफ रोडर" वह ब्यक्ति है जो सम्मादक की प्रति से प्रूफ की मुद्रित सामग्री को जांच करता है ताकि पूर्ववर्ती की उत्तरवर्ती के साथ प्रनुक्ष्यता को सुनिश्चित किया जा सके । बास्तविक विसंगतियों, वर्त-नीकी स्लिपों व्याकरण की प्रशुद्धियां एवं वाक्य रचना की गल्तियों का भी उसके द्वारा पता लगाया जाता है तथा उण्हें वह या तो स्थयं सही करता है या सही करवाता है।

व्यमजीवी पत्रकार

स्यापना वर्ग	कर्मचारियों का समृह	वेतनमान	व र्षे
(1)	(2)	(3)	(4)
(100 करोड़र. समा उससे ग्रिधिक)	1 1等	कोई जेतनसास महीं 4400-330-5720-375-7220-425-425-8920 घ. (4) (4) (4)	12
	1₹¶	3900-210-4740-250-5740-290-6900-330-8220 रु. (4) (4) (4) (4)	16
	2	3475-160-4275-180-5175-200-5975-220-6855 . (5) (5) (4)	18
	2 斬	2755-140-3455-160-4255-180-4975-200-5775 च. (5) (5) (4) (4)	18
	3	2485-115-3060-130-3710-145-4435-160-20-5235 ₹. (5) (5) (5) (5)	20
	3 -4 7	2090-100-2590-110-3140-120-3740-130-4390 ह. (5) (5) (5) (5)	20
	4	1775-75-2150-80-2550-85-2975-90-3425₹. (5) (5) (5) (5)	20
(50 करोड़ तथा उससे मिक्क)	1	कोई , बेरानमान महीं	
1	1 भ	4240-280-5360-330-6680-375-8180 · . (4) (4) (4)	12
	1 प्र	3700-190-4460-210-5300-250-6300-290-7460 ፍ. (4) (4) (4)	16
	2	3350-160-4150-180-5050-200-5850-220-6730 T. (5) (5) (4) (4)	18

(1)	(2)	(3)	(4)
	247	2840-140-3340-160-4140-180-4860-200-5660 হ.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	3	2380-115-2955-130-3605-145-4330-160-5130 च.	20
		(5) (5) (5)	
	3क	2000-100-2500-110-3050-120-3650-130-4300₹.	20
	4	(5) (5) (5) (5) 1700 - 70-2050-75-2425-80-2825-85-3250 % .	20
	•	(5) (5) (5) (5)	20
II			
(20 करोड़ तथा उससे ग्रधिक	1	कोई वेतनमान नहीं	
लेकिन 50 करोड़ द.	1事	4100-230-5020-280-6140-330-7460-7,	12
से कम)		(4) (4)	
	1 ख	3500-160-4140-190-4900-210-5740-230-6660 ₹.	16
		(4) (4) (4)	
	2	3225-145-3950-160-4750-175-5450-190-6210 च. (5) (5) (4) (4)	18
	2軒	2520-125-3145-140-3845-160-4485-180-5205 ₹. (5) (5) (4) (4)	18
	3	2275-100-2775-115-5350-130-4000-145-4725 t.	90
	3	(5) (5) (5) (5)	20
	3₹	1900-90-2350-100-2850-110-3400-120-4000 ह.	20
		(5) (5) (5)	
	4	1698-63 1480-76 2300-75-2675-80-3075	20
		(5) (5) (5)	
III		>5.5	
(10 करोड़ तथा उससे प्रधिक) लेकिन 20 करोड़ र. से	ो 1 क	कोई जैतनमान नहीं 3860~190~4620~230~5540~-270~6620 र.	. 0
कम)	1.40	$(4) \qquad (4) \qquad (4)$	12
,	1 আই	3300-140-3860-160-4500-180-5220-200-6020 ₹.	16
		(4) (4) (4)	10
	2	3100-120-3700-135-4375-150-4975-175-5673 t.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	2	2400-110-2950-120-3550-140-4110-160-475) ¹⁷ ,	18
		(5) (5) (4) (4)	
	3	2170-95-2645-100-3145-115-3720-130-4370 व.	20
		(5) (5) (5)	
	3क	1800-80-2200-90-2650-100-3150-110-3700 V.	20
		(5) (5) (5)	
	4	1550-60-1850-65-2175-70-2525-75-2900	20
IV		(5) (5) (5)	
ाण (ठकरोड़ क. सथा उससे	1	कोई वेतनमान गहीं	
द्राधिक लेकिन 10 करो इ	147	3650-160-4290-190-5050-220-5930 €.	12
इपए से कम)		(4) (4)	
	1 T	3075-125-3575-140-4135-160-4775-180-5495 र.	16
		(4) (4) (4)	
	2	2875-110-3425-120-4025-135-4665-150-5165]5.	19
		(5) (5) (4) (4)	

		THE GREETLE OF INDIA : EXTRAORDINARY	Transfer and the second
(1)	(2)	(3)	(-4)
	2*দ	2170-105-2695-110-3245-120-3725-140-4285 ¹ (5) (5), (4), (4)	18
	3	$2060-90-2510-95-2985-100-3485-110-4035 \overline{\epsilon}$. (5) (5) (5) (5)	20
	3क	1680-70-2030-80-2430-90—2880-100-3380 হ. (5) (5) (5) (5)	20
	4	1475-55-1750-60-2050-65-2375-70-2725 %. (5) (5) (5) (5)	20
V			
(2 करोड़ ठ. सथा उससे ग्रक्षिक लेकिन 5 फरोड़ रु. से कम)	1 1क	कोई घेतनमान नहीं 3200-140-3760-160-4400-180-5120-200-5920 र. (4) (4) (4) (4)	16
	1碑.	3050-110-3490-125-3990-140-4550-160-5190 र (4) (4) (4) (4)	1 6
	2	2775-105-3300-110-3850-120-4330-135-4870 স. (5) (5) (4) (4)	18
	2 क	2060-100-2560-105-3085-110-3525-125-4005 रू. (5) (5) (4) (4)	18
	3	1950-85-2375-90-2825-95-3300-100-3800 ₹. (5) (5) (5) (5)	20
	3 वर	1560-60-1860-70-2210-80-2610-90-3060 ব. (5) (5) (5) (5)	20
	4	1400-50-1650-55-1925-60-2225-65-2550 ক. (5) (5) (5) (5)	20
VI			
(1 क रोड़रु. तथा उससे ब्रिधिक लेकिन 2 करोड़र,	1 1क	कोई वेतनमान नहीं 2850-130-3370-140-3930-160-4570-180-5290 म. j	1 6
से कम)		(4) (4) (4)	
	1 আ	2750-105-3170-110-3610-125-4110-140-4670 \(\)(4) (4) (4) (4)	16
	2	2450-100-2950-105-3475-110-3915-120-4395 v. (5) (5) (4) (4)	18
	2 वर	$2000-95-2475-100-2975-105-3395-110-3835 \pi.$ (5) (5) (4) (4)	1 8
	3	1850-80-2250-85-2675-90-3125-95-3600 %. (5) (5) (5) (5)	20
	3म	$1460-55-1735$ $\overline{6}00-2035-65-2360-70-2710$ $\overline{5}$. (5) (5) (5)	20
	4	1325-45-1550-50-1800-55-2075-60-2375 ሻ. (5) (5) (5) (5)	20
VII.			
(50 लाख रु. तथा उसमे	1	कोई येतसमान नही	
े मधिक नेकिन । करोड़ घ. से कम)	1年	2520-120-3000-130-3520-140-4080-160-4720 5. (4) (4) (4) (4)	16
	1 48 r	2400-100-2800-105-3220-110-3660-125-4160 ह. (4) (4) (4) (4)	16

(1)	(2	(3)	(4)
	2	2100-95-2575-100-3075-105-3495-110-3935 ₹ . (5) (5) (4) (4)	18
	2 晒	1760-90-2210-95-2685-100-3085-105-3505ব. (5) (5) (4) (4)	18
	3	1420-60-1720-65-2045-80-2445-90-2895\\ (5) (5) (5) (5)	20
	3क]	1360-50-1610-55-1885-60-2185-65-2510 च. (5) (5) (5) (5)	20
	4	1250-40-1450-45-1675-50-1925-55-2200 T . (5) (5) (5) (5)	20
VIII.			
(25 लाख रु. निधा उससे अ लेकिन 50 लाख रु. मे		4100 र. से कम नहीं; 2150-95-2530-100-2930-105-3350-110-3790 र.' (4) (4) (4) (4)	16
	2	1950-90-2400-95-2875-100-3275-105-3695 ጚ. (5) (5) (4) (4)	18
	3	1275-55-1550-60-1850-65-2175-75-2550 %. (5) (5) (5) (5)	20
	3क	1260-45-1485-50-1735-55-2010-60-2310 5.1 (5) (5) (5) (5)	20
	4	1175-35-1350-40-1550-45-1775-50-2025 च. (5) (5) (5) (5)	20
1X.			
(25 लाजा हु, से कम्)	1	3,500 र.∮से फम नहीं	
•	1碼	1730-90-2090-95-2470-100-2870-105-3290 च (4) (4) (4) (4)	16
	2	1550-85-1975-90-2425-95-2805-100-3205ጚ. (5) (5) (4) (4)	.18
	3	1200-50-1450-55-1725-60-2025-65-2350 र .] (5) (5) (5) (5)	20
	3 4 7	1160-40-1360-45-3585-50-1835-55-21105. (5) (5) (5) (5)	20
	4	1100-30-1250-35-1425-40-1625-45-1850 ज. (5) (5) (5) (5)	20

गैर पत्रकार

प्रवासनिक स्टाफ

स्थापना वर्गे	कर्मजारियों का समृह	वेतनभान	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(100 सरोड़ व. सवा उससे	1	कोई वेतनमान नहीं	
घविक)	2	2850-150-3450-175-4150-225-5050-250-6050 ¥.	1 0
		(4) (4) (4)	
	2季	2500-125-3000-135-3540-145-4120-160-4760 T.	16
		(4) (4) (4)	
	3	2050-95-2525-110-3075-125-3575-140-4135 %,	18
		(5) (5) (4) (4)	
	4	1950-95-2425-105-2950-115-3410-125-3910 v.	1.8
		(5) (5) (4) (4)	•
	5	1695-65-2020-75-2395-85-2735-95-3115 %.	18
	•	(5) (5) (4) (4)	10
	0	1700 10 1770 15 1005 10 0005 50 0105	
	6	1560-42-1770-45-1995-48-2235-50-2465 T . (5) (5) (5) (5)	20
	7	1410-38-1600-40-1800-42-2010-45-2235 ¥. (5) (5) (5) (5)	20
(50 करोड़ ६. वा उससे	1	कोई बेतनमान नहीं	
ল্লधি ক) I	2	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16
	246	2100-115-2560-130-3380-145-3960-160-4600	16
		(4) (4) (4)	
	3	1975-95-2450-105-2975-115-3435-125-3935ቔ.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	4	1875-85-2300-95-2775-105-3195-115-3655₹.	
	•	(5) (5) (4) (4)	18
	5	1630-60-1930-65-2255-70-2535-75-2835 ₹. (5) (5) (4) (4)	1 8
	6	1496-40-1695-42-1905-45-2130-48-2370%	20
		(5) (5) (5)	
	7	1355-35-1530-38-1720-40-1920-42-2130 %.	20
		(5) (5) (5)	

गाग ттवान्व २(ग्)]	د - د د د د د د این این در	Fine the State of		भारत का	राजपतः	ग्रसाघा रण	15
(1)	(2)		(3))			(4)
I		कोई चेसनमाम	नहीं				
(20 करोड़ रुपये तथा उससे) अधिक लेकिन 50 करोड़ र. से कम)	2	2635-125-3 (4)	135-150- (4)				16
,	2死	2290-115-2	750-125-	3250-135	-3790-1	45-4370 ቼ.	16
		(4)	(4)	(4))	(4)	
ı	3	1885-85-23	310-95-27	85-105-3 :	205-115	⊢3665 হ.	18
		(5)	(5)	(4)	(4)	••
	4	1800-85-22	2 5-95-27	00-105-3	120-115	-3580ছ.	18
	_	(5)	(5)	(4)	(4))	
	5	1565-55-18	40-60-21	40-65-240	0.0-20-21	390 X	•
	J	= =	(5)			700 4.	18
	•	1430-38-16	20.40-18	aa. 49-9a:	20- 4 E- 04) S B T	
	6		(5)			2 व त ए .	20
	7	1300-32-14		25-20-10:	2 Ku 4 O- 2	0.9 E 3t	•
	,		(5)			023 V,	20
Ш			6.				
(10 करीड़ र. तवा उसते	1	कोई बेतनमान	_				
स्रिकित से किन 20 करोड़ रु. से कम)	2	2525-115-29 (4)		445-160-4 (4)	4085-18 .)		16
,		,	, ,	. ,	,	,	
	2軒	2180-95-256					18
		(4)	(4)	(4)	(4)		
	3	1800-85-22	225-95-27	00-105-3	120-115	⊹3580 ব.	16
		(5)	(4)	(4)	(4))	10
	4	1720-75-20	95-85-25	20-95-29	00-105-	3320 ቒ.	• •
		(5)	(5)	(5)	(4)		18
	5	1500-50-17	7 5 0-5 5- 20	25 -60-22	65-65-2	525 ₹.	
	•		(5)			- *	18
	6	1365-35-16	540-3 8 -17	30-40-19	30-42-2	140-₹.	_
	•	(5)		(5)			20

I۷

(5 करोड़ र, तया उससे मधिक लेकिन 10 करोड़ र. से कम)

7 1245-30-1395-32-1555-35-1730-38-1920 \(\bar{\epsilon}\).

(5) (5) (5) (5)

1. कोई वैतनमान नहीं 2- 2400-115-2860-130-3380-145-3960-160-4600 **व.**

(4) (4) (4)

20

16

(1) (2)) (3)	(4)
	2年 2090-95-2470-105-2890-115-3350-125-3850 頁。 (4) (4) (4) (4)	16
	3. 1720-75-2095-85-2520-95-2900-105-3320 有. (5) (5) (5) (4)	1 8
	4. 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 %. (5) (5) (4) (4)	1.8
	5. 1430-45-1655-50-1905-55-2125-60-2365 T . (5) (5) (4) (4)	18
	6. 1310-32-1470-35-1645-38-1835-40-2035 T. (5) (5) (5) (5)	20
**	7. 1190-28-1330-30-1480-32-1640-35-1815 ₹. (5) (5) (5) (6)	20
V (2 करोड़ क. तथा उसे मिक्क लेकिन 5 करोड़ क. से कम)	1. 3900 घ. से कम नहीं 2. 1580-125-2340-105-2760-135-3280-145-3840 घ. (4) (4) (4) (4)	1 6
	2軒 1600-85-2140-95-2520-105-2940-115-3400 飞。 (4) (4) (4) (4)	16
	3. 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 % . (5) (5) (4) (4)	18
	4 1560-65-1885-75-2260-85-2600-95-2980 र. (5) (5) (4) (4)	18
	5. 1390-45-1615-50-1865-55-2085-60-2325 च. (5) (5) (4) (4)	1 8
	6. 1255-30-1405-32-1565-35-1740-38-1930 ড. (5) (5) (5) (5)	2 0
	7. 1135-25-1260-28-1400-30-1650-32-1710 5. **! (5) (5) (6) (5)	29
VI	2 20	
(1 करोड़ रु. तथा उससे प्रधिक लेकिन 2 कारोड़ रु. से कम)	1. 3500 रुपये से कम नहीं 2. 1800-85-2140-95-2520-105-1940-115-3400 र (४) (४) (४) (४)	16
	2 年,1720-75-2020-85-2360-95-2740-105-3160 €。 (4) (4) (4) (4)	1 6
	3. 1560-65-1885-75-2260-85-2600-95-2930 ₹. (5) (5) (4) (4)	1 8

1 2	3	4
	4. 1500-65-1825-75-2200-85-2540-95-2920 v. (5) (5) (4) (4)	18
	5. 1310-40-1510-45-1735-50-1935-55-2155 ব. (5) (5) (4) (4)	18
	6. $1190 - 28 - 1330 - 30 - 1480 - 32 - 1640 - 35 - 4815 \ $ (5) (5) (5) (5)	20
	7. 1080-22-1190-25-1315-28-1455-30-1605 年. (5) (5) (5) (5)	20
VII. (50 लाखा ६. तथा उसमे भक्षिक लेकिन । करोड़ इ. से कम)	ह 1. 3200 च. से कम नहीं 2. 1650-75-1950-85-2290-95-2670-105-3090 च. (4) (4) (4) (4)	16
	2年、1585-65-1845-75-2145-8 5- 2485-95-2865 で、 (4) (4) (4) (4)	16
	3. 1410-60-1710-65-2035-75-2335-85-2675 互. (5) (5) (4) (4)	18
	4. 1325-55-1600-65-1925-75-2225-85-2565 ቼ. (5) (5) (4) (4)	18
	5. 1200-35-1375-40-1575-45-1755-50-1955 万. (5) (5) (4) (4)	18
	6. $1110-25-1235-28-1375-30-1525-32-1685$ 7. (5) (5) (5) (5)	20
	7. 1025-20-1125-22-1235-25-1360-28-1500 年. (5) (5) (5) (5)	20
VIII. (2.5 लाखा रु० तथा उससे प्रधि लेकिन 5.0 लाखा रु० से कम)	क 1. 3000 र. से कम नहीं 2. 1550-65-1810-75-2110-85-2450-95-2830 र.	1.0
	(4) (4) (4) (4)	16
	3. 1400-60-1700-65-2025-75-2325-85-2665 す. (5) (5) (4) (4)	18
	4. 1280-55-1555-65-1880-75-2180-85-3520 ቹ. (5) (5) (4) (4)	18
	5. 1100-30-1250-35-1425-40-1585-45-1765 本. (5) (5) (4) (4)	18
	6. 965-20-1065-22-1175-25-1300-28-1440 克. (5) (5) (5) (5)	20
	7. 855-15-930-18-1020-20-1120-12-12-30 ব (5) (5) (5) (5)	20
IX. (2.5 म्लख के से कम)	1. 2৪০০ रु. कम नही	
	2. 1500-65-1750-75-2060-85-2400-95-2700 互. (4) (4) (4) (4)	16
	3. 1360-55-1635-65-1960-75-2260-85-2600 万. (5) (5) (4) (4)	18
	4. 1190-45-1415-55-1690-65-1950-75-2250 克. (5) (5) (4) (4)	18

		•	
1 2		3	4
	5.	1010-25-1135-30-1285-35-1425-40-1585	18
	6-	910-18-1000-20-1100-22-1210-25-1335 5 . (5) (5) (5) (5) (5)	20
	7	- 800-12-860-15-935-18-1025-20-1125 ₹. (5) (5) (5) (5)	20
		भैर पत्रकार	
		कारखाना कर्मचारी 	
यापनः थर्ग =	कर्मचारियों का समूह 	वेतनमान 	घषं
	2	3	
100 करोड़ घ.	और उससे क्राधिक)ं । संब	मोधित 2050-95-2225-130-3045-150-3645-175-4345 ए० (5) (4) (4) (4)	1
	1ক.	1950-95-2425-120-2905-135-3445-160-4085	1
	2.	(5) (4) (4) (4) . 1780•35-2205-95-2680·105-3100-115-3560 ব. (5) (5) (4) (4)	1
	3.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1
	4.	1645-75-2020-85-2445-95-2825-105-3245 च. (5) (5) (4) (4)	ī
	5.	(5) (5) (5) (5) (5)	2
	6	. 1410-38-1600-40-1800-42-2010-45-2235 र. (5) (5) (5) (5)	2
I (इ.स. क्षेत्रेड	न. ग्रौर उससे श्र धिक) ।	. 1975-95-2450-120-2930-145-3510-170-4190 飞. (5) (4) (4) (4)	1
	1. (哥) 1375-85-2300-110-2740-135-3280-160-3920 互。 (5) (4) (4) (4)	1
	2.	1715-75-2090-85-2515-95-2895-105-3315 % (5) (5) (4) (4)	1
	3	. 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 克. (5) (5) (4) (4)	1
	4.	1595-65-1910-75-2255-85-2625-95-3005 = (5) (5) (4) (4)	
	5	. 1475-60-1775-65-2100-70 2450-75-2825 ह. (5) (5) (4) (4)	2
	6	1355-35-1530-38-1720-40-1920-42-2130 ह. (5) (5) (5) (5)	:
II			
	50 करोड रु. से कम)	1900-95-2375-115-2835-135-3375-145-3955 * • (5) (5) (4) (4)	
	1.3	স 1800-85-2225-105-2645-125-3125-145-3725 ড. (5) (4) (4) (4)	
	2	. 1650-75-3025-85-2450-95-2830-105-3250 र. (5) (5) (4) (4)	

1	2	3	4
		3. 1580-65-1905-75-2280-85-2620-95-3000 €,	18
		(5) (5) (4)	
		4. 1525-65-1850-75-2225-85-2565-95-2945 ছ.	18
	2	(5) (5) (4) (4)	
		5. 1410-55-1685-60-1985-65-2310-70-2660 年.	20
		(5) (5) (5)	
		6. 1300-32-1460-35-1635-38-1825-40-2025 ₹.	20
		(5) (5) (5)	
III (10 करोड़ रु. तथा	1	1800-85-2225-100-2625-115-3085-125-3585 €.	17
जममे प्रधि क किंग्तु 20		(5) (4) (4)	
करोड़ ६. से कम	1事	1720-75-2595-85-2435-105-2855-125-3355 T .	17
		(5) (5) (4) (4)	
	2	1580-65-1905-75-2280-85-2620-95-3000 र.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	3	1 3 2 0 - 6 5 - 1 8 4 5 - 7 5 - 2 2 2 0 - 8 5 - 2 5 6 0 - 9 5 - 2 9 4 0	18
		(5) (5) (4) (4)	4
	4	1450-55-1725-65-2050-75-2350-85-2690 ቒ.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	5	1340-50-1590-55-1865-60-2165-65-2490 ₹.	20
		(5) (5) , (5)	
	6	1245-30-1395-32-1555-35-1730-38-1920 ₹.	20
	0	(5) (5) (5) (5)	20
[V 5 करोड़ रु. तथा	1	1735-75-2110-90-2470-105-2890-115-3350 ज.	17
उस से प्रधिक कि^{न्}तु 10 करोड र से कम	1ক	(5) (4) (4) (4) 1650-75-2025-85-2365-95-2745-105-3165 र.	1.7
कराड़ ६ त मन	147	(5) (4) (4) (4)	17
	_		
	2	1520-65-1845-75-2220-85-2560-95-2940 रू. (5) (5) (4) (4)	1 8
	3	1460-55-1735-65-2060-75-2360-85-2700 र.	13
		(5) (5) (4) (4)	
	4	1400-55-1675-65-2000-75-2300-85-2640 ₹.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	5	1310-50-1560-55-1835-60-2135-65-2960 Fo	20
		(5) (5) (5)	
	6	1190-28-1330-30-1480-32-1640-35-1815 ব.	29
		(5) (5) (5)	
V 2 करोड़ ६ घीर उससे	1	1635-75-2010-85-2390-95-2730-105-3150 ካ.	17
•प्रधिक किन्तु 5 करोड़	•	(5) (5) (4) (4)	1,
६ सेकम	1क	1560-65-1885-75-2185-85-2525-100-2925 ₹.	17
* 1, 0.1		(5) (4) (4)	•
	2	1475-55-1750-65-2075 75-2375-85-2715 5	18
	<i>1</i>	(5) (5) (4) (5)	10
		1410-55-1685-65-2010-75-2310-85-2650	10
	3	(5) (5) (4) (4)	18
	4	1350-55-1625-65-1950-75-2250-85-2590 रू.	18
		(5) (5) (4) (4)	
	5	1235-45-1460-50-1710-55-1985-60-2285 \forall . (5) (5) (5) (5)	20

1	2	3	4
	6	1135-25-1260-28-1400-30-1550-32-1710 5 . (5) (5) (5) (5)	20
VI. 1 करोड़ रु. ग्रौर उससे ग्रधिक किन्तु 2 करोड़	1 1	1575-35-1900-75-2200-85-2540-95-2920 ₹. (5) (4) (4) (4)	17
रु. से कम	1 क	1500-65-1825-75-2125-85-2465-95-2845 5. (5) (4) (4) (4)	17
	2	1425-55-1700-65-2025-75-2325-85-2665 5 . (5) (5) (4) (4)	18
	3	1360-55-1635-65-1960-75-2260-85-2600 ₹. (5) (5) (4) (4)	18
	4	1300-55-1575-65-1900-75-2200-85-2540 ₹. (5) (5) (4) (4)	18
	5	1190-40-1390-45-1615-50-1865-55-2140 ₹. (5) (5) (5) (5)	20
	6	1080-22-1190-25-1315-28-1455-30-1605 ₹.	20
VII. 50 लाख रु. ग्रीर उससे ग्रधिक किंतु 1	1	(5) (4) (4) (4)	17
करोड़ से कम	1 年	1 360-55-1635-65-1895-75-2195-85-2535 €. (5) (4) (4) (4)	17
	2	1290-50-1540-55-1815-60-2055-65-2315 $\overline{\bullet}$. (5) (5) (4) (4)	18
	3	1245-50-1495-55-1770-60-2010-65-2270 5 . (5) (5) (4) (4)	1
	4	1190-50-1440-55-1715-60-1955-65-2215 5 . (5) (5) (4) (4)	1
	5	1100-35-1275-40-1475-45-1700-50-1950 ह. (5) (5) (5) (5)	20
	6 .	1025-20-1125-22-1235-25-1360-28-1500 €.	20
VIII ०० क्या के सीराज्य	हो र 1	(5) (5) (5) (5)	
VIII- 2.5 लाख रु. श्रीर उस श्रधिक किन्तु 50 ला	ख	1225-50-1475-55-1695-70-1975-80-2295 ₹. (5) (4) (4) (4)	17
से कम	1 弔	1165-50-1415-55-1635-60-1875-65-2135 र. (5) (4) (4) (4)	17
	2	1110-45-1335-50-1585-55-1805-60-2045 ₹. (5) (4) (4) (4)	18
	3	1065-45-1290-50-1540-55-1760-60-2000 €. (5) (4) (4)	18
	4	$1010-45-1235-50-1485-55-1705-60-1945 \in .$ (5) (5) (4) (4)	18
	5	920-30-1070-35-1245-40-1445-45-1670 \mathfrak{F} . (5) (5) (5) (5)	20
	6	855-15-930-18-1020-20-1120-22-1230 ₹. (5) (5) (5) (5)	20
IX. 25 लाख रु. से कम	1	1100-50-1430-55-1650-60-1890-70-2170 ₹.	17
	1 ক	(5) (4) (4) (4) 1125-50-1375-55-1595-60-1835-65-2095 ₹.	17
		(5) (4) (4)	

	٠
1	1
- 7.	ı

1	2	3	4
		50-1545-55-1765-60-2005 ह. (4) (4) (4)	18
	3 1025-15-1260-5	50-1500-55-1720-60-1960 \(\varphi\).	18
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5-1390-50-1590-55-1810 ह.	18
	. ,	30-1150- 3 5-1325-40-1525 ₹.	20
	6. 800-12-860-15-	935-18-1025-20-1125 F.	20
and the state of t		तालिका – II	
		मंहगाई भत्ता	
मूल वेतम-मान			1 जुलाई तथा 1 ग्रक्टूबर से 752 (1960- देय मंहगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए
			2
1250 र./-तिक		मूल वेतन का 100 प्रतिशत	
1251 र. तथा 2000 र.	के बीच	मूल वेतन का 75 प्रतिशत भी ग्रधिक हो	था 1250 रु. का 100 प्रतिशत जे
2001 र. तथा 3500 र.	के बीच	-	गा 2000 र . का 75 प्रतिशत जो भी ग्रधिक हें
3501 र. तथा 5000 र.	के बीच	मूल वेतन का 45 प्रतिशत ग्रधिक हो ।	या 3500 रु. का 60 प्रतिशत जो भी
5,000 ह. स ऊपर		मूल बेतन का 35 प्रतिशतय हो।	ा 5000 रु. का 45 प्रतिशत जो भी श्रधिक
	ा की गणना निम्न प्रकार की जाएगी	arandan di ina menerimpakan menerimpakan menerangan pada menerimpakan ada menerimpakan ada menerimpakan ada me Pada sebagai s	n (n-farifier) og in av (av belge ledler infarfander) og og sekretære get en avler i
	मूल वेतन		स्थी करण की दर
		के लिए ग्रौसत सूचकांक घटा 752×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		प्तत सूचकांक महंगाई भत्ते की दर निर्धारित क वर्ष 1 जनवरी, 1 ग्रप्नैल, 1 जुलाई तथा	100 करने के लिए लिया गया है । महगाई भत्ते 1 अक्टूबर, से देय होगी
		तालिकाIII	
	्त ,कीन	किराये भत्ते की दरें	
क्षेत्र	" 	('ख्रु')	"ң"
समाचार पत्न प्रतिष्ठान की श्रेणी	नवीनतम जनगणना के अनुसार 20 लाख और अधिक जनसंख्या वाले नगर/शहर	नवीनतम जनगणना के ग्रनुसार 10 लाख ग्रौर ग्रधिक लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/शहर	नवीनतम जनगणना के ग्रनुसार 10 लाख के कम जन- संख्या वाले नगर/शहर
I. ए वेतन का 11 प्रतिशत I वेतन का 10 प्रतिशत ग्रा		बेतन का 10 प्रतिशत श्रधिकतम 300 र. बेतन का 9 प्रतिशत श्रधिकतम 270 र.	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रु. वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रु.

1		2	3	
II वेतन का 9 प्रक्षिमत प्रधिकतम	270 रु. वेसन का 8 प्र क्ति	गत प्रधिकतम 240 र.	वेतन का 7 प्रतिशत धरि	
III वेतन का 8 प्रतिशत ग्रधिकतम	240 रु. वेसन का 7 प्रतिश	तं भ्रधिकत २१० र.	वेसन का 6 प्रतिशत प्रक्षिति	तम् 180 र
lV वेतन का 7 प्रतिगत अधिकितम	210 र. वेतन का 6 प्रतिष		बेतन का 5 प्रतिशत प्रधिवि	
V वेतन का 6 प्रक्षिणत प्रधिकतम 1		-		
	वतन का 5 प्रीतश	ात मधि कतम 150 ६ ————————————————————————————————————	वेतन का 4 प्रतिशत भ्रधिय 120 रुपये	हतम
	तालिका -···IV			
	नगर प्रतिपूरक भत्ता			
	(प्रतिमाह दरे)			
	क्षेत्र			
समाचार पक्ष प्रतिष्ठान की श्रेणी	नर्वातनम जारगणना के प्रनुसार 20 लाख भीर जनसंख्या वाले नगर /णहर		रम अनगणना के धनुसार 1 र मधिक लेकिन 2.0 ा जनसंख्या वाले	
Ι¢	80 ₹.	ر ادر از می از این	20 द.	
I	65 ক.		20 €.	
n	50 ব.		20 इ	
Ш	∙ 35 ই.		20 ₹.	
IV	30 स.		20 ব.	,
V	30 হ,		20 ह.	
	राक्षि पारी के मन्ते की व	₹	وان چه پرونداند ها ها هوانده با نام پر پوران او اها او این ا	<u></u>
समाचार पत्न प्रतिष्ठान की श्रेणी	प्रति रात्नि पारी की व	t		
I. v	14	₹.		
I	12	₹.		
II.	12	₹.		
III.	10	₹.		
IV.	10	₹.		
V.	8 ह.			
VI.	€ क	-		
VII.	6 3			
VIII.	4 ₹			
IX.	2 फ्			

भाग--II

समाचार एजेंसियों के श्रमजीयी पत्रकार तथा गैर-पत्रकार सामाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड की सिफारिकों

खंड-โ

प्रारम्भिक

ा. परिभाषाएं

"श्रमजीवी पत्रकार" तथा "गैर पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी" शब्दों का वही भाषय होगा जो उनके लिए श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्त) तथा विविध उपबंध प्रधिनियम, 1955 जिसे इसके बाद "प्रधिनियम" कहा गया है, में विया गया है।

समाचार एजेंसी का संचालन करने वाला प्रतिष्ठान समाचार एजेंसी है।

सभाचार एजेंसी के मामले में किसी विभिष्ट वर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त "लेखा वर्ष" का सामय I अप्रैल से आरम्भ तथा आगामी मई को समाण वित्तीय वर्ष होगा । परन्तु यदि किसी सभाचार एजेंसी का लेखा वर्ष विश्तीय वर्ष में भिन्न हो तो उमका तत्पर्य समाचार एजेंसी का वह लेखा वर्ष होगा जिसका साधे से अधिक भाग उस विशिष्ट वर्ष में आता है। ऐसी समाचार एजेंसी के संबंध में, जिसका लेखा वर्ष 1 अक्तूबर से आरम्भ होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छ: मास साते हों।

उवाहरण

यदि किसी ममानार एजेंसी का लेखा वर्ष 1 अनवरी 1988 से भारम्भ होता है तो आने आने नाले पैराप्राफों में लेखा वर्ष 1988 का उल्लेख लेखा वर्ष 1988-89 के संदर्भ में लिया आयेगा । इसके भलावा यदि समाधार पत्र प्रक्षिकान का लेखा वर्ष 1 अन्त्रवर से आरम्भ होता है तो इन पैराप्राफों में लेखा दर्ष 1988 का उल्लेख उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1988-89 के संदर्भ में लिया जाएगा।

"श्रेणी" से तात्मर्थ पैराग्राफ 7(क) तथा 7(ख) में निर्दिष्ट समूहों के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से है।

किसी समाचार एजेंसी से "कुल राजस्व" से तात्पर्य है समी स्रोतों से उमका कुल राजस्य त्रिगमें उसकी सेशाओं के वीलिंग से प्राप्त अंगदान राजस्व सम्मिलित हैं।

खंब-{I

- कर्नवारियों के देवन निर्धारण के लिए, समावार एजेंसियों को इसके बाद निर्धारित गरिके से वर्गीकृत किया जाएगा ।
- 3. समाचार एजेंसिगों का वर्गीकरण उनके आग 1984-85 से 1986-87 के बौरान प्रजित फुल राजस्व के प्राधार पर प्राकलित एक वर्ष के कुल औमन राजस्व के प्राधार पर किया जावेगा।
- 4. ऊपर पैराम्राफ 3 में भ्रानुसार निर्वास्थि न निर्मारण एवं त्या जारी रहेगा जब तक समाचार एजेंसी को पैराम्राफ के अपवंशों के भ्रानुसार पुत. याकित नहीं किया जाता ।
- 5. समावार एजेंसियों का वर्जीकरण उनके कुल राजस्य के ब्राधार पर निम्न श्रेणियों में किया जाएगा :---

श्रेणी

कुल राजस्व

I.

7 करोड़ रुपये तथा उससे प्रधिक

II.

4 करोड़ रुपये तथा उसरी प्रधिक परन्तु 7 करोड़

रुपथे से कम

Ш.

3 करोड रुपये तथा उससे क्राधिक परन्तु 4 करोड़ रुपये से फ्रांस

IV.

2 करोड़ रुपये कम

टिप्पणे:--विदेशी समाचार एजेंसियों, श्रयीत् वे एजेंसी जो भारत में वार्थ रहे हैं पञ्नु उनका मूल कार्यालय भारत से साहर हैं, श्रेणी 1 समाचार एजें|सर्या माना जाएगा।

6. किसी नियोजक प्रथवा कर्मचारी, को छूट होगी कि यह लेखावर्ष 1989-90 के पश्चात् कुल औसत राजस्व ग्रथवा पिछले 3 नेखा वर्षों के प्राधार पर समाचार एजेंसी के पुनः वर्गीकरण की मांग कर सफेगा वर्णों कि इस प्रकार के पुनः वर्गीकरण की मांग 3 कमिक नेखा वर्षों की निधी ग्रथिय में एक वार से प्रधिक नहीं की जाएगी।

खण्ड-[[[

7(क) पत्रकार कर्मचारियों का सभृहीकरण

पूर्णकालिक कर्मचारी

सभूह । (विशेष) :---मुक्य सम्पदाक ---

उप-मुख्य सम्पःदक

सम्ह-- 1: सन्यत्वक मुख्य प्रस्तुनकर्ता (दूरवर्णन), प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख

- समूह-1 (क) मुख्य समाचार सम्पादक, फीचर सम्पादक, ध्रापिक सम्पादक, विज्ञान सम्पादक, व्यापारिक सम्पादक, विज्ञान सम्पादक, व्यापारिक सम्पादक, विज्ञान सम्पादक, व्यापारिक सम्पादक, क्षेत्रीय प्रबंधक, व्यूरो प्रमुख (कैंपिटल) चुनीवां धाधार पर विशेष संवादवाना ।
- सपूह 1(ख) विशेष राजावधाना/मुखा संवाददाना, वेदशीं संवाददाता समाचार सम्पादक, मुख्य रिपोर्टर, मुख्य फोटोप्राफर, राज्य ब्यूरो प्रमुख, प्रस्तुतकर्ता (दूरदर्णन) स्टॉक विनिमय सेवा, प्रबंधक समावार विनियम विशेष संवाददाता (दूरदर्णन),

प्रबंधक, राज्य राजधानी ब्यरो ।

समूह 2. मुख्य उप-सम्यादक, वरिष्ठ संवादवाता

सनूह 2 क वरिष्ठ उप-गंपादक, वरिष्ठ रिपोर्टर, थरिष्ठ फोटोग्राफर, सटायक प्रस्तुनकार्वा-सह-रिपोर्टर (द्रण्डर्णन)

समूह 3 अप-सम्पादक, संकाददाना, रिपोर्टर, फोटोग्राफर तथा दूर-दर्शन थिपोर्टर, पुरनकाब्यक (परिकाषाओं के लिए इसके साथ संनम्न अनुसूची । देखें)

आंश्रामालक कर्मचारी — मृख्य

ये अंश्रामालिक संवाददाना है जिनका उपस्थायसम्म पत्रकारिया है।

7 (ख) वैर-पन्नकार कर्मजारयों का समूहीकरण :

ममूत् ।ः

- (क) प्रणासन भ्रष्टाक्ष, विसंदित नियंत्रक-सह सचित
- (ख) मुख्य प्रक्षियंता, लेखा प्रबंधयः, प्रबंधवः (कार्मिक) नेखाधिकारी, प्रबंधक (पदीक्षणि एवं विकास), प्रबन्धक (तकार्वको समन्वय) कार्मिक क्षथिकारी, सुख्य लेखापाल, कस्पती समिव
- (ग) उप मुख्य व्यक्तियंतः, प्रांतिन्तः लेखा-पर्राक्षकः तथा समनःक्ष प्रशासनिक पदः

मनुष्ठ २ :---

क्षेत्रीय श्रीमयंता, क्षेत्रीय सम्प्रेषण प्रजारी, प्रशासनिक प्रधिकारी तथा समकक्ष पद, वीडियों सम्पादक, श्रीभयंता (दूरदर्शन)

ध्यन्यालेखनकर्ता, कैमराभैन इलैक्ट्रानिक श्रीभयंता (ग्रार्थांड डी), खजांची,वरिष्ठ यातायात निरोक्षक, वरिष्ठ व्यावसायिक निरीक्षक।

समह 3

संप्रेषण निरीक्षक, प्रभियंता, केयरटेकर एवं यन्य समकक्ष पद, प्रस्तृतकर्ता सहायक, यातायान निरीक्षक, निरीक्षक. (लेखा), लाईटिंग गहायक, व्यावसायिक निरीक्षक ।

समृह 4

बरिष्ठ व्यावसायिक सहायक-बरिष्ठ ज्ञापरेटर, वरिष्ठ सकती-शियन, वरिष्ठ प्राणुलिपिक, कनिष्ठ प्रभियंता, वरिष्ठ यानायात सहायक, वरिष्ठ सहायक,प्राणुलिपिक ।

समृह 5

लिपिक, टंकक, तकनीणियन, कनिष्ठ ग्रापरेटर, कृणल श्रीमक, कार चालक, टेलीफीन ग्रापरेटर, कनिष्ठ यानायान महायक, कनिष्ठ व्यावस.यिक महायक, कनिष्ठ महायक (लेखा), कनिष्ठ नहायक।

समृह 6 परिचारिकः, मशीन परिचारी, हवलदः रिक र्ड कीपर, गेस्टेटनर भ्रापरेटरः।

समृह ७

खपरासी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माशी, संदेशवाहक

8. हालांकि, उपरोक्त पैराग्राफ 7 में कर्मकारियों की श्रनेक श्रेणियां दी गई हैं, मजदूरी निर्धारण भीर मंगोधन के संबंध में सिकारिण केवल ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगी जो कि श्रिधिनियम के श्रधीन श्रमजीयी पत-कारों नथा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों की पिरिभाषा के दायरे में श्राते हैं।

9. किसी समाचार एजेंसी के लिए उपरोक्त पैराग्राफ 7 में उल्लिखित किसी एक या सभी श्रेणियों को नियोजित करना ग्रनियार्य नहीं हैं। कुछ श्रेणियों के कार्यों को परस्पर जोडा जा सकता है, ऐसी स्थित में कर्मचारी को उच्च श्रेणी में संबंद्ध भाना जाएगा जिसके कार्य उसके द्वारा सामान्यतः किए जाते हैं।

स्रोप-IV

पारिश्वमिक

10. ममाचार एजेंसियों की विभिन्न श्रेणियों में नियोजित विभिन्न समृहों के पत्नकार एवं गैर-पत्नकार समाचार-पत्न कर्मचारियों को इसके साथ संलग्न तालिका 1 में दर्णाये गये वेतनमानों के अनुसार प्रति माह भूल बेतन का भूगतान किया जाना चाहिए। श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV के कर्मचारियों के बेतनमान नहीं दर्णाये गए हैं क्योंकि इस समय इन श्रेणियों में कोई समाचार एजेंसी कार्य नहीं कर रही थी।

मंहगाई भना

- 11. (1) केन्द्र सरकार द्वारा नई श्रृंखला अपनाए जाने तक कर्मचारियों को मृत्य-वृद्धि हेतु क्षतिपूर्ति देने के लिए बौधोगिक श्रमिक (सामान्य) लिए का बौसत उपभोक्ता गृत्य सूचनांक (ब्राधार 1960 = 100) ना प्रयोग किया जाना जारी रहे।
- (2) मृत्यवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति का भूगशान वैमासिक सूचकांक भ्रौसन 752 (1960 = 100) से ग्रधिक के लिए किया जाएगा, जिससे यहां सिफारिक किए गए वेननमान संबंधित है।
- (3) उस तिमाही, जिसके लिए सहंगाई भन्ने की दर निर्धारित करने के लिए धौसत सुचकांक का प्रयोग किया जाना है, के प्रांकरों के उपलब्ध होते ही क्षतिपूर्ति स्वीकृत कर दी जाए। महंगाई भन्ना इस तिमाही के सत्काल बाद प्रारम्भ होने वाली तिमाही के घारम्भ से देय हो जाएगा जिस निमाही के लिए धौसत सुचकांक श्रांकडों का प्रयोग महंगाई भन्ने की दर निर्धारित करने के लिए किया गया है।

- 4 महंगाई भक्ता में, सिफारियों के साथ संलग्न नारणी H में यथा निर्दिष्ट वेतन स्लैब के धनुसार भिन्नता होगी।
- 5. धिखल भारत उपभोक्ता मृत्यकांक 752 (1960-100) के ध्राम्-सार महंगाई भन्ने की संशोधित दरें जनवरी से मार्च, 1988 की तिमाही के लिए धौमत उपभोक्ता मृल्य सूचकांक के धाधार पर 1-4-1988 से लाग होंगी।
- 11.क. प्रत्येक ग्रंशकालिक संवाददान। को उसी स्तर के एक पूर्णा-कालिक संवाददाता को लागू मूल मजदूरी (मूल बेतन + महंगाई भता) के एक तिहाई से कम राशि का भूगतान नहीं किया जाएगा। कोई भी स्यूज एजेंसी किसी ग्रंशकालिक संवाददाता पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी कि वह किसी ग्रन्थ त्यत्र एजेंसी के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उसे पूर्णकालिक रूप में निगुक्त नहीं करती।

स्त्रपद्ध-V

ग्रन्य भत्ते

12(क) मकान किराया भत्ता

इसके साथ गंलग्न नालिका III में यथा निर्दिष्ट मकान किराया भना भी उम में उल्लिखिन समाचार एजेंसियों द्वारा संबंधित मंडलों में तैनान अपने कर्मचारियों को दिया जाएगा। परन्तु (1) जहां किसी कर्मचारी को समाचार एजेंसी द्वारा रिहायणी भावाम दिया गया है, उसे कोई मकान किराया भना देय नहीं होगा। (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भना दिया जा रहा है तो वह इस उपबंध के अंग्रीन देय मकान किराया भना की रिण में समायोजित किया जाएगा। (3) जहां कोई समाचार ऐजेंसी कर्मचारी की तरफ से किसी धनराणि का भगतान करता है ताकि कर्मचारी अपनास्त्रयंका रिहायणी भावाम ने सके, तो इस प्रकार की राणि उस उपबंध के भंतर्गत देय मकान किराया भना में समायोजित की जाएगी।

(ख) नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

इस के साथ संलग्न सारणी IV में दर्जाया गया नगर प्रतिपूर्ति भशा उसमें निर्दिष्ट समाचार ऐजेंसियों द्वारा संबंधित मंडलों में तैनान प्रपने कर्मनारियों को दिया जाएगा।

(ग) रास्त्रिपारी भना

किसी कर्मचारी को राखि पारी भन्ने का भुगतान इसके साथ संकर्म तालिका V में उल्लिखित समाचार एजेंसियों द्वारा उसमें निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा। परन्तु जहां कोई कर्मचारी पहले ही तकद अथवा अनुग्रह अथवा दोनों के रूप में राख्नि पारी भना ले रहा हो तो उसे या उसके धनस्ल्य को इस उपबंध के धनगंत देय राजि में गमायोजित कर दिया जाएगा।

खंड-VI

फिटमेंट नियम

- 13(1) फिटमेंट निष्मों के पयोजनार्थ "कर्मचारी" से सात्पर्य समा-चार एजेंसी का श्रमजीवी पत्रकार भ्रथवा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्सचारी से हैं।
- (2) किसी कर्मचारी की "वर्तमान पिल्लिब्धयों" से तालायं उसके मूल बेनन, उपभोक्ता मृल्य सूचकांक 752 (ब्राधार 1960=100) पर परिवर्गनीय महंगाई भन्ता तथा भारत सरकार, श्रम मैहालय द्वारा जारी दिनांक 30 मई, 1986 की ब्रिधिसूचना के अनुसरण में स्वीकृत ब्रेट्स राहत से हैं।
- (3) किसी कार्यचारी की "प्रतिनिकत परिलब्धियों से तात्पर्य साम्हिक समझीते, करार प्रथवा प्रधितियय के परिणामस्वरूप मूल वेतन, महिगाई भन्ने या प्रतिरिम राहत में बृद्धि के रूप में समाचार एजेंसियों हारा प्रवत्न वेतन से है जो ि। त (3) में उन्तिविधा "वर्षना गरिपविधयों" के मितिनिकत हो।

- (4) "संशोधित वेतनमान" का तात्पर्यं वह वेतनमान है जो किसी कर्मचारी पर इन सिकारियों के अनुसार लागू होत। है।
- (5) संशोधित जेतनमान 1 जनवरी, 1988 जिसे इसके पश्चात् ''संबंद तिथि" कहा जाएगा, से लागू होंगे।
- (6) वर्तमान परिलब्धियों वाले प्रस्येक कर्मचारी को "संबद्ध तिर्धि" से मंधोधित वेतनमान में लाया जाएगा तथा उसे उस वेतनमान में उप-युक्त स्टेज पर या तो बेतनमान के मारिष्मिक नए न्यूनतम पर या भारंभिक से ऊपर, जैसी भी स्थिति हो, फिट किया जाएगा।
- (7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित बेतन-मान के त्यूनतम से अधिक हो किन्तु संशोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के लेवल पर न हों, तो उपे उपने तन्काल प्रगला लेवल दिया आएगा।
- (8) इसक अतिरिक्त प्रत्येक कर्नेचारी की संबद्ध तिथि से तत्काल पहुरे घारित पद में प्रत्येक 3 सात की पूर्ण सेवा के लिए संबंधित वेतनभान में एक वेतन बृद्धि दी काएगी । परन्तु:---
- (1) संबंधित कर्मबारी द्वारा किमी भी भ्रन्य पद, जिसके वेतनमान का न्यूमतम उस वेतनमान जिसमें कर्मबारी ने संबद्ध तिथि से पूर्व कार्य किया हो, के न्यूमतम से कम परन्तु 25% से भ्रधिक नहीं है, पर की गयी मेवा को भी हिसाब में लिया जाएगा।
 - (ii) वेतनवृद्धियों की कूल संख्या थी से प्रधिक नहीं होगी।
- (iii) किसी भी कर्मनारी को किटमेंट के परिणामस्वरूप संशोधित जैतनमान के प्रधिकतम से प्रधिक नहीं मिलेगा।
- (iv) किसी भी हालत में कुल वर्तमान परिलक्षियां फिटमेंट भ्रमधा उन सिफारियों में निहित उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप कम नहीं की जाएंगी, श्रधियेष, यदि कोई हो, को भावी बेतन वृद्धियों में समंजित करने हेनु वैयक्तिक बेतन माना जायेगा।
- (9) ये सिफारिशें उन गर्नों को प्रभाषित नहीं करेंगी जिन पर नियम (3) में उल्लिखन प्रतिरिक्त उपलब्धियों स्वीकृत की गई हैं।
- (10) संशोधित बेननमान सभी कर्मवारियों पर संबक्ष तिथि से लागू होंगे, तथापि, यदि कोई कर्मवारी इन सिफारियों को सागू करने वाली सरकारी प्रधिस्चना के प्रकाशन की तिथि से तीन सप्ताह के मीतर अपना विद्यमान वेतनमान तथा वर्तमान परिलक्ष्मियां प्रतिधारित करने की इच्छा व्यक्त करना है तो वह अपना विद्यमान वेतनमान तथा ऐसी परिलक्ष्मियां प्रतिधारित करने का इच्छा व्यक्त करना है तो वह अपना विद्यमान वेतनमान तथा ऐसी परिलक्ष्मियां प्रतिधारित करने का इकदार होगा।
- (11) जब किसी समाचार एजेंसी को उक्त पैरा 6 के संतर्गत पुनः वर्गीहृत किया जाता है तो कर्मचारी को उस श्रेणी के लिए उपयुक्त संघोधित वेतनसान में फिट किया जाना चाहिये। जब मूल बेतन उस श्रेणी के संगोधित वेतनसान में किसी स्तर पर भेल न चाता हो तो कर्मचारी को उस समय प्रगली उच्च स्टेअ पर फिट किया जाना चाहिये जब वर्गीकरण ऊपर जा रहा हो तथा निचने स्तर पर तब फिट किया जाना चाहिये जब वर्गीकरण जमर जा रहा हो तथा निचने स्तर पर तब फिट किया जाना चाहिए जब वर्गीकरण कम बैठना हो। बाद के मामले में, उच्चतर विद्यमान मूल वेतन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिये तथा विद्यमान मूल वेतन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिये तथा विद्यमान मूल वेतन में उसे फिट किया गया है, उसके प्रस्तर को बैयक्तिक घेनन माना आए प्रथवा उसे भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित किया आए।
- (12) जब किसी कर्मेचारी को इन नियमों के उपबंधों के अनुमार मंबद्ध तिथि को किसी वेतनमन में फिट किया जाता है, तो वह उपयुक्त वेतनमान में उस तिथि से वेतनवृद्धियों की गणना करने का हकदार है जिससे वह वेतनवृद्धि लेता परन्तु इन नियमों के अंतर्गत अपनी फिटमेट के कारण नहीं ले सका।
- (13) समाचार एजेंसी द्वारा शिक्षु के रूप में प्रशिक्षित किए जा रहे ज्यक्ति को शिक्षुता प्रविध के दौरान उस पद, जिसके निए उसे शिक्षित किया जा रहा है, पर लागू मूल वेतन तथा भनों का स्व प्रतिगत वृत्तिका के रूप में विदा जिएगा।

2418 GI|89-4

(14) समाचार एजेंनी पर लागू स्थाई मादेगों के प्राप्ति रहते हुए, समाचार एजेंनी के किसी पत्रकार अथवा गैर-पत्रकार कर्मचारी को एक वर्ष से मनधिक भवधि के लिए परिवीक्षा पर नियोजित किया जाएगा जिसके दौरान उसे प्रिक्टान की उस श्रेणी तथा समूह जिसका वह परिवीक्षार्थी है, पर लागू वेतनमान का स्पूनतम तथा भने भदा किये जाएगे। यदि कोई कर्मचारी, पत्रकार भ्रथवा गैर-पत्रकार उच्च पद पर परिवीक्षार्थी के रूप में कार्य करना है, तो उसे परिवीक्षा प्रथि के दौरान उसके निम्न पद के सेनतमान के प्रतिदिक्त उच्चतर पद का 10 प्रतिभाव भी मिलना चाहिए।

14. लागू होने की तिथि

- (1) संगोधित बेतनमान तथा मंहनाई भल से संगंधित मिफारियों अभकः पैरायाफ 13 (5) तया 11 (5) में उल्लिखित मंबद्ध तिथि से लाग् होंगे।
- (2) शेष मिफारियों केन्द्र मन्कार द्वारा धारा 12 के अंतर्गत सिफारियों को प्रधाबी करने के आदेश की निथि में लागू होंगी।

15. बकाया का भुगतान

इन मिफारिशों के परिणामस्वरूप देव बकाया, यदि कोई हो. का भगतान ग्रविक से ग्रविक 4 किस्तों में, केन्द्र सरकार द्वारा ग्रविनियम की धारा 12 के श्रंतर्गत ग्रादेश के प्रकालन की ति ये से 18 साह के भीतर किया जाएगा।

अनुसूची II

- "मुक्य सम्पादक" वह ध्यक्ति है जो किसी समाचार एजेंसी का कर्ता-धर्ता होता है.।
- 2. "उप मुख्य सम्यादक" वह व्यक्ति है जो मुख्य सम्यादक को भ्रपना कर्तव्य निभाने में सहायता करता है तथा उमकी धनुपस्थिति में उसके लिए कार्य करता है।
- "सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी के सम्पादकीय पत्र के कार्य को निर्देशन तथा निरीक्षण करता है।
- 4 "प्रभागीय अपूरो का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो सम्पूर्ण समाचार एजेंसी के केन्द्रीय समाचार डैस्क का प्रभारी होता है तथा महानगरीय केन्द्रों प्रपति दिल्ली, कलकता, बम्बई तथा मद्रास में समाचार सेवाझों का निरोक्षण, मार्गदर्शन तथा निर्देशन करता है।
- 5 "मुख्य समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो उप मुख्य सम्पादक की उसके कर्तव्य निष्पादन में महायता करता है तथा समाचार कार्यकक्षापों को समस्वित करता है।
- "फीचर सम्पादक" वह व्यक्ति है जो फीचरों संबंधी कार्य करता है तथा समाचार एजेंसी के फीचर सेवा प्रकाशित करने का प्रभारी होता है।
- 7 "ग्राधिक सम्पादक" बहु व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी की प्राधिक सेवा प्रकाशित करने का प्रभारी होता है।
- 8. "विकास सम्पादक" वह व्यक्ति है जो विज्ञात तथा प्रौद्योगिकी से नंबिक्षत विशेषक समाचारों से संबद्ध कार्य करता है तथा समाचार एजेंसी की विज्ञान सेवा प्रकाशित करते का प्रभारों है।
- ५. 'वाणिज्यिक सम्पादक'' यह व्यक्ति है जो वाणिज्य कित्त, ज्यवसाय नया उद्योग को प्रमादित करने वाले समाचारों से संबद्ध कार्य करसा है सथा उन पर टिप्पणिया देता है तथा एक प्रथवा अधिक रिपोर्टरों के कार्य का आवंटन तथा निरोक्षण करता है।
- 10- "चिल्ल सम्पादक" समाचार एजेंसी की चिल्ल सेवा का संचालन करने भीर सेवा के समस्वयन का प्रकारी है।

- 11. "बिश्वेष संवादवाता" वह व्यक्तित है जो केन्द्र सरकार के प्रति उत्तर-वायी है तथा जिसके नियमित कर्तेच्य संवदीय, ई राजनैतिक प्रथवा सामान्य महत्व के समाचारों की सूचना देना है प्रथवा महानगरीय केन्द्र में यह व्यक्ति है जो ग्रायिक महत्व प्रथवा राष्ट्रीय प्रथवा प्रतरिष्ट्रीय प्रकृति के समाचारों को एकत करने में विशेषशता प्राप्त है।
- 12. "प्रधान संवादवाता" राज्य राजधानियों का संवादवाता है जो राज्य सरकारों के प्रति उत्तरवायी है।
- 13. "बिदेश संवादवाता" वह व्यक्ति है जिसे किसी देश प्रयवा देश के हिस्से, जो उसको सौंपा गया है, से समाभार एकत्र करने के लिए विदेश में तैनात किया गया है।
- 14. "सम्माचार सम्मादक" वह व्यक्तित है जो महानगरीय केन्द्र में समाचार हैस्क भणवा खेलीय समाचारों का प्रभारी है तथा जो जिभिन्त (समाचार सेवाझों का निरीक्षण, निर्वेशन तथा मार्गदर्शन करता है।
- 15. "मुख्य रिपोर्टर" महानगरीय केन्द्र में बह व्यक्ति है जो उस केन्द्र के सभी रिपोर्टरों का प्रभारी है तथा वैधातिक, राजरैतिक प्रथवा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की मूचना देता है।
- 16. "मुख्य फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो फोटोग्राफरों के कार्य का गार्बटन तथा निरीक्षण करता है।
- 17. "रासुय अपूरों का प्रमुख" वह अपित है जो राग्य राजधानी में सभी प्रकार के समावारों का मार्गदर्शन तथा उनके संकलन का निर्देशन करता है।
- 18. "मुख्य उप-सम्पादक" महानगरीय केन्द्र में वह व्यक्ति है जो नियमित रूप से सम्पादकीय ईस्क पर एक पारी का कार्यभार सम्भासता है, जप-सम्पादकों को कार्य सौंपता है तथा उनने कार्य का निरीधण करता है।
- 19. "विरिष्ठ संवाददाता" महानगरीय केन्द्र में बह व्यक्ति है जिसका नियमित कर्तव्य संसदीय, राजनैतिक प्रयक्ता सामान्य महत्व के समाचार सृचित करना है अथवा वह व्यक्ति है जिसे नियमित स्प से प्राधिक तथा वाणिज्यक महत्व, न्यायाजयों तथा राष्ट्रीय खेलकृद समाचार एकक करने का कार्य सींपा गया हो।
- 20. "बरिष्ठ उप-सम्पादक" महानगरीय केन्द्र में वह व्यक्ति है जिसे सम्पादकीय हैंस्क पर मुक्य पारियों को छोड़ कर किसी अन्य पारी का कार्यभार सम्भालने का कार्य नियमित कप से सींगा गया हो अचवा जिसके नियमित कर्तंच्यों में विशेष बाहक को समाचार डिस्पैब करने की तैयारी शामिल है।
- 21. "बरिष्ठ रिपोर्टर" वह ष्यक्ति है जिसके नियमित कर्तक्यों में राउथ सरकार समावारों प्रथय राउथ विद्यान समामों की कार्यवाही की सूचना देना है।
- 22. "वरिष्ठ विज्ञकार" वह स्यक्ति है जो जनहित के मृत्य कार्य संबंधी समाचार एकत करता है तथा जिसके पास धनुमक होता है और वह मृत्य चित्रकार की धनुभस्यित में उसका कार्य करना है।

- 23. "उप-सम्पादक" बह स्थानित है जो सभी विसरणों के समाचार मर्दों को प्राप्त करने, चुनने, संविध्त करने, सार, बनाने, विस्तृत करने, मनुवाद, सम्पादक तथा मुख्य शीर्षक तुनाने का कार्य करना है तथा यह कुछ या सभी कार्य करना है।
- 24. "सम्जादवाता" वह व्यान्त है जो तार, जाक प्रथवा ग्रन्थ साधनों छारा किसी भी केन्द्र से समाचार एकत्र करता है थथा भेजता है।
- 25. "रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो समाचार एकत कर के किसी विशिष्ट केन्द्र में प्रस्तुत करता है।
- 26. "चित्रकार" वह व्यक्ति है जो चित्रों के माम्पम से जनहित की चटनाओं के समाचार एकत करना है।
- 27. "दूरदर्शन रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो किती शिंग के केन्द्र पर स्थित दूरदर्शन विग के लिए समावार एकत तथा प्रस्तुतकर्ता है।
- 28. "दूरवर्शन प्रस्तुतकर्ता" प्रनुख प्रैस ट्रस्ट धाफ इंडिया की दूरवर्शन सेवाणों का कर्तावर्ता होता है।
- 29. "में त्रीय प्रश्नंधक" वह व्यक्ति है जो देशा में पश्चिमी/जत्तरी/पूर्वी/ विभागी क्षेत्रों में समाचार एजेंसी की समाचार तथा प्रश्न सेवाधों काप्रभारी होता है।
- 30. चुनींदा माधार पर "विशेष संवादशता" वह विशेष संवादशता है, जिसे उच्चतर कार्यभार तथा उत्तरदायित्व के कर्तका निभाने के कारण उच्चतर कीणी में रखा गया है।
- "स्टोंक विनिमय सेवा प्रवंशक" वह व्यक्ति है जो स्टोंक विनिमय-सूचना तथा स्टोंक परोचण सेवा सूचनामों को समस्वित करता है।
- 32. "दूरवर्शन प्रस्तुतकर्ता" प्रोप्रार्मिंग के संबंधित केलों (मर्चव्यवस्था, वितेमान कार्यकताय, शिक्षा, समाचार) का प्रमारो होता है।
- 33. "विशेष संवाददाता (दूरवर्णत)" समाचार तथा वर्तमान कार्यकलाप सुचित करने तथा यथा सम्मत्र नश्चितिकरण का प्रमारी होता है।
- 34. "राज्य स्पूरो राजधानी का मुका नवंश्वत" वह व्यक्ति होता है जो राज्य राजधानी में सभी प्रकार के समायारों का मार्गदर्शन, निर्देशन "तथा संकलन करता है।
- 35. "सहायक प्रस्तुतकर्ता सङ्किरोटेर" प्रस्तुतोकरण के सःष-साथ दूरवर्षान सेवा के लिए घटनाएं सूचित करने में, जिसमें धनुसंधान एवं रिपोटिंग शामिल है सहायता करता है।
- 36. "प्रबंधक समाचार विनियम" वह व्यक्तित है जी समाचार एकेंसी विनिमय कार्यक्रम का धन्य एजेंसियों के साथ समन्त्रयन करता है।
- 37. "पुस्तकाब्यअ" वह व्यक्ति है जो समाचारों तथा रेविचारों, जिन्हें समाचार कहानियों के लिए "पुष्ठभूमि झयवा सामग्री के कप में प्रपृत्त किया जाता है, से संबंधित मामिने बे तैयार करना है तथा रखता है।

क्षा<mark>लिका-1</mark> समाचार एर्जेसिया श्रमजीवी पत्रकार

धर्ग	वेतनमान		वर्ष
(2)	(3)		(4)
1. '(विशेष)	कोई वेतनमाम नहीं		
1		40-380-8960	12
	(4) (4)	(4)	
	(2)	(2) (3) 1. '(विशेष) कोई बेतनमान नहीं 1	(2) (3) 1. '(विशेष) कोई वेतनमान नहीं 1

(1)	(2)	(ε)	(4)
	1ए	र. 4180-230-5020-280-6140-330-7460	12
		(4) (4)	
	1 भी	च. 3500-160-4140-190-4900-210-5740-230-6660	16
		(4) (4) (4)	
	2	च. 3225-145-3950-160-4725-175-5425-190-6215	18
		(5) (5)	
	20,	ኝ. 2520-125-3145-140-3845-160-4485-180-5205	18
		(5) (5) (4) (4)	9.0
	3	च. 2275-100-2775-115-3350-130-4000-145-4725 (5) (5) (5) (5)	20
II.			
 (4) करोड़ इन्येतया उपने अधिक परच्यु 7 करोड़ क्यमें से कम)	1. (विशय)	कोई चेतनमान नहीं	
•	1	च. 4500-230-5420-275-6520-325-8720	12
		(4) (4)	
	1ή	र. 3860-190-4620-230-5540-270-6620	12
		(4) (4) (4)	
	1मी	3 0. 0. <t< td=""><td>16</td></t<>	16
	2	(4) (4) (4) (4) 5. 3100-120-3700-135-4375-150-4975-175-5675	• •
	2	(5) (5) (4) (4)	18
	2 ऍ	₹. 2400-110-2950-120-3550-140-4110-160-4750	18
	~ `\	(5) (5) (4) (4)	1.0
	3	₹. 2170-95-2645-100-3145-115-3720-130-4370	20
	»:	(5) (6) (5) (5)	20
		समाचार भ्रामकरण ग्रैरपत्रकार	
	समूह	घेतनमान	मणं
(1)	(2)	(3)	(4)
(7 करोड़ रूपमें तथा उससे अधिक)	1	कोई वेतनमान नही	
	2	5. 2635-125-3135-150-3735-175-4435-200-5235 (4) (4) (4)	16
	3	5. 2290 ⁻¹ 15 ⁻ 2750 ⁻ 125 ⁻ 3250 ⁻ 135 ⁻ 3790 ⁻ 145 ⁻ 4370 (4) (4) (4) (4)	16
	4	ቼ. 1885-85-2310-95-2785-105-3205-115-3665 (5) (5) (4) (4)	18
	5	ቼ. 1565-55-1840-60-2140-65-2400-70-2680 (5) (5) (4) (4)	18
	6.	হ. 1430-38-1620-40-1820-42-2030-45-2255 (5) (5) (5) (5)	20
	7	ቼ. 1300-32-1460-35-1635-38-1825-40-2025 (5) (5) (5) (5)	20
∏ (4, करोड रुपये तथा उससे अधिक, परम्लु 7 करोड़ रुपये से			
कम्)	1	कोई खेतनमान नहीं	
	2	ষ. 2525 ⁻ 115 ⁻ 2985 ⁻ 140 ⁻ 3445 ⁻ 160 ⁻ 4085 ⁻ 180 ⁻ 4805 (4) (4) (4) (4)	16
	3	F. 2180-95-2560-110-3000-125-3500-140-4060 (4) (4) (4) (4)	16
	4	*. 1800-85-2225-95-2700-105-3120-115-3580 (5) (5) (4) (4)	18

1)	(2)		(3 <u>)</u>			(4)
<u>, </u>	5	ড়, 1500-50-17	50-55-2025-60-226	35°65*2525		18
	ū	(5)	(5) (4)	(4)		, ,
	6	,	40-38-1730-40-193			20
	-	(5)	(5) (5)	(5)		20
	7	~	95-32-155 <i>5</i> -35 - 173	` '		20
		(5)	(5) (5)	(5)		
		तासिका-II		- -		
ल बेतन स्लेब्स			प्रश्येक वर्ष 1 जन (1960 == 100) करने के लिए व्यूट्रॅंड	के सूचकांक के		श्रम्तूबर से 752 गाई भत्ता निर्धारित
(1)				(2)	·	
 1250 হ. বুক			मूल वेतन का 100	%	.,	
251 इ. तथा 2000 इ. के दीच			मूल चेतन का 75		. का 100% ज	ोभी भक्षिक हो।
2001 रु. तथा 3500 रु० के बीच			मूल वेतन का ६०			
उठ01 इ. स्पा 5000 इ. के बीच			मूल बेसन का 45	% या 3500 र	. का 60% जो	भी प्रधिक हो।
5,000 व. से ऊंपर			मूल वेतन का 35 %			
देय महिगाई मत्ता की धनरावि	त्र की गणसाक्रिय≃	न प्रकार की जा∪गी।				
पत्र नद्वाद नता ल स्वता		- 	माही" के लिए श्रोसत	 ਰ ਟ ∓ ਪੀਵ		
	_		घटा 752 ×			
महगार	रेभता 🛥 ~~-	** ** ** ** **	701 134 1			
महगाः "उक्त तिमाही" से तात्पर्य उस दर "उक्त तिममाही" से तत्काल प्रग	तिमाही से है ि	752 जसका मौ सत सूचकांक मं लिए प्र ^{र्} यक वर्ष 1 जन	हुगा ई भक्त की द र निध	गीरित करने के लि	00 ाए लियागया है। 'र से देय होगी।	मंहगाई मत्ते की यह
" उ क्त तिमा ही " से तात्पर्य उस	तिमाही से है ि	752 जसका भौसत सूचकांक म लिए प्र ^{ह्} यक वर्ष 1 जनक तालिक (सकान वि	हुनाई भत्त की दर निध ारी, 1 धप्रैल, 1 जुला का-III ज्यामाभत्ता)	गीरित करने के लि	 ।ए लियागया है।	मंहगाई भक्ते की य ह
"उक्त तिमाही" से तात्पर्य उस	तिमाही से है ि	752 जसका भौसत सूचकांक म लिए प्र ^{ह्} यक वर्ष 1 जनक तालिक (सकान वि	हुगाई भक्त की वर नि ^ह ारी, 1 भप्रैल, 1 जुला भा-III	र्गिरित करने के लि हिं सथा 1 म्नक्तूब	 ाए लियागया है। उ. से देय होसी।	·
"उक्त तिमाही" से तारपर्य उस इ. "उक्स तिममाही" से तस्काल घर	तिमा ही से है जि गली तिमाही के 1981 ¹ 2 लाख	752 जसका भौसत सूचकांक मं सिए प्र ^{ह्} यक वर्ष 1 जन्म तालिक (मकान वि (वर्षे प्र	हुगाई भत्त की दर नि ^ह हरी, 1 भप्रैल, 1 जुला का-III हराया भत्ता) ति माह)	गेरित करने के लि हैं समा 1 मक्तूब " पाके मनुसार प्रस्तु 20 लाख	 ।ए लियागया है।	ः णनाके भ्रनुसार
"उक्त तिमाही" से तात्पर्य उस रद "उक्स तिमगाही" से तत्काल श्रग समाचार एजेंसी की श्रेणी	तिमा ही से है ि गली तिमाही के 1981 2 लाख संख्या व	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्र ^ह र्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार प्रथवा उससे मधिक जन साले नगर/गहर	हगाई भत्त की वर निध् ारी, 1 मप्रैल, 1 जुना हा-III हराया भत्ता) वि माह) "ब 1981 की जनगणन 10 लाख से मधिक	गेरित करने के लि इंसिया 1 मक्तूब ,,, गाके भनुसार इंपरन्तु 20 लाख । सिंगहर/नगर	ाए लिया गया है। 'र से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/शहर	ः णना के भ्रनुसार
"उक्त तिमाही" से तारपर्य उस द "उक्स तिमगाही" से तस्काल श्रग समाचार एजेंसी की श्रेणी	तिमाही से है जि ाली तिमाही के 1981 2 लाख संख्या व	752 जिसका भौसत सूचकांक म लिए प्र ^{र्} यक वर्ष 1 जनव तालि ⁴ (मकान वि (वरें प्र "क" की जनगणना के अनुसार प्रथवा उससे भिष्ठक जन नाले नगर/सहर 15% पर ^ह लु भ्रधिकतम	हगाई भत्त की वर निध् हो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III हराया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से प्रधिक से कम जनसंख्या ब वेतन का 10% प	गेरित करने के लि इंसिया 1 मक्तूब ,,, गाके भनुसार इंपरन्तु 20 लाख । सिंगहर/नगर	ाए लिया गया है। र से देय होगी≀ "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/शहर	ं णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले
"उक्त तिमाही" से तारपर्य उस द "उक्स तिमगाही" से तस्काल श्रग समाचार एजेंसी की श्रेणी	तिमाही से है जि ाली तिमाही के 1981 2 लाख संख्या व	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे मधिक जन साले नगर/गहर 15% परस्तु प्रधिकतम ख.	हगाई भत्त की वर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला हाराम भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से भ्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र.	गेरित करने के लि इंसिया 1 मक्तूब ,,, गाके भनुसार इंपरन्तु 20 लाख । सिंगहर/नगर	ाए लिया गया है। र से देय होगी≀ "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/शहर	ः णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले
"उक्त तिमाही" से तारपर्य उस द "उक्स तिमगाही" से तस्काल श्रग समाचार एजेंसी की श्रेणी	तिमाही से है जि ाली तिमाही के 1981 2 लाख संख्या व	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे मधिक जन साले नगर/गहर 15% परस्तु प्रधिकतम ख.	हगाई भत्त की वर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III राया भत्ता) ति माह) 1981 की जनगण- 10 लाख से भ्रमिक से कम जनसंख्या क वेतन का 10% प 400/ - र.	गेरित करने के लि इंसिया 1 मक्तूब ,,, गाके भनुसार इंपरन्तु 20 लाख । सिंगहर/नगर	ाए लिया गया है। र से देय होगी≀ "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/शहर	ः णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस र "उक्स तिममाही" से तस्काल ग्रग् तमाचार एजेंसी की श्रेणी	तिमाही से है जि ाली तिमाही के 1981 2 लाख संख्या व	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे मधिक जन साले नगर/गहर 15% परस्तु प्रधिकतम ख.	हगाई भत्त की वर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला हाराम भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से भ्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र.	गेरित करने के लि इंसिया 1 मक्तूब ,,, गाके भनुसार इंपरन्तु 20 लाख । सिंगहर/नगर	ाए लिया गया है। र से देय होगी≀ "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/शहर	ं णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस दि "उक्स तिममाही" से तस्काल प्रग् समाचार एजेंसी की श्रेणी	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 2 लाख संख्या व वेतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे भिषक जन वाले नगर/गहर 15% पर सु प्रधिकतम च. ताहि वर्षे प्र क	हगाई भत्त की दर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला का-III रोया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से भ्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र.	गेरित करने के लि हैं सथा 1 मन्तूब म के भनुसार परनेतु 20 लाख । जि गहर/नगर रैंतु मधिकसम	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परन्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस रद "उक्स तिमगाही" से तस्काल ग्रग् समाचार एजेंसी की श्रेणी श्रेणी I तथा II	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्र ^{र्} यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान कि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भगुसार अध्येता उससे मधिक जन ताले नगर/गहर 15% पर क्षु प्रधिकतम क. तारि वर्षे प्र काम जनगणना के भगुसार 2 इनसंख्या वाले नगर/गहर	हगाई भत्त की दर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला का-III रोया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से भ्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र.	गरित करने के लि हैं सथा 1 मक्तूब मा के भनुसार प्रपरेषु 20 लाख सि गहर/नगर र ^र ेषु मधिकसम नवीनतम जनगण पर े षु 20 लाख	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	ं णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परग्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस र "उक्स तिमयाही" से तस्काल ग्रग् तमाचार एजेंसी की श्रेणी समाचार ग्रांसिकरणों की श्रेणी	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वरें प्र "क" की जनगणना के अनुसार अथवा उससे भिषक जन वाले नगर/गहर 15% पर क्षु भश्चिकतम र य. तारि वरें प्र क	हगाई भत्त की दर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला का-III रोया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से भ्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र.	गरित करने के लि है सथा 1 मन्त्रव भा के भनुसार प्रस्तु 20 लाख । लि शहर/नगर रैंतु मधिकसम नवीनतम जनगण प्रस्तु 20 लाख 20/- ह.	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परश्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तार्थमं उस र "उक्स तिमगाही" से तरकाल ग्रग् समाचार एजेंसी की श्रेणी श्रेणी I तथा II	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वरें प्र "क" की जनगणना के अनुसार अथवा उससे भिषक जन वाले नगर/गहर 15% पर क्षु भश्चिकतम र य. तारि वरें प्र क	हगाई भत्त की वर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III राया भत्ता) ति माह) 1981 की जनगणन 10 साख से प्रधिक से कम जनसंख्या क वेतन का 10% प 400/ - र.	गरित करने के लि हैं सथा 1 मक्तूब मा के भनुसार प्रपरेषु 20 लाख सि गहर/नगर र ^र ेषु मधिकसम नवीनतम जनगण पर े षु 20 लाख	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परश्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस र "उक्स तिमयाही" से तस्काल ग्रग् तमाचार एजेंसी की श्रेणी समाचार ग्रांसिकरणों की श्रेणी	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान वि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे भिष्ठक जन वाले नगर/गहर 15% पर सु प्रधिकतम च. ताहि नगर प्री वर्षे प्र क	हगाई भत्त की वर निध् रो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III राया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से प्रधिक से कम जनसंख्या क वेतन का 10% प 400/ - र.	गरित करने के लि है सथा 1 मन्त्रव भा के भनुसार प्रस्तु 20 लाख । लि शहर/नगर रैंतु मधिकसम नवीनतम जनगण प्रस्तु 20 लाख 20/- ह.	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परश्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस र "उक्त तिमगही" से तस्काल प्रग् समाचार एजेंसी की श्रेणी समाचार प्रजिसी की श्रेणी समाचार प्रजिस II	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान कि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे भिष्ठक जन वाले नगर/गहर 15% पर श्रुष्ठ भष्ठिकतम च. ताहि नगर प्रति वर्षे प्र क	हगाई भत्त की वर निध् ारो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III हराया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से प्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र. का-IV प्रपुरक भत्ता ति माह	गरित करने के लि है सथा 1 मन्त्रव भा के भनुसार प्रस्तु 20 लाख । लि शहर/नगर रैंतु मधिकसम नवीनतम जनगण प्रस्तु 20 लाख 20/- ह.	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परग्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तास्पर्य उस रद "उक्स तिमगाही" से तस्काल प्रग् समाचार एजेंसी की श्रेणी समाचार प्रजेंसी की श्रेणी समाचार प्रजेंसिकरणों की श्रेणी समाचार एजेंसियों की श्रेणी	तिमाही से है जि 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/- 1981 19	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान कि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे भिष्ठक जन ताले नगर/गहर 15% परन्तु भषिकतम वर्षे प्र वर्षे प्र	हगाई भत्त की वर निध् ारो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III हराया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से प्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र. का-IV प्रपुरक भत्ता ति माह	गरित करने के लि है सथा 1 मन्त्रव भा के भनुसार प्रस्तु 20 लाख । लि शहर/नगर रैंतु मधिकसम नवीनतम जनगण प्रस्तु 20 लाख 20/- ह.	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परन्तु भ्रधिकतम
"उक्त तिमाही" से तात्पर्य उस दर "उक्स तिमगाही" से तत्काल प्रग समाचार एजेंसी की श्रेणी समाचार प्रशिकरणों की श्रेणी	तिमाही से है जि तिमाही के 1981 ³ 2 लाख संख्या व वैतन का 500/-	752 जिसका भौसत सूचकांक में लिए प्रत्यक वर्ष 1 जनव तालिक (मकान कि (वर्षे प्र "क" की जनगणना के भनुसार अथवा उससे भिष्ठक जन ताले नगर/गहर 15% परन्तु भषिकतम वर्षे प्र वर्षे प्र	हगाई भत्त की वर निध् ारो, 1 मप्रैल, 1 जुला हा-III हराया भत्ता) ति माह) "ब 1981 की जनगण- 10 लाख से प्रधिक से कम जनसंख्या व वेतन का 10% प 400/ - र. का-IV प्रपुरक भत्ता ति माह	गरित करने के लि है सथा 1 मन्त्रव भा के भनुसार प्रस्तु 20 लाख । लि शहर/नगर रैंतु मधिकसम नवीनतम जनगण प्रस्तु 20 लाख 20/- ह.	ाए लिया गया है। "द से देय होती। "ग 1981 की जनग 10 लाख से कम नगर/बाहर वेतन का 7 1/ 350/- र.	णना के भ्रनुसार जनसंख्या वाले 2% परन्तु भ्रधिकतम

डिप्पणी: एक मास में 15 राजियों से मित्रक राजि पारी करने के लिए वरें 50% से उच्चतर होंती।

[सं. बी-24018/3/89-अबल्यू बी] पद्मा वेंभटाचलम, उप मित्रव

MINISTRY OF LABOUR ORDER

New Delhi, the 31st August, 1989

S.O. 683 (E).—Whereas for the purpose of enabling the Central Government to fix or revise rates of wages in respect of journalists and non-journalist newspaper employees, two wage boards were constituted under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) on the 17th day of July, 1985 by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. SO. 527(E) and 528(E), both dated the 17th July, 1985;

And whereas, the aforesaid Wage Boards submitted their recommendations to the Central Government on the 30th day of May, 1989;

And whereas, the Central Government proposes to examine the recommendations of the said Wage Boards contained in paragraphs 19(a) and 19(b) of section V of Part I under Chapter IX and paragraphs 12(a) and 12(b) of Section V of Part II under Chapter IX of their report in relation to payments of house rent and City compensatory allowances and until the examination is complete in this behalf, the newspaper establishments and news agencies shall continue to pay house rent allowance to journalists and non-journalist newspaper employees at the rates applicable immediately before the date of publication of this order;

And whereas, the Central Government proposes to accept the other recommendations of the said Wage Boards contained in Chapter IX of the Report appended in the Schedule to this Order, subject to modifications hereinafter specified, being modifications which, in the opinion of the Central Government do not effect important alterations in the character of the recommendations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellandous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby orders that:

In Chapter IX,-

- (a) in section III(A), under 14 I(a) and (b),—
 - (i) in Group 3, after the word "Calligraphist", the words "including Katiba" shall be inserted;
 - (ii) in Group 3 A, after the words "Proof Reader" the words "including Advertisement Proof Reader" shall be inserted;
- (b) in Section III(B), under heading "I. Administrative Staff" under Sub-headings (a) and (b), in Group 4, the words "Advertisement Proof Reader", wherever they occur shall be omitted;
- (c) in Part II, in Table I relating to News Agencies, for the entries under the heading Non-journalist, the following entries shall be substituted, namely:—

NEWS AGENCIES NON-JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
1	2	3	4
1	1	No Scale	
(Rs. 7 Crores & above)			
	2	Rs. 2850-150-3450-175-4150-225-5050-250-6050 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 2500-125-3000-135-3540-145-4120-160-4760 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 2050-95-2525-110-3075-125-3575-140-4135 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1950-95-2425-105-2950-115-3410-125-3910 (5) (5) (4) (4)	18

			[1 AKT 11- DEC. 5(1)]
1	2	3	4
	6	Rs. 1695-65-2020-75-2395-85-2735-95-3115	18
		(5) (5) (4) (4)	
	7	Rs. 1560-42-1770-45-1995-48-2235-50-2485	20
		(5) (5) (5)	 -
II	1	No Scale	
(Rs. 4 crores and above			
but less than Rs. 7 crores)	2	Rs. 2750-125-3250-150-3850-175-4550-225-5450	16
·		(4) (4) (4) (4)	••
	3	Rs. 2400-115-2560-130-3380-145-3960-160-4600	16
		(4) (4) (4) (4)	
	4	Rs. 1975-95-2450-105-2975-115-3435-125-3935	18
		(5) (5) (4) (4)	
	5	Rs. 1875-85-2300-95-2775-105-3195-115-3655	18
		(5) (5) (4) (4)	-
	6	Rs. 1630-6 0-1930-65-2255-70-2535-75-2835	18
		(5) (5) (4) (4)	
	7	Rs. 1495-40-1695-42-1905-45-2130-48-2370	20
		(5) (5) (5)	

SCHEDULE CHAPTER-IX PART-I

RECOMMENDATIONS OF THE WAGE BOARD FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES

(For employees of Newspaper Establishments other than News Agencies)
SECTION-I

PRELIMINARY:

- 1. Definitions.—(a) The expressions 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employees', shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and Other Newspaper Employees', (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'. For the purpose of the recommendations in this Part, 'Newspaper Establishment' shall not include a News Agency.
- (b) "Accounting year" used with reference to a particular year shall in the case of newspaper establishment mean financial year starting with April 1 and ending with March 31, next. In case, however, the accounting year of a newspaper establishment is different from financial year it shall mean that accounting year of the establishment, of which more than half falls in the particular year. In case of the newspaper establishment whose accounting year start from 1st October, the accounting year would be that year in which the first six months fall.

Illustration.—If the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st January, 1988, reference to the accounting year 1988 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to accounting year 1988-89. Again, if the accounting year of the newspaper establishment starts from 1st October, reference to accounting year 1988 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1988-89 of that establishment.

- (c) 'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in paragraph 14.
- (d) (i) 'Cross Revenue' of a newspaper establishment means revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisement in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made by it out of funds earned in the newspaper business.

(ii) Revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission so allowed is reasonable. A reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax Authorities in case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax Authorities is available, the circulation commission shall be 28 per cent and the advertisement commission shall be 15 per cent of the respective revenues.

SECTION-II

Classification of Newspaper Establishments

- 2. For the purpose of fixation of rates of wages in respect of Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, newspaper establishments shall be classified in the manner hereinarter provided.
- 3. (a) Classification of newspaper establishments shall be based on the average gross revenue of 3 accounting years, 1984-85, 1985-86 and 1986-87.
- (b) In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification shall be determined on the basis of its average gross revenue for these two years.
- (c) In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification shall be determined on the basis of its gross revenue for that year.
- 4. A new newspaper establishment i.e., a newspaper establishment to which any of the provisions of para 3 do not, in terms apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.
- 5. Notwithstanding anything contained in paras 3(b), 3(c) and 4 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than Class IX.
- 6. (1) (a) The different departments, branches and centres of a newspaper establishment shall be treated as part of the same newspaper establishment.
- (b) Two or more newspaper establishments including their departments branches and centres (hereinafter called con-

. --. ...

stituent Newspaper Establishments) under common control of a person or body of persons, whether incorporated or not, shall be treated as one newspaper establishment and their combined gross revenue shall be determinative of their placement in a class.

Explanation.—A printing press whose principal business is to print a newspaper shall be a newspaper establishment. If it fulfills the conditions enumerated in sub-para (1), it shall be considered to be a constituent newspaper establishment.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-para (1) above, newspaper establishments falling in any of Classes VI to IX hereinafter mentioned, on the besis of their own gross revenue, shall not be stopped up by more than two classes as a result of clubbing of gross revenue under sub-para (1) above.
- (3) The following factors inter-alla shall be determinative of common control over two or more constituent newspaper establishments:
 - (a) (i) Where the newspaper establishments are owned by a common individual or individuals.
 - (ii) Where the newspaper establishments' are owned by firms, if such firms have a substantial number of common partners;
 - (ili) Where the newspaper establishments are owned by bodies corporate, if one body corporate is a subsidiary of the other body corporate, or both are subsidiary of a common holding company or a substantial number of their equity shares are owned by the same person or group of persons, whether incorporated or not;
 - (iv) Whether one establishment is owned by a body corporate and the other is owned by a firm, if a substantial number of partners of the firm together hold a substantial number of equity shares of the body corporate.
 - (v) Where one is owned by a body corporate and the other is owned by a firm having bodies corporate as its partners if a substantial number of equity shares of such bodies corporate are owned, directly or indirectly, by the same person or group of persons, whether incorporated or not, OR
 - (b) Where there is functional integrality between concerned newspaper establishments.

Explanation.—A spouse of an individual shall be his/her alterego unless it is shown that the spouse is a proprietor or partner of a shares holder on the basis of his/her own funds.

- 7. Unless otherwise proved, two or more newspaper establishments publishing newspaper or newspapers bearing same or similar title and in the same language from any place in India or bearing same or similar title but in different language in the same State or Union Territory, shall be presumed to be constituent newspaper establishments under common control and their combined gross revenue shall be determinative of their placement in a class.
- 8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication, it shall so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis of its total gross revenue; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed one class lower for three accounting years at the new centre. In either case, it shall not be placed lower than Class IX, so far as the new centre is concerned.
- 9. The classification determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13.
- 10. If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 3 to 9 shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were it revenue for those years under the new owner.

11. Subject to the provisions of paragraphs 6 and newspaper establishments shall be classified under the following nine classes on the basis of their gross revenue:—

Class	Gross Revenue
IA	Rs. 100 crores and above.
1	Rs. 50 crores and above but less than Rs. 100 crores.
П	Rs. 20 crores and above but less than Rs. 50 crores.
111	Rs. 10 crores and above but less than Rs. 20 crores.
IV	Rs. 5 crores and above but less than Rs. 10 crores.
v	Rs. 2 crores and above but less than Rs. 5 crores.
VI	Rs. 1 crore and above but less than Rs. 2 crores.
VII	Rs. 50 lakhs and above but less than Rs. 1 crore.
VIII	Rs. 25 laklis and above but less than Rs. 50 laklis.
IX	Less than Rs. 25 lakhs.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment other than one falling in Class IX, is less than 45 per cent of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

Reclassification

13. It shall be open either to the employer or to the Employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1989-90 on the basis of the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

SECTION III

GROUPING OF WORKING JOURNALISTS

- (A) Group of Working Journalists
 - 14.1 Full time employees:
 - (a) In newspaper establishment, of classes IA to VII.
 - Group I-Editor.
 - Group IA—Executive Editor, Resident Editor, Associate Editor, Joint Editor, Deputy Editor.
 - Group IB—Assistant Editor, Leader Writer, Chief of News Bureau, News Fditor, Special Correspondent.
 - Group 2—Deputy or Assistant News Editor, Chief Reporter, Chief Sub-Editor, Sports Editor, Commercial Editor, Film Editor, Magazine Editor, Cartoonist, Chief of Statistical or Research Division, Chief News Photographer, Chief Librarian, Chief

- Index Assistant, Chief Calligraphist, Chief Artist, Principal Correspondent in State capitals accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a special Correspondent and other sectional or batch heads, not placed in a higher category.
- Group 2A—Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Senior Calligraphist, Senior Artist, Senior Librarian and Senior Index Assistant.
- Group 3-Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Artist, Calligraphist, Librarian, Index Assistant, Chief Proof Reader.
- Group 3A-Proof Reader.
- Group 4—All Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.
- (b) In newspaper establishments of classes VIII and IX. Group 1—Editor.
 - Group 1B—Assistant Editor, Leader Writer, News Editor, Special Correspondent.
 - Group 2—Chief Sub-Editor, Chief Reporter, Sports Editor, Commercial Editor, Cartoonist, Chief of Statistical Division, Chief of Research Division, Principal Correspondent in State Capitals accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent.
 - Group 3—Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Calligraphist, Artist Librarian, Index Assistant and Chief Proof Reader.
 - Group 3A-Proof Reader.
 - Group 4—All Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.
- (For functional definitions of various categories of Working Journalists, See Schodule I).
- II. Part-time Employees.—'Part-time Correspondent' means a Correspondent who is a part time employees of a news-paper establishment and whose principal avocation is that of journalism.
- (B) Grouping of Non-Journalist Newspaper Employees
- 1. Administrative Staff: (a) For Newspaper Establishments Classes IA to VII.
 - Group 1-General Manager, Manager and Socretary.
 - Group 2—Departmental Manager (those who are Incharge of Circulation, Advertisement Department, Personnel etc.) Chief Accountant (Accountant), Electronic Fugineer, P.R.Os, (Classes I. II, III, IV & V newspaper establishments).
 - Group 2A. Liaison Officer, Accounts Officer, Chief Internal Auditor, Assistant Advertisement Manager, Assistant Circulation Manager and Personnel Officer.
 - Grown 3—Sectional Head (Supervising work of 5 clerks). Business Canvasser. Sales Representative, Head Clerk, Programmer, Computer Programmer. Personal Assistant, (Steno-Secretary). Assistant Accountant, Advertisement Representative.
 - NOTE: The recommendations in this part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newsraper Employees as defined in the Act though included in the above 4 groups.
 - Group 4—Stenographer, Assistant, Accounts Cle-k, Card Punching Operator, FDP Operator, Flectronic

- DATA Processer Watch and Ward Inspector, Cashier, Circulation Inspector/Representative, Advertisement Translator, Senior Clerk (i.e. these whose work involves special skills), Operators of Accounting machines/calculating machines and Teleprinter, Field Organiser and those doing audit, bureau of circulation, Advertisement Proof Reader, Nurse (Male and Female), Artist (Commercial and Process).
- Group 5.—Junior Clerk (i.e. those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and scale of publications). Time Keeper, Typist, Telephone Operator, Addressographer, Receptionist Franking Machine Operator, Canteen Supervisor, Junior Artist (Commercial and Process), Firemancum-Security man.
- Group 6—Bill Collector, Security Guard, Daftry or those doing semi-clerical work, Zerox Operator, Watchman and Delivery Peon.
- Group 7—Peon-cum-Messanger, Peon, Sweeper, Beafer, Cleaner, Call-boy, Canteen-boy, Water-boy, Mali. Tailor, Orderly, Durwan, Masalchi.
- (b) For newspaper establishments classes VIII & IX
 - Group 1-General Manager, Manager and Secretary.
 - Group 2—Departmental Manager (those who are Incharge of Circulation, Advertisement Departments, Electronic Engineer, Personnel etc.) Chief Accountant (Accountant).
 - Group 3—Sectional Head (Supervising work of 5 clerks). Business Canvasser, Sales Representative. Head Clerk, Programmer, Computer Programmer. Personal Assistant (Steno-secretary), Assistant, Accountant, Advertisement Representative.
 - NOTE.—The recommendations in this Part shall not apply to employees other than Non-Journalist News, poner Employees as defined in the Act though included in the above 3 Group.
 - Group 4—Stenographer, Assistant, Accounts Clerk, Card Punching, Operator, EDP Operator, Electronic DATA Processor, Watch and Ward Inspector, Cashier, Circulation Inspector/Representative, Advertisement Translator, Senior Clerk, (i.e. those whose work involves special skills) Operators of accounting machines/Calculating machines and teleprinter, Field Organiser and those doing audithureau of circulation, Advertisement Proof Render, Nurse (Male and Female), Artist (Commercial and Process).
 - Group 5—Junior Clerk (i.e. those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and sale of publications), Time Keeper, Typist, Telephone Operator, Addressographer, Receptionist, Franking Machine Operator, Sanitary Inspector. Canteen Supervisor, Junior Artist (Commercial and Process), Fire-cum-Security Man.
 - Group 6—Bill Collector, Security Guard, Daftary or those doing some clerical work, Zerox Operator, Watchman and Delivery Peons.
 - Groun 7—Peon-cum-Messenger, Peon, Sweeper, Beater, Cleaner, Call-boy, Canteen-boy, Water-boy, Mali. Tailor, Orderly, Darwan, Masalchi.
- II. Factory Staff for all Newspaper Establishments.
 - Groun 1—A & B Grade Supervisor, Camera, Operator (Process and offset), Colour separation scanner, Computer Operator, Display Advertisement Operator, Offset Printer, Offset Rotary Mechanic, PTS Controller, PTS Engineer, photo Type Setting Operator, Scanner/Scanner Operator, Senior Cameraman, Supervisor (Photo Composing), Senior VDT Operator/VDT Operator, Terminal Operator

- Group 1A—Air Condition Plant Mechanic. Armature Winder, Auto Cameraman, Bromide Paster, Cameraman (Offset), Cameraman, Chief Press Advertising Assistant, Colour Etcher, Colour Paster, Electronic Key Board Operator/ Key Board Operator, Film Impositor, Film Paster, Foreman, Junior VDT Operator, Katibs, Lino Mechanic, Lino Operator, Line Paster, Micro Film Technician, Micro Film Unit Assistant, Mono Mechanic, Mono Operator, Motor Mechanic, Negative Retoucher, Nylo Plate Maker, Offset Machineman, Offset Mechanic Offset Retoucher, Offset Engineer, Offset Plate Maker, page makeup man (Photo Setting), Pasteup Man/Pasteman/Paster/Pasteup Artist, Photographer (Process), Plate Maker (Colour), Press Advertising Assistant, Prinfer (Foreman Composing Supervisor), Process Developer, Printer (Offset, Photo Composing A & B Grade, Composing), P.T.S. Mechanic, P.T.S. Senior Key Board Operator, Reprophotographer, Rotary Mechanic, Senior Impositor, Senior Mechanic, Senior Paster, Senior Printer, Senior Retoucher, Supervicor, Supervisor (Composing weekly job and other sections), T.T.S. Operator.
- Group 2—APL Operator, Assistant Camera Operator, Assistant Colour Printer, Assistant Plate Maker (Colour), Assistant Layout-man, Assistant Foreman, Assistant Printer, Block-Room Assistant, Block-Room Man, Bromide Developer (PTS Developer), Camera Operator, Colour Printer, Contact Operator/Contact Printing Operator, Conveyor Striket Machineman, Corrector, Deputy Foreman (Gullotine), Engraver, Enlarger Operator, Filing Assistant, Flongman, Graining Machineman, Half tone Etcher, Headingman, Imposer, Impositor, Joiner, Junior Lino Mechanic, Junior Printer, Ludlow Operator, Make-up Man, Offset Plate Maker, Pageman, Assistant Paster, Metal Printer, Operator Colour (Highly skilled) photogravure Machineman, Photo Lettering Machine Operator, Process Assistant, Process Printer, Proofing Machineman (Offset) P.T.S. Key Board Operator, Retoucher, Reelstar Machineman, Rotarymachine Headman, Rotary Machineman (General), Rotary Machineman Sarang, Senior Machineman, Stereo Blockman, Stereo Caster, Stereo Castingman, Stereo Casting Headman, Stereo Fireman, Stereo Mouldingman, Stonehand, Junior Mechanic, 202 Processor.
- Group 3—Air Condition Plant Cleaner, Assistant Mukadam Assistant Printing Machineman (All categories), Caster, Carpenter, Charge Hand (Palatia), Chipper or Router, Colour Work Proofing Pressman, Copy Holder, Cutter, Bycle Mistry, Dark Room Assistant, Driver, El-Rod Operator, Electrician, Fitter, Hammerman, Hand Compositor, Hand Pressman, Junior Machineman, Machineman (except Rotary Machineman), Machineman (other than printing) Mangleman, Mason, Metal Caste, Mistry, Monocaster, Moulder, News Daftary, Offset-Inlaman, Operator (Black & White), Painter, Pasteup man in art Department, Plate Maker (Black and White), Plumber, Presensitised Plate Maker, R.C. or Film Processor Operator, Roller Maker, Rotary Mukadam, Ruling Machineman, Senior Chargenand, Sign Writer, Store Mukadam, Turner, Wireman, Welder, Stereoman.
- Group 4—Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Machineman, Assistant Turner, Assistant Welder (all with 5 years service), Blacksmith, Cook. Cutting Machineman, Df. Pressman, Distributor, Treadleman, Linestcher.
- Group 5—Balter Mukadam, Barman, Binder, Case Room Cleance, Colour-work Examiner, Counter, Daftary, Dhobi, Feeder, Fly-boy, Gally Pressman, Havildar, Meadpean, Interlay Cutter, Jamadar, Knile Sharpner, Bead Meller, Liftman, Lino Cleaner, Lock-up 418 GI/89—5

- man, Mounter, Mono-Cleaner, Numberer, Packer, Paperman, Plate Grinder, Proof Puller, Reel Minder, Rollerman, Semi-skilled Baller, Store-pape counter, Stitcher, Wheeler (Rotary Cleaner), All other semi-skilled attendents, cleaners and helpers by whatever name they are called.
- Group 6—Baller, Binding boy, Mazdoor, Real Londer and Unloader, Trolleyman, Proof Messenger.
- 15. The categories mentioned above are those which are generally found in newspaper establishments. Some news paper establishments have created other categories which are peculiar to the establishments and not generally considered to be essential by other establishments. Where in an establishment any individual category is already fixed in a higher group, it shall not be placed in a lower group.
- 16. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned in the groups above. Functions of some categories may be combined, in which case the employees shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employees, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account such categorisation.

SECTION IV

Remuneration

- 17.1 Wages, Scales and Grades.—Newspaper Employees of different groups in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.
- 17.2 Every Part-time Correspondent shall be paid not less than 1/3rd of the basic wage+D.A. applicable to a full-time Correspondent at similar level. In addition, payment should be made to him on column basis, the rate to be settled by mutual negotiations. Provided that no newspaper establishment shall put any restriction on a part-time Correspondent that he will not work for more than one newspaper unless he is appointed full time.

Dearness Alfowance

- 18(1) Till a new series is adopted by the Central Government, average consumer price index number of industrial Workers (General) (base 1960 = 100) may continue to be used for grant of compensation to employees for price rise.
- (2) Compensation would be paid for the price increase above the quarterly index average of 752 (1960=100), to which the pay scales recommended herein are related.
- (3) Compensation may be sanctioned as soon as the figures for the quarter for which average index is to be used for determining rate of dearness allowance becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the quarter immediately succeeding the quarter for which average index figures are used for determining rate of dearness allowance.
- (4) Rate of neutralisation of employees drawing upto Rs. 1250 would be 100%. This would be reduced to 75% for employees drawing between Rs. 1251 and Rs. 2,000, to 60% for employees drawing between Rs. 2001 and Rs. 3,500 and to 45% for those drawing between Rs. 3,501 and Rs. 5,000 to 35% for those drawing Rs. 5,001 and above.
- (5) The revised rates of dearness allowance with reference to All India Average Price Index Consumer Price Index No. 752 (1960=100) will become operative for Classes IA to V from 1-4-1988 on the basis of average Consumer Price Index (1960=100) the quarter January to March, 1988 over Consumer Price Index 752 (1960=100) and for classes VI to IX from 1-4-89 on the basis of average Consumer Price Index (1960=100) for the quarter January—March, 1989 over Consumer Price Index 752 (1960=100).

SECTION V

Other Allowances :

- 19(a) House Rent Allowance.—House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to employees posted in the respective zones, provided that:—
 - (1) Where an employees is provided residential accomodation by Newspaper Establishment, no House Rent Allowance will be payable.
 - (2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provivision.
 - (3) Where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.
- (b) City Compensatory Allowance.—City Compensatory Allowance as indicated in Table IV attached herewith will be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to employees posted in the respective zones.
- (c) Night Shift Allowance.—Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table V.

SECTION VI

- 20. Fitment Rules.—(1) For the purpose of fitment rules an "employee" means a Working Journalist or a Non-Journalist Newspaper Employee'.
- (2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his Basic Pay, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 752 (base 1960 = 100) and Interim Relief granted in pursuance of the Notification dated the 30th May, 1986, issued by the Government of India, Ministry of Labour.
- (3) (a) The "Additional Emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in Basic Wage, Dearness Allowance or Interim Relief.
- (b) The "Additional Allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or Dearness Allowance.
- (4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.
- (5) (a) The revised scales of pay shall come into force with effect from 1st January, 1988 (hereinafter called the relevant date), in respect of all classes.
- (b) However, for the period 1st January, 1988 to 31st December, 1988, employees of newspaper establishments belonging to classes VI to IX shall not be entitled to any arrears of pay.
- (6) Every employee with his "Present Employments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the relevant date and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.
- (7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.
- (8) Am addition, every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every three years service in the past held immediately before the relevant date.

Provided that:

(i) The service rendered by the concerned employee in any other post carrying a scale, the minimum of which is less by not more than 25 per cent of the minimum of the scale in which the employee worked before the relevant date shall also be taken into account.

Illustration 1:

For determining the number of increments to which a working journalists, working in Group 3 of Class I newspaper establishment in the scale of Rs. 900—2200 before 1st January, 1988 may be entitled, the service rendered by the Working Journalist not only in this scale but also rendered in group 3 Class II in the scale of Rs. 850—2060 as also in Group 4 Class I in the scale of Rs. 700—1425 would be taken into account, as Rs. 850 and Rs. 700 are lesser than Rs. 900 by not more than 25 per cent of Rs. 900.

Illustration-2:

For determining the number of increments to which a non-journalist (Administrative Staff) employee working in Group 4 of Class I newspaper establishment in the scale of Rs. 700—1300 before 1st January, 1988 may be entitled, the service rendered by the employee not only in this scale but also rendered in Group 4 Class II in the scale of Rs. 665—1305 as also in Group 5 Class I in the scale of Rs. 610—1030 would be taken into account, as Rs. 665 and Rs. 610 are lesser than Rs. 700 by not more than 25 per cent of Rs. 700.

Illustration-3:

For determining the number of increments to which a non-iournalist (Factory) employee working in Group 4 Class I in the scale of Rs. 590—1110 may be entitled, the service rendered by the employee not only in this scale but also rendered in Group 4 of Class II in the scale of Rs. 570—1090 as also in Group 5 of Class I in the scale of Rs. 540—968 would be taken into account as Rs. 570 and Rs. 540 are lesser than Rs. 590 by not more than 25 per cent of Rs. 590.

- (ii) The total number of increments shall not be more than
- (iii) No employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- (1v) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.
- (9)(a) These recommendations will not affect the terms and conditions on which 'Additional Emoluments' referred to in Rule (3) (a) were granted.
- (b) 'Additional Allowances' referred to in Rule (3)(b) shall be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments of the revised pay scales.
- (10) The revised pay scales shall become applicable to all employees with effect from the relevant date. However, if an employee within three weeks from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations opts for retaining his existing pay scale and "Present Emoluments" he shall be entitled to retain his existing scale and such emoluments.
- (11) When a newspaper establishment is reclassified under para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case, the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.

- (12) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant date, he should be entitled to count increments in the appropriate scale from the date on which the employee would have drawn increment but for his fitment under these rules.
- 21. An employee, during his apprenticeship period shall be paid a stipend of 60 per cent of the Basic Pay and Dearness Allowance applicable to the post for which he is being trained.
- 22. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a person may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he will be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. In the case of an employee acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10 per cent of the minimum pay of the higher post in addition to his salary of the lower post during the probationary period.

Date of Operation:

- 23. (1) Subject to the provisions of paragraph 20(5)(b) Recommendations with regard to revised scales of pay shall be operative from the relevant date viz. 1st January, 1988.
- (2) Recommendations with regard to Dearness Allowance shall be operative for classes IA to V from 1st April, 1988 and for classes VI to IX from 1st April, 1989.
- (3) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

Payment of Arrears;

24. The arrears payable, if any, as a result of retrospective operation provided in paragraphs 18(5) and 20(5) should be paid is not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

SCHEDULB-I

Group I

"Editor" is a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper.

Group IA

"Executive Editor" is a person who assists in the editorial and production functions of a newspaper, whether or not he supervises the work of Resident Editor, Assistant Editor, etc.

"Resident Editor" is a person who performs the functions of an Editor of a newspaper at a centre other than the one from which the newspaper was originally published.

"Associate Editor" or "Joint Editor" or "Deputy Editor" is a person who generally assists the Editor in the performance of the work of the Editor.

Group IB:

"Assistant Editor" is a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to the comments and opinions and writes loaders and may also write other copy involving review, comment or criticism,

"Loader Writer" is a person who regularly writes loaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"News Editor" is a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper.

"Chief of News Bureau" is a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.

"Special Correspondent" is a person whose duties reenlarly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or other-wise at the head-quarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

Group 2.

"Deputy of Assistant News Editor" is a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is in-charge of bringing out the city edition.

"Chief keporter" is a person who is in-charge of all reporters at a centre of publication, supervises that work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance.

"Chief Sub-Editor" is a person who takes charge or a shift at the news dosk, allocates and supervises the work of one or more sub-cultors and is generally responsible for the determination or news space and the general display of hews in the paper or in a particular edition or part of it.

"Sports Editors" is a person in-charge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and or one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.

"Commercial Editor" is a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.

"Film Editor" is a person who deals with news and views bearing on tilms and stage and is in-charge of specified column or page on stage and screan and supervises the work of one or more working journalists.

"Magazine Editor" is a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of relevant news and thoughts and other connected subjects of literature is in-charge of specified columns or pages and two or more working journalists who supervises their work.

"Cartoonist" is a person who comments upon nows and events through cartoons and caricatures.

"Chief of Statistical or Research Division" is a person incharge of statistical or research division which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.

"Chief News Photographer" is a person who allocates and supervises the work of one or more news photographers.

"Chief Librarian" or "Chief Index Assistant" or "Chief Calligraphists" or "Chief Artist" is a person who supervises the work of one or more librarians, Index Assistants, Calligraphist and Artists respectively. "Principal Correspondent" is a Correspondent who is accredited to the State Government and Correspondent is a person accredited to the Central Government other than special Correspondent and other sectional or batch heads.

Group 2-A.

"Deputy Chief Sub-Editor" or "Senior Sub-Editor", is a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence."

"Deputy Chief Reporter" or Senior Reporter" is a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.

"Senior Correspondent" is a person other than special and principal correspondent and his duties include the reporting on important news at any important central other than the centre of publication and has put in service of net loss than five years.

"Seulor Calligraphist", "Senior Artist", "Senior Librarian" and "Senior Index Assistant" are persons who assist the Chief Calligraphist, Chief Artist, Chief Liberarian, and Chief Index Assistant respectively and have put in service of not less than five years.

Group 3

"Sub-Editor" is a person who receives, selects, shortens, summaries, elaborates, translates, edits, and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.

"Reporter" is a person who gathers and presents news at a particular centre.

"Correspondent" is a person who gathers and despatches by wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication.

"News Photographer" is a person who covers news events of public interest through photographs.

"Artist" is a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.

"Calligraphist" is an artist who performs journalistic work and also calligraphs matters.

"Librarian" or "Index Assistant" is a person who propares and maintains records relating to news and views which are used as background or fill out for current stories. Persons not performing any of these functions shall not be covered.

"Chief Proof Reader" is one who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is in-charge of a shift.

Group 3-A.

"Proof Reader" is a person who checks up printed matter of proof with Editor's copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.

WORKING JOURNALISTS

Chass of Establishment	Group of Emplo- yees	f Scales	Years
(1)	(2)	(3)	(4)
(Rs. 100 Crores and	1	No Scale	
1A)	1 A	Rs. 4400-330-5720-375-7220-425-8920 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3900-210-4740-250-5740-290-6900-330-8220 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3475-160-4275-180-5175-200-5975-220-6885 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2755-140-3455-160-4255-180-4975-200-5775 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2485-115-3060-130-3710-145-4435-160-5235	20
	3A	(5) (5) (5) (5) Rs. 2090-100-2590-110-3140-120-3740-130-4390	20
	4	(5) (5) (5) (5) Rs. 1775-75-2150-80-2550-85-2975-90-3425 (5) (5) (5) (5)	20
(Rs. 50 Crores and	_		
above) I.	1 1 A	No Scale Rs. 4240-280-5360-330-6680-375-8180	12
	1B	(4) (4) (4) Rs. 3700-190-4460-210-5300-250-6300-290-7460	16
	2	(4) (4) (4) (4) Rs. 3350-160-4150-180-5050-200-5850-220-6730	18
	2 A	(5) (5) (4) (4) Rs. 2640-140-3340-160-4140-180-4860-200-5660 (5) (5) (4) (4)	18

[भाग II—वीव 3(ii)]	_	भारत का राजपन : भ्रसाधारण	37
(1)	(2)	(2) (3)	
	3	Rs. 2380-115-2955-130-3605-145-4330-160-5130 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 2000-100-2500-110-3050-120-3650-130-4300 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1700-70-2050-75-2425-80-2825-85-3250 (5) (5) (5) (5)	20
(Rs. 20 Crores and above but less than Rs. 50	'e		
Crores)	1	No Scales	
II	iΑ	Rs. 4100-230-5020-280-6140-330-7460 (4) (4) (4)	12
	1B	Rs. 3500-160-4140-190-4900-210-5740-230-6660 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3225-145-3950-160-4750-175-5450-190-6210 (5) (5) (4) (4)	18
	2A	Rs. 2520-125-3145-140-3845-160-4485-180-5205 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2275-100-2775-115-3350-130-4000-145-4725 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 1900-90-2350-100-2850-110-3400-120-4000 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1625-65-1950-70-2300-75-2675-80-3075 (5) (5) (5) (5)	.20
(Rs. 10 crores and above but less than Rs. 20	е		
Crores)	1	No Scales	
III	1A	Rs. 3860-190-4620-230-5540-270-6620 (4) (4) (4)	1
	1 B	Rs. 3300-140-3860-160-4500-180-5220-200-6020 (4) (4) (4) (4)	1
	2	Rs. 3100-120-3700-135-4375-150-4975-175-5675 (5) (5) (4) (4)	1
	2A	Rs. 2400-110-2950-120-3550-140-4110-160-4750 (5) (5) (4) (4)	1
	3	Rs. 2170-95-2645-100-3145-115-3720-130-4370 (5) (5) (5) (5)	2
	3A.	Rs. 1800-80-2200-90-2650-100-3150-110-3700 (5) (5) (5) (5)	2
(D. 7.5)	4	Rs. 1550-60-1850-65-2175-70-2525-75-2900 (5) (5) (5)	2
(Rs. 5 Crores and above but less than Rs. 10		N. a. a.	
Crores) [V	1	No Scales P. 2650 160 4700 100 6050 220 5020	-
į, v	1 A	Rs. 3650-160-4 290- 19 0- 5050-220-5930 (4) (4) (4)	1.

(1) (2)	(3)	(4)
1B	Rs. 3075-125-3575-140-4135-160-4775-180-5495 (4) (4) (4) (4)	16
2	Rs. 2875-110-3425-12)-4025-135-4565-150-5165 (5) (5) (4) (4)	18
2A	Rs. 2170-105-2695-110-3245-120-3725-140-4285 (5) (5) (4) (4)	18
3	Rs. 2060-90-2510-95-2985-10)-3485-110-4035 (5) (5) (5) (5)	20
3A	Rs. 1680-70-2030-80-2430-90-2380-100-3380 (5) (5) (5) (5)	2 0
4	Rs. 1475-55-1750-60-2050-65-2375-70-2725 (5) (5) (5) (5)	20
V (Rs. 2 Crores & above but less than Rs. 5		
Crores) 1	No Scale	
1A	Rs. 3200-140-3760-160-4400-180-5120-200-5920 (4) (4) (4) (4)	16
1B	Rs. 3050-110-3490-125-3990-140-4550-160-5190 (4) (4) (4) (4)	16
2	Rs. 2775-105-3300-110-3850-120-4330-135-4870 (5) (5) (4) (4)	18
2A	Rs. 2050-103-2560-105-3085-110-3525-120-4005 (5) (5) (4) (4)	18
3	Rs. 1950-85-2375-90-2325-95-3300-100-3800 (5) (5) (5) (5)	20
3A	Rs. 1560-60-1860-70-2210-80-2610-90-3060 (5) (5) (5) (5)	20
.4	Rs. 1400-50-1650-55-1925-60-2 225- 65- 2 550 (5) (5) (5)	20
VI (Rs. 1 crore & above but		
less than Rs. 2 erores) 1	No Scale	
1A	Rs. 2850-130-3370-140-3930-160-4570-180-5290 (4) (4) (4) (4)	16
1B	Rs. 2750-105-3170-110-3610-125-4110-140-4670 (4) (4) (4) (4)	16
2	R _S . 2450-100-2950-105-3475-110-3915-1 2 0-4395 (5) (5) (4) (4)	18
2A	Rs. 2000-95-2475-100-2975-105-3395-110-3835 (5) (5) (4) (4)	18
3	Rs. 1850-80-2250-85-2675-90-3125-95-3600 (5) (5) (5) (5)	20

(1)	(2)	(3)	(4)
	3A	Rs. 1460-55-1735-60-2035-65-2360-70-2710 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs.1325-45-1550-50-1800-55-2075-60-2375 (5) (5) (5) (5)	20
VII	1	No Scale	
(Rs. 50 lakhs & above but less than Rs. 1 crore)	ıt		
	1 A	Rs. 2520-120-3000-130-3520-140-4080-160-4720 (4) (4) (4) (4)	16
	1 B	Rs. 2400-100-2800-105-3220-110-3660-125-4160 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 2100-95-2575-100-3075-105-3495-110-3935 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 1760-90-2210-95-2685-100-3085-105-3505 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs.1420-60-1720-65-2045-80-2445-90-2895 (5) (5) (5) (5)	20
	3A	Rs. 1360-50-1610-55-1885-60-2185-65-2510 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1250-40-1450-45-1675-50-1925-55-2200 (5) (5) (5) (5)	20
VIII (Rs. 25 lakhs & above but less than			
Rs. 50 lakhs)	1	Not less than Rs. 4100/-	
	1 B	Rs. 2150-95-2530-100-2930-105-3350-110-3790 (4) (4) (4) (4)	. 16
	2	Rs. 1950-90-2400-95-2875-100-3275-105-3695 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1275-55-1550-60-1850-65-2175-75-2550 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 1260-45-1485-50-1735-55-2010-60-2310 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1175-35-1350-40-1550-45-1775-50-2025 (5) (5) (5) (5)	20
IX (Less than Rs. 25 lakhs)	1	Not less than Rs. 3,500/-	
`	1 B	Rs. 1730-90-2090-95-2470-100-2870-105-3290 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 1550-85-1975-90-2425-95-2805-100-3205 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1200-50-1450-55-1725-60-2025-65-2350 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A .	Rs. 1160-40-1360-45-1585-50-1835-55-2110	20
	4	(5) (5) (5) (5) Rs. 1100-30-1250-35-1425-40-1625-45-1850 (5) (5) (5) (5)	20

NON-JOURNALISTS **ADMINISTRATIVE STAFF**

Class of Establishment	Grou Emp- loyee		Your
(1)	(2)	(3)	(4)
(Rs: 100 Crores and above) IA	1	No. Scale	
	2	Rs., 2850- 150-3450-175-4150-225-5050-250-6050 (4) (4) (4) (4)	16
	2A	Rs. 2500-125-3000-135-3540-145-4120-160-4760 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 2050-95-2525-110-3075-125-3575-140-4135 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs . 1950-95-2425-105-2950-115-3410-125-3910 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1695-65-2020-75-2395-85-2735-95-3115 (5) (5) (4) (4)	18
	6.	Rs. 1560-42-1770-45-1995-48-2235-50-2485 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1410-38-1600-40-1800-42-2010-45-2235 (5) (5) (5) (5)	20
I	1	No Scale	
(Rs; 50 Crores & above)	2	Rts. 2750-125-325 0-150-3850-175-4550-225-5450 (4) (4) (4) (4)	16
	2A	Rs. 2400-115-2560-130-3380-145-3960-160-4600 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 1975-95-2450-105-2975-115-3435-125-3935 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs., 1875-85-2300-95-2775-105-3195-115-3655 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1630-60-1930-65-2255-70-2535-75-2835 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 1495-40-1695-42-1905-45-2130-48-2370 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1355-35-1530-38-1720-40-1920-42-2130 (5) (5) (5) (5)	20
IP (Ba, 20 Crores & above- but less than	1	Na Scale	
Rs, 50 Crores)	2	Rs, 2635-125-3135-150-3735-175-4435-200-5235 (4) (4) (4) (4)	16

[भाग II भंग 3 (ii)]		भारत का राजपकः श्रसाधारण	41-
(1)	(2)	(3)	(4)
	2A	Rs. 2290-115-2750-125-3250-135-3790-145-4370 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 1885-85-2310-95-2785-105-3205-115-3665 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1800-85-2225-95-2700-105-3120-115-3580 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1565-55-1840-60-2140-65-2400-70-2680 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 1430-38-1620-40-1820-42-2030-45-2255 (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1300-32-1460-35-1635-38-1825-40-2025 (5) (5) (5)	20
III (Rs. 10 Crores & above but less than Rs. 20 Crores)	1	No Scale	
	2	Rs. 2525-115-2985-140-3445-160-4085-180-4805 (4) (4) (4) (4)	16
	2A	Rs. 2180-95-2560-110-3000-125-3500-140-4060 (4) (4) (4) (4)	16
	3	R ₈ . 1800-85-2225-95-2700-105-3120-115-3580 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1720-75-2095-85-2520-95-2900-105-3320 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1500-50-1750-55-2025-60-2265-65-2525 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 1365-35-1540-38-1730-40-1930-42-2140 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1245-30-1395-32-1555-35-1730-38-1920 (5) (5) (5) (5)	20
IV. (Rs. 5 Crores & above but less than Rs. 10 Crores)	1	No Scale	
	2	Rs. 2400-115-2860-130-3380-145-3960-160-4600 (4) (4) (4) (4)	16
	2A	Rs. 2090-95-2470-105-2890-115-3350-125-3850 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 1720-75-2095-85-2520-95-2900-105-3320 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 (5) (5) (4) (4)	18
	5	R _S . 1430-45-1655-50-1905-55-2125-60-2365 (5) (5) (4) (4)	18

42	1111	GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(11)]
1	2	3	4
	6	Rs. 1310-32-1470-35-1645-38-1835-40-2035 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1190-28-1330-30-1480-32-1640-35-1815 (5) (5) (5) (5)	20
V (Rs. 2 Crores & above but less than Rs. 5 Crores)	1	Not less than Rs. 3900	
	2	Rs. 1960-95-2340-105-2760-125-3260-145-3840 (4) (4) (4) (4)	16
	2A	Rs. 1600-85-2140-95-2520-105-2940-115-3400 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1560-65-1885-75-2260-85-2600-95-2980 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1390-45-1615-50-1865-55-2085-60-2325 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 1355-30-1405-32-1565-35-1740-38-1930 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1135-35-1260-28-1400-30-1550-32-1710 (5) (5) (5) (5)	20
VI (Rs. 1 Crore & above but less than Rs. 2 Crores)	1	Not less than Rs. 3500	
III. I Crossoy	2	Rs. 1800-85-2140-95-2520-105-2940-115-3400 (4) (4) (4) (4)	16
	2A	Rs. 1720-75-2020-85-2360-95-2740-105-3160 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 1560-65-1885-75-2260-85-2600-95-2980 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1500-65-1825-75-2200-85-2540-95-2920 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1310-140-1510-45-1735-50-1935-55-2155 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 1190-28-1330-30-1480-32-1640-35-1815 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1080-22-1190-25-1315-28-1455-30-1605 (5) (5) (5) (5)	20

1	2	3	4
VII	1	Not less then Rs. 3200	
(Rs. 50 lakhs & above	2	Rs. 1650-75-1950-85-2290-95-2670-105-3090	16
but less than Rs. 1 Crore)	2	(4) (4) (5) (4)	10
	2A	Rs. 1585-65-1845-75-2145-85-2485-95-2865	16
		(4) (4) (4) (4)	
	3	Rs. 1410-60-1710-65-2035-75-2335-85-2675	18
		(5) (5) (4) (4)	
	4	Rs. 1325-55-1600-65-1925-75-2225-85-2565	18
		(5) (5) (4) (4)	
	5	Rs. 1200-35-1375-40-1575-45-1755-50-1955	18
	,	(5) (5) (4) (4) P. 1110 07 1005 00 1075 00 1505 00 1605	***
	6	Rs. 1110-25-1235-28-1375-30-1525-32-1685 (5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1025-20-1125-22-1235-25-1360-28-1500	20
	,	(5) (5) (5) (5)	20
VIII	1	Not less than Rs. 3000	
(Rs. 25 Lakhs & above	2	Rs. 1550-65-1810-75-2110-85-2450-95-2830	1.6
but less than Rs. 50 lakhs)	2	(4) (4) (4) (4)	16
	3	R ₈ . 1400-60-1700-65-2025-75-2325-85-2665	18
	J	(5) (5) (4) (4)	10
	4	Rs. 1280-65-1555-65-1880-75-2180-85-2520	18
		(5) (5) (4) (4)	_
	5	Rs. 1100-30-1250-35-1425-40-1585-45-1765	18
		(5) (5) (4) (4)	
	6	Rs. 965-20-1065-22-1175-25-1300-28-1440	20
	_	(5) (5) (5) (5)	
	7	Rs. 855-15-980-18-1020-20-1120-22-1230 (5) (5) (5) (5)	20
***	,		
IX (Less than Rs. 25 Lakhs)	1	Not less than Rs. 2800	
(LOSS than 100, 25 Landis)	2	Rs. 1500-65-1760-75-2060-85-2400-95-2780	16
	_	(4) (4) (4) (4)	10
	3	Rs. 1360-55-1635-65-1960-75-2260-85-2600	18
		(5) (5) (4) (4)	
	4	Rs. 1190-45-1415-55-1690-65-1950-75-2250	18
		(5) (5) (4) (4)	
	5	Rs. 1010-25-1135-30-1285-35-1425-40-1585	18
		(5) (5) (4) (4)	
	6	Rs. 910-18-1000-20-1100-22-1210-25-1335	20
	_	(5) (5) (5) (5)	
	7	Rs. 800-12-860-15-935-18-1025-20-1125 (5) (5) (5) (5)	20
		(5) (5) (5)	

NON-JOURNALISTS FACTORY EMPLOYEES

Class of Establishment	Group of Employ- yees	Scales	Years
(1)	(2)	(3)	(4)
(Rs. 100 Crores			
and above)	1	D . 2000 05 0505 120 2045 150 2645 155 4245	
IA	(Kevisea)	Rs. 2050-95-2525-130-3045-150-3645-175-4345 (5) (4) (4) (4)	17
	1	Rs. 1950-95-2425-120-2905-135-3445-160-4085 (5) (4) (4) (4)	17
	2	Rs. 1780-85-2205-95-2680-105-3100-115-3560 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1715-75-2090-85-2515-95-2895-105-3315 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1645-75-2020-85-2445-95-2825-105-3245 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1540-65-1865-70-2215-75-2890-80-2990 (5) (5) (5) (5)	20
	6	Rs. 1410-38-1600-40-1800-42-2010-45-2235 (5) (5) (5)	20
I (Rs. 50 crores and above) 1	Rs. 1975-95-2450-120-2930-145-3510-170-4190 (5) (4) (4) (4)	17
	1A	Rs. 1875-85-2300-110-2740-135-3280-160-3920 (5) (4) (4) (4)	17
	2	Rs. 1715-75-2090-85-2515-95-2895-105-3315 (5) (4) (4)	18
	3	R _S , 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1585-65-1910-75-2255-85-2625-95-3005 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1475-60-1775-65-2100-70-2450-75-2825 (5) (5) (4) (5)	20
	6	Rs. 1355-35-1530-38-1720-40-1920-42-2130 (5) (5) (5)	20
II (Rs. 20 crores and above but less than Rs. 50 cror	_	Rs. 1900-95-2375-115-2835-135-3375-145-3955 (5) (4) (4) (4)	17

(1)	(2)	(3)	(4)
	1 A	Rs. 1800-85-2225-105-2645-1 2 5-3145-145-3725 (5) (4) (4) (4)	17
	2	Rs. 1650-75-2025-85-2450-95-2830-105-3250 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1580-65-1905-75-2280-85-2620-95-3000 (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1525-65-1850-75-2225-85-2565-95-2945 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1410-55-1685-60-1985-65-2310-70-2660 (5) (5) (5) (5)	2
	6	Rs. 1300-32-1460-35-1635-38-1825-40-2025 (5) (5) (5) (5)	2
II Rs. 10 crores and above ut less than Rs. 20	1	Rs. 1800-85-2225-100-2625-115-3085-125-3585 (5) (4) (4) (4)	1
rores)	1 A	Rs. 1720-75-2095-85-2435-105-2855-125-3355 (5) (4) (4) (4)	1
	2	Rs. 1580-65-1905-75-2280-85-2620-95-3000 (5) (5) (4) (4)	
	3	Rs. 15 2 0-65-1845-75-2220-85-2560-95-2940 (5) (5) (4) (4)	
	4	Rs. 1450-55-1725-65-2050-75-2350-85-2690 (5) (4) (4)	
	5	R •. 1340-50-1590-55-1865-60-2165-65-2490 (5) (5) (5) (5)	
	6	Rs, 1245-30-1395-32-1555-35-1730-38-1920 (5) (5) (5) (5)	
NRs. 5 crores and above out less than Rs. 10 crores)	1	Rs. 1735-75-2110-90-2470-105-2890-115-3350 (5) (4) (4) (4)	
	1 A	Rs. 1650-75-2025-85-2365-95-2745-105-3165 (5) (4) (4) (4)	
	2	Rs. 1520-65-1845-75-2220-85-2560-95-2940 (5) (4) (4)	
	3	Rs. 1460-55-1735-65-2060-75-2360-85-2700 (5) (5) (4)	
	4	Rs. 1400-55-1675-65-2000-75-2300-85-2640 (5) (5) (4) (4)	
	5	Rs. 1310-50-1560-55-1835-60-2135-65-2460 (5) (5) (5)	
	6	Rs. 1190-28-1330-30-1480-32-1640-35-1815 (5) (5) (5) (5)	

(1)	(2)	(3)	(4)
v			
(Rs. 2 crores and above but less than Rs. 5 crores)	1	Rs. 1635-75-2010-85-2350-95-2730-105-3150 (5) (4) (4) (4)	17
	1 A	Rs. 1560-65-1885-75-2185-85-2525-100-2925 (5) (4) (4) (4)	17
	2	Rs. 1475-55-1750-65-2075-75-2375-85-2715 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1410-55-1685-65-2010-75-2310-85-2650 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1350-55-1625-65-1950-75-2250-85-2590 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1235-45-1460-50-1710-55-1985-60-2285 (5) (5) (5) (5)	20
	6	Rs. 1135-25-1260-28-1400-30-1550-32-1710 (5) (5) (5) (5)	20
VI (Rs. 1 crore and above but less than Rs. 2 crores)	1	Rs. 1575-65-1900-75-2200-85-2540-95-2920 (5) (4) (4) (4)	17
Duc 1035 Main 1230 2 00-1007	1A.	Rs. 1500-65-1825-75-2125-85-2465-95-2845 (5) (4) (4) (4)	17
	2	Rs. 1425-55-1700-65-2025-75-2325-85-2665 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1360-55-1635-65-1960-75-2260-85-2600 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1300-55-1575-65-1900-75-2200-85-2540 (5) (5) (4) (4)	18
	5	Rs. 1190-40-1390-45-1615-50-1865-55-2140	20
	6	(5) (5) (5) (5) Rs. 1080-22-1190-25-1315-28-1455-30-1605 (5) (5) (5) (5)	20
VII (Rs. 50 lakhs and above but less than Rs. 1 crore)	1	Rs. 1425-55-1700-65-1960-75-2260-85-2600 (5) (4) (4) (4)	17
Dut 1655 trian 140, 2 01-1-5	1A	Rs. 1360-55-1635-65-1895-75-2195-85-2535 (5) (4) (4) (4)	17
	2	Rs. 1290-50-1540-55-1815-60-2055-65-2315 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 1245-50-1495-55-1770-60-2010-65-2270 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 1190-50-1440-55-1715-60-1955-65-2215	18
	5	(5) (5) (4) (4) Rs. 1100-35-1275-40-1475-45-1700-50-1950 (5) (5) (5) (5)	20

[भाग 11—-खंड 3(11)]		भारत का राजपहाः अस।	घारण		47
(1)	(2)		(3)		(4)
	6	Rs. 1025-20-1125-22-(5) (5)	1235-25-13 (5)	360-28-1500 (5)	20
VIII (Rs. 25 lakhs and above but less than Rs. 50 lakhs)	1	Rs. 1225-50-1475-55-(5) (4)	1695-70-19 (4)	975-80-2295 (4)	17
1	lA	Rs. 1165-50-1415-55-(5) (4)		7 -	17
	2	Rs. 1110-45-1335-50-(5) (5)	1585-55-18 (4)	305-60-2045 (4)	18
	3	Rs. 1065-45-1290-50-(5) (5)	1540-55-17 (4)	760-60-2000 (4)	18
	4	Rs. 1010-45-1235-50-(5) (5)	1485 - 55-17 (4)	705-60-1945 (4)	18
	5	Rs. 920-30-1070-35-(5) (5)	1245-40-14 (5)	(5)	20
	6	Rs. 855-15-930-18-1 (5) (5)	020-20-112 (5)	(5)	20
IX (less than Rs. 25 lakhs)	1	Rs. 1180-50-1430-55- (5) (4)	1650-60-18 (4)	390-70-2170 (4)	17
1	I A	Rs. 1125-50-1375-55- (5) (4)	-	` '	17
	2	Rs. 1070-45-1295-50-(5) (5)	•	• •	18
	3	Rs. 1025-45-1250-50-(5) (5)			18
	4	Rs. 965-40-1165-45-(5) (5)	1390-50-15 (4)	90-55-1810 (4)	18
	5	Rs. 875-25-1000-30-(5) (5)	1150-3 5 -13 (5)	25-40-1525 (5)	20
	6	Rs. 800-12-860-15-9 (5) (5)	35-18-1025 (5)	(5)	20
		Table—			
		DEARNESS ALLO	 		·
Basic Pay Slabs		ow wi	ance paya	tralisation for determine ble over the index of om 1st January, 1st A	f 752 (1960=100)
1	·			2	
Upto Rs. 1250/- Between Rs. 1251/- and Rs. 2000/-		75	0% of basi % of basic is higher	c pay or 100% of Rs.	1250/- whichever

48	THE GAZETTI	E OF INDIA: EXTRAORDINA	RY [PART II—Sec. 3(ii)]		
1	2	3	4		
Between Rs. 20	01/- and Rs. 3500/-	60% of basic pay of higher	60% of basic pay or 75% of Rs. 2000/- whichever is higher		
Between Rs. 35	01/- and Rs. 5000/-	45% of basic pay o higher	or 60% of Rs. 3500/- whichever is		
Above Rs. 5,00	0/-	35% of basic pay of higher	r 45% of Rs. 5000/- whichever is		

The amount of DA payable would be calculated as under :-

		Basic pay		Average index for the		Rate of neutralisation
D.A.	_		\mathbf{X}	"quarter in question"	×	
		752		minus 752		100

"Quarter in question" means the quarter of which average index is taken for determining the rate of dearness allowance. Dearness Allowance at this rate is payable with effect from 1st January, 1st April, 1st July and 1st October of every year immediately succeeding the "quarter in question."

Table—III

RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

RATES

Class of Newspaper	'A'	'B'	Cities /Towns with a population of less than 10 lakhs as per latest census	
Establishment	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census		
1	2	3	4	
IA	11% of pay	10% of pay	9% of pay	
	Maximum Rs. 330	Maximum Rs. 300	Maximum Rs. 270	
I	10% of pay	9% of pay	8% of pay	
	Maximum Rs. 300	Maximum Rs. 270	Maximum Rs. 240	
ľ	9% of pay	8% of pay	7% of pay	
	Maximum Rs. 270	Maximum of Rs. 240	Maximum of Rs. 210	
ut	8% of pay	7% of pay	6% of pay	
	Maximum Rs. 240	Maximum of Rs. 210	Maximum of Rs. 180	
IV	7% of pay	6% of pay	5% of pay	
	Maximum Rs. 210	Maximum of Rs. 180	Maximum of Rs. 150	
V	6% of pay	5% of pay	4% of pay	
	Maximum Rs. 180	Maximum of Rs. 150	Maximum of Rs. 120	

Table-IV

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(Rates per mensum)

Zone	'A'	'В'	
Class of Newspaper Establishment	Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census	
1/	Rs. 80	Rs. 20	
I	Rs. 65	Rs. 20	
П	Rs. 50	Rs. 20	
111	Rs. 35	R's. 20	
IV	Rs. 30	Rs. 20	
V	Rs. 30	Rs. 20	

Table—V
RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

lass of Newspaper Establishment	Rates per Night Shift
1A	R s. 14
I	Rs. 12
П	Rs. 12
Ш	Rs. 10
ΙV	Rs. 10
V	Rs. 8
VI	Rs. 6
VII	Rs. 6
VIII	Rs. 4
IX	Rs. 2

Notes: The rates would be higher by 50 per cent for night shift duties performed in excess of 15 nights in a month.

PART-II

RECOMMENDATIONS OF THE WAGE BOARDS FOR WORKING JOURNALISTS & NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES FOR NEWS AGENCIES

SECTION-1

Preliminary :---

1. Definitions:

The expression, 'Working Journalists' and 'Non-Journalist Newspaper Employees' shall have the same meaning as assinged to them in the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'.

A news Agency is an establishment conducting a news agency.

"Accouning Year" used with reference to a particular year shall in the case of News Agency mean financial year starting with April 1 and ending with March 31 next. In 2418 OI/89—7

case however, the accounting year of a News Agency is different from financial year it shall mean that accounting year of the News Agency, of which more than half falls in the particular year. In case of a News Agency whose accounting year starts from 1st October, the accounting year would be that year in which the first six months fall.

Illustration:

If the accounting year of a news agency starts from 1st January, 1988, reference to the accounting year 1988 in the succeeding Paragraphs shall be construed as reference to accounting year 1988-89. Again, if the accounting year of the newspaper establishment starts from 1st October, reference to accounting year 1988 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1988-89 of that establishment.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in Paragraphs 7 (A) and 7 (B).

'Gross Revenue' of a News Agency means its total revenue from all sources, including subscription revenue derived by seeling its services.

SECTION II

- 2. For the fixation of wages of employees, News Agencies shall be classified in the manner hereinafter provided.
- 3. Classification of the News Agencies shall be based on the average gross revenue for a year calculated on the basis of the gross revenue derived by them from 1984-85 to 1986-87.
- 4. Classification determined in accordance with paragraph 3 above shall continue until the News Agency is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 6.
- 5. News Agencies shall be classified under the following classes on the basis of their gross revenue:

Class .	Gross Revenue					
T	Rs. 7 crores and above					
Ħ	Rs. 4 Crores and above but loss than Rs. 7 Crores.					
III	Rs. 2 Crores and above but less than Rs. 4 Crores.					
IV .	Less than Rs. 2 Crores.					

- Note:—Foreign News Agencies, i.e. those operating in India with their Principal Office outside India shall be treated as Class I News Agencies.
- 6. It shall be open either to the Employer or to the Employee to seek a reclassification of a News Agency after the accounting year 1989-90 on the average gross revenue or the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting year.

SCHEDULE III

- 7. (A) Grouping of Journalist Employees
- I. Full time employees:
- Group 1 (Special) Chief Editor, Deputy Chief Editor.
- Group 1: Editor, Chief Producer (T.V.), Chief of Divisional Bureau
- Group 1A: Chief News Editor, Feature Editor, Economic Editor, Science Editor, Commercial Editor, Photo Editor, Regional Manager, Chief of Bureau (Capital) Special Correspondent on selective basis.
- Group 1-R: Special Correspondent/Principal Correspondent,
 Foreign Correspondent, News Editor, Chief Reporter, Chief Photographer, Chief of State Bureau,
 Producer (T.V.), Manager Stock Fxchange Services,
 Manager News Exchange, Special Correspondent
 (T.V.), Manager State Capital Bureau.
- Group 2 : Chief Sub-Editor, Senior Correspondent, Chief Librarian.
- Group 2-4: Senior Sub-Éditor, Senior Librarian, Senior Reporter, Senior Photographer, Asstt. Producer-cum-Reporter (T.V.).
- Group 3: Sub-Editor, Correspondent, Reporter, Photographer and T. V. Reporter, Librarian.

(for definitions see Schedule I attached hereto).

II Part time-Employees.

They are part-time correspondents whose avocation is that of journalism.

7(B) Grouping of Non-Journalist Employees: Group 1:

- (a) Chief of Administration, Financial Controller-cum-Secretary.
 - (b) Chief Engineer, Accounts Manager, Manager (Personnel), Accounts Officer, Manager (Promotion and

- Development), Manager (Technical Co-ordination), Personnel Officer, Chief Accountant, Company Secretary.
- (c) Deputy Chief Engineer, Internal Auditor, and equivalent administrative posts.

Group 2:

Regional Engineer, Regional Transmission In-charge, Administrative Officer and equivalent post, Video Editor, Engineer (TV), Sound Recordist, Cameraman, Electronic Engineer (R&D), Cashier, Sr. Traffic Supervisor, Sr. Commercial Supervisor.

Group 3:

Transmission Supervisor, Engineer, Caretaker and other equivalent posts, Production Assistant, Traffic Supervisor, Supervisor (Accounts) Lighting Assistant, Commercial Supervisor.

Group 4:

Senior Commercial Assistant, Senior Operator, Senior Technician, Assistant Stenographer, Junior Engineer, Sr. Traffic Assistant, Sr. Asstt./Steno.

Group 5:

Clerk, Typist, Technician, Junior Operator, Skilled Workers, Car Driver, Telephone Operator, Junior Traffic Assistant, Junior Commercial Assistant, Junior Assistant (Accounts), Junior Assistant.

Group 6:

Attender, Machine Attender, Havaldar, Record Keeper Gastetner Operator.

Group 7:

Peon, Sweeper, Chowkidar, Mali, Messenger boy.

- 8. Although several categories of employees are mentioned in paragraph 7 above, recommendations with regard to wage fixation and revision shall be confined to only such of those who fall within the definition of Working Journalists and Non-Journalist Newspaper employees under the Act.
- 9. It is not obligatory for a news Agency to employ any or all of the categories mentioned in Paragraph 7 above. Functions of some categories may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation. If any News Agency has placed any of the categories mentioned in paragraph 7 in a higher group, that category shall continue in the higher group.

SECTION IV

Remuneration:

10. The working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees of different Groups employed in different classes of News Agencies should be paid basic Paw per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto. Scales for class III and class IV employees have not been indicated as no news agency in these classes at present functions.

Dearness Allowance:

11. (1) Till a new series is adopted by the Central Government, average consumer Price index number of industrial workers (General) (Base 1960=100) may continue to be used for grant of compensation to employees for price rise.

- (2) Compensation would be paid for the Price increase above the quarterly index average of 752 (1960 == 100), to which the pay scales recommended herein are related.
- (3) Compensation may be sanctioned as soon as the figures for the quarter for which average index is to be used for determining rate of dearness allowance become available. Dearness allowance will become Payable from the beginning of the quarter immediately succeeding the quarter for which average index figures are used for determining rate of dearness allowance.
- (4) Dearness Allowance will vary with wage slabs as indicated in Table II attached to the recommendations.
- (5) The revised rates of dearness allowance with reference to All India Consumer Price Index 752 (1960=100) will become operative from 1-4-1988 on the basis of average Consumer Price Index for the quarter January to March, 1988.
- 11-A. Every part-time correspondent shall be paid not less than one-third of the basic wage (Basic pay + DA) applicable to a full time forrespondence at similar level. No News Agency shall put any restriction on a part-time correspondent that he will not work for any other News Agency unless he is appointed full time.

SECTION V

Other Allowances:

12 (a) House Rent Allowance :

- House Rent Allowance as indicated in table III attached herewith will also be paid by News Acencies mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a News Agency, no House Rent Allowance will be payable, (2) if an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision, (3) where a News Agency contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.
- (b) City Compensatory allowance:
 - City Compensatory Allowance as shown in Table IV attached herewith will be paid by the News Agencies indicated therein to the employees posted in the respective zones.
- (c) Night Shift Allowance:
 - Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table V attached herewith by News Agencies indicated therein. Provided that where an employee is already in receipt of Night Shift Allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

SECTION VI

Fitment Rules:

- 13. (1) For the purpose of fitment rules, an cimployee means a Working Journalist or Non-Journalist Newspaper Employees of the News Agency.
 - (2) The Present Emoluments' of an employee shall mean his Basic Pay, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index number 752 (Base 1960 = 100) and Interim Relief granted in pursuance of the Notification dated 30th May, 1986, issued by the Government of India, Ministry of Labour.

- (3) The 'Additional' Emoluments' of an employee shall mean, emoluments other than the 'Present Emoluments' referred to in rule (2) granted by News Agencies as a result of collective bargaining agreement or award as increase in Basic Wage. Dearness Allowance or Interim Relief.
- (4) The 'Revised Pay Scale' shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.
- (5) The revised scales of pay shall come into force with effect from 1st January, 1988 referred to hereinafter as the "relevant date".
- (6) Every employee with his 'Present Emoluments' will be brought on to the revised pay scale with effect from the 'relevant date' and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.
- (7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped upto the immediate next level.
- (8) In addition, every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every three years' service in the post held immediately before the relevant date. Provided that:
 - (i) the service rendered by the concerned employee in any other post carrying a scale, the minimum of which is less but not more than 25 per cent of the minimum of the scale in which the employee worked before the relevant date shall also be taken into account.
 - (ii) The total number of increments shall not be more than two
- (iii) No employee shall get more than the maximum of the revised pay scale as a result of fitment.
- (iv) In no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations: the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.
- (9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which the additional emoluments referred to in rule (3) have been granted.
- (10) The revised pay scales shall become applicable to all employees with effect from the relevant date. However, if an employee, within three weeks from the date of publication of the Government Notification enforcing these recommendations opts for retaining his existing Pay scale and 'Present Emoluments', he shall be entitled to retain his existing scale and such emoluments.
 - (11) When a News Agency is reclassified under Para 6 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage, when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.
 - (12) When an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant date, he should be entitled to count increments in the appropriate scale from the date on which he would have drawn increment but for his fitment under these rules.

- (13) A person being trained by the News Agency an apprentice, shall, during the apprenticeship period be paid a stipped of 60%, of the Basic Pay and allowances applicable to the post for which he is being trained.
- (14) Subject to the standing orders applicable to the News Agency, a Journalist or a Non-Journalist employee of the News Agency may be employed on probation for a period not exceeding one year during which he shall be paid the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowance attached to the post. If an employee, Journalist or non-journalist, acts as a probationer in a higher post, then he should get 10% of the minimum of the higher post in addition to his scale of the lower post during the probationery period.
- (15) Date or Operation:
- (1) Recommendations with regard to the revised scales of Pay and Dearness Allowance shall be operative from the 'relevant date' mentioned in paragraph 13(5) and 11(5) respectively.
- (2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.
- (16) Payment of Arrears .
- The arrears, if any, payable as a result of these recommendations shall be paid in not more than four instalments, not later than eighteen months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

SCHEDULE II

- 'Chief Editor' is a person who is in overall charge of a News Agency.
- 'Deputy Chief Editor' is a person who assists the Chief Editor in the discharge of his duties and acts for him during his absence.
- 'Editor' is a person who dire ts and supervises the work of the editorial side of the News Agency.
- 4. 'Chief of Divisional Bureau' is a person who is incharge of the central news desk of the entire News Agency and who supervise guides and direct news services in metropolitan centres, i.e. Della, Calcutta, Bombay and Madras.
- 'Chief News Editor' is a person who assists the Deputy Chief Editor in the discharge of his duties, and coordinates news activities
- 6. 'ccature Editor' is a person who deals with features and is incharge of broaging out the Features Service of the news agency.
- Economic Editor' is a person who is incharge of bringing out the economic service of the news agency.
- 'Science Editor' is a person who deals with specialised news relating to science and technology, and is incharge of bringing out the Science service of the news agency.
- 9. 'Commercial Editor' is a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.
- Photo Editor is in-charge of operating the photo service of the news agency and co-ordination of the service.
- 11. 'Special Correspondent' is a person who is accredited to the Union Government and whose regular duties are to report news of Parliamentary, political or general importance or a person in a metropolitan centre who specialises in covering news of economic importance or national or international nature.

- 12. 'Principal Correspondent' is a correspondent in state capitals acrodited to State Governments.
- 13, 'Foreign Correspondent' is a person stationed abroad for news coverage from the country or part of the country to which he is assigned.
- 14. 'News Editor' is a person, who is in charge of a news dock or regional news at a metropolitan centre and who supervises, directs and guide the different news services.
- 15. 'Chief Reporter' is a person in a metropolitan centre who is in-charge of all reporters in that centre, and reports all news leglative, political or general importance.
- 16. 'Chief Photographer' is a person who allocates and supervises the work of photographers.
- 'Chief of State Bureau' is a person who guides and directs collection of news of all types in a State Capital.
- 18. 'Chief Sub-Editor' is a person in the metropolitan centre who regularly takes charge of a shift on the editorial desk, assigns and supervises the work of Sub-Editors.
- 19. 'Senior Correspondent' is a person in the metropolitan centre these regular duties are to report news of Parliamentary, Political or general importance or a person regularly assigned to cover news of economic and commercial importance, Courts and national sports.
- 20. 'Senior Sub-Editor' is a person in the metropolitan centre who is regularly assigned to take charge of a shift other than the main shifts on the editorial desk of whose regular duties includes preparation of news dispatches for special subscribers.
- 21. 'Senior Reporter' is a person whose regular duties including reporting of State Government news or proceedings of State Legislature.
- 22. 'Senior Photographer' is a person who covers major assignments of public interest and who is a person with some experience and acts in the absence of chief photographer.
- 23. 'Sub-Editor' is a person who receives, selects, shortens; summaries, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and he may do some or all the functions.
- 24. 'Correspondent' is a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any centre.
- 25. 'Reporter' is a person who gathers and present the news of a particular centre.
- 'Photographer' is a person who covers news events of public interest through photographs.
- 27. 'T.V. Reporter' is a person who gathers and presents news for television wing at a particular centre.
- Chief Producer-TV is a person in overall charge of the TV service of PTI.
- 29. 'Regional Manager' is a person who is in-charge of news and other services of the news agency in the western/northern/eastern/southern regions of the country.
- Special Correspondent' on Selective basis is a special correspondent who is placed in a higher class on account of discharge of duties of higher work-load and responsibility.
- 31. 'Manager of Stock Exchange Services' is a person who co-ordinates the Stock Exchange information and stockscan service reports.

- 32. 'Producer TV' is a person in-charge of a respective areas of programming (economy, current affaris, education, news).
- 33. 'Special Correspondent (TV)' is a person in-charge of reporting for news and current affairs and also presentation as for as possible.
- 34. Manager under the State Bureau Capital' is a person who guides and directs collection of news of all types in a State capital.
- 35. 'Assistant Producer-cum-reporter' is a person who assists in production as well as helps in reporting events for the T.V. service, including research and reporting.
- 36. 'Manager of Exchange' is a person who coordinate the news Agencies Exchange Programme with other Agencies.
- 37. 'Librarian' is a person who prepares and maintains records relating to news and views which are used as background or fill out for News stories.

TABLE-I

NEWS AGENCIES

WORKING JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
1	٤	3	4
I (Rs. 7 crores and above)	1(Spec	ial) No Scale	
	1	Rs. 5000-280-6120-330-7440-380-8960 (4) (4) (4)	12
	1 A	Rs. 4100-230-5020-280-6140-330-7460 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3500-160-4140-190-4900-210-5740-230-6660 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3225-145-3950-160-4725-175-5425-190-6215 (5) (5) (4) (4)	18
	2A	Rs. 2520-125-3145-140-3845-160-4485-180-5205 (5) (5) (4) (4)	18 j
	3 R	s. 2275-100-2775-115-3350-130-4000-145-4725 (5) (5) (5) (5)	20
II (Rs. 4 Crores and abo	ove 1 (Sp	ecial) No Scale	
but less than Rs. 7 Crores)	1	Rs. 4500-230-5420-275-6520-325-7820 (4) (4) (4)	12
	1 A	Rs. 3860-190-4620-230-5540-270-6620 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3300-140-3860-160-4500-180-5220-200-6020 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3100-120-3700-135-4375-150-4975-175-5675 (5) (5) (4) (4)	18
	2A	Rs. 2400-110-2950-120-3550-140-4110-160-4750 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2170-95-2645-100-3145-115-3720-130-4370 (5) (5) (5) (5)	20

NEWS AGENCIES NON-JOURNALISTS

		NON-JOURNALISTS	<u> </u>
Class	Group		Year
1	2	3	4
I			
(Rs. 7 Crores & above)	1	No Scale	
	2	Rs. 2635-125-3135-150-3735-175-4435-200-5235	16
	3	(4) (4) (4) (4) Rs. 2290-115-2750-125-3250-135-3790-145-4370	16
	3	(4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 1885-85-2310-95-2785-105-3205-115-3665	18
	•	(5) (5) (4) (4)	10
	5	Rs. 1565-55-1840-60-2140-65-2400-70-2680	18
		(5) (5) (4) (4)	_
	6	Rs. 1430-38-1620-40-1820-42-2030-45-2255	20
		(5) (5) (5)	
	7	Rs. 1300-32-1460-35-1635-38-1825-40-2025	20
		(5) (5) (5)	
II			
(Rs. 4 Crores & above	1	No Scale	
but less than	2	Rs. 2525-115-2985-140-3445-160-4085-180-4805	16
Rs. 7 Crores)	2	(4) (4) (4) (4) The 2180 05 2500 110 2000 125 2500 140 4000	1.6
	3	Rs. 2180-95-2560-110-3000-125-3500-140-4060 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 1800-85-2225-95-2700-105-3120-115-3580	18
	7	(5) (5) (4) (4)	10
	5	Rs. 1500-50-1750-55-2025-60-2265-65-2525	18
	5	(5) (5) (4) (4)	10
	6	Rs. 1365-35-1540-38-1730-40-1930-42-2140	20
	Ü	(5) (5) (5) (5)	20
	7	Rs. 1245-30-1395-32-1555-35-1730-38-1920	20
	,	(5) (5) (5) (5)	
		TABLE—II	
		DEARNESS ALLOWANCE	
		DEARITESS ALLO WANCE	
Basic Pay Slabs		Rate of neutralisation for determ	ining dearnes
		allowance payable over the index of 75	,
		with effect from 1st January, 1st April	, 1st July and
<u> </u>		1st October every year.	
1		2	
Upto Rs. 1250/-		100% of basic pay	
Between Rs. 1251/- and 1	Rs. 2000/		- whichever is
,		higher	
Between Rs. 2001/- and	Rs. 3500/		whichever is
		higher	

1	<u>an an ann an </u>		2		
Between Rs. 3501/- and I	Rs. 5000/-	45% of basic pay or 60% of Rs. 3500/- whichever is higher			
Above Rs. 5,000/-		-	y or 45% (of Rs. 5000/- whichever is	
The a	mount of DA payable wo	ould be calculated	as under	1	
Basic Pay	-	Average index for the "quarter in question" X		Rate of nutralisation	
D.A. =				100	
dearness allowance. Des	on" means the quarter of wharness Allowance at this ravevery year immediately sure TABI HOUSE REN	minus 752 quarter of which average index is taken for determining the race at this rate is payable with effect from 1st January, 1st Appreciately succeeding the "quarter in question." TABLE—III DUSE RENT ALLOWANCE			
	(Rates per	mensum)			
	'A'		'B'	'C'	
Class of News Agencies	Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per census of 1981	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1981		Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1981	
Classes I and II	15% of pay subject to a maximum of Rs. 500/-	10% of pay subject to a maximum of Rs. 400/-		7½% of pay subject to a maximum of Rs. 350/-	
	recommendation will not than what is recommended TABL CITY COMPENSAT	t affect the quanta ed heroin. LE—IV	or rates of	te recommendations, the f HRA if either are higher	
GIA GAT		A		<u>B</u>	
Class of News Agencies		of 20 lakhs and above as per of		Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census	
I		Rs. 50 Rs. 35		Rs. 20	
		N3, 33		Rs. 20	
	TA NIGHT SHIFT (Rates per n				
Class of News Agencie		· - <u></u>	-··		
Class I			Rs. 12		
Class II			Rs. 10		
Note: —The rates would	1 be higher by 50% for nigh			ess of 15 nights in a month. [No. V-24016/3/89-WB] ATACHALAM, Dy. Secy.	